प्रकृति, बाजार, पर्यटन

भारत में प्रकृति संरक्षण करने के पर्यटन के दावों की एक गवेशणा

इक्वेशन्स

प्रकृति, बाजार, पर्यटन : भारत में प्रकृति संरक्षण करने के पर्यटन के दावों की एक गवेशणा

जून 2009

शोध टीम

अदिति चनचानी

अनन्या दासगुप्ता

पीयूश सेखसरिया

सरूप रोय

श्वेता नारायण

सैयद लियाकत

विद्या रंगन

संपादकीय टीम

रोजमेरी विश्वनाथ

सैयद लियाकत

चित्रांकन : दीप्ति राधाकृश्णन्

विन्यास और डिजाइन : दीप्ति राधाकृष्णन्

हैंडिजाइन, बेंगलूरु,

info.handesigns@gmail.com

अनुवाद : सुश्री निधी अगरवाल, श्री सीताराम शास्त्री

मुद्रण : ग्रफिप्रिन्ट प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूरु

इस प्रकाशन को शैक्षणिक, जनवकालत या गैर-मुनाफा प्रयोजनों के लिए पूरी तरह या आंषिक रूप से पुनर्मुदित-प्रकाशित किया जा सकता है। स्रोत के रूप में इक्वेशन्स को मानने और सामग्री के उपयोग के बारे में हमें जानकारी देने से हमें खुशी होगी ।

इक्वेशन्स्

इक्वेशन्स (इक्विटेबुल टूरिज्म ऑप्न्स)

#415, 2 सी-क्रॉस, चौथा मेन,

ओ एम बी आर लेआउट, बानसवाडी

बेंगलूरु- 560043, भारत

टेलिफोन : +91-80-25457607/ 25457659

फैक्स : +91-80-25457665

ई-मेल : info@equitabletourism.org

यूआरएल : www.equitabletourism.org

प्रकृति, बाजार, पर्यटन :
भारत में प्रकृति संरक्षण करने के पर्यटन के दावों की एक गवेशणा

इक्वेशन्स

इक्विटेबल टूरिज्म ऑप्शन्स

विशय–सूची

प्रस्तावना

05

बाजार–आधारित प्रकृति संरक्षण योजना के रूप में
इकोटूरिज्म (पारिस्थितिकीय पर्यटन)

बाजार आधारित प्रकृति संरक्षण योजनाओं के लिए मौजूदा वित्तीय प्रोत्साहन और समुदाय आधारित प्रकृति संरक्षण पहलों पर प्रभाव

08

पर्यटन विकास पहेली

जनाधिकारों पर प्रभाव और द्वंद्व तथा भारत के राज्यों में संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण के सामने चुनौतियां महिला उवाचः समुदाय आधारित और प्रकृति-आधारित पर्यटन में महिलाओं का पक्ष

16

महिलाओं की आवाज़!

समुदाय आधारित एवं प्रकृति आधारित
पर्यटन में महिलाओं की भागीदारी

38

बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर आरक्षित वन के
परिसरों में पारिस्थितिकीय पर्यटन

एक प्रस्ताव

49

पारिस्थितिकीय पर्यटन

संदर्भ, परिणामों और प्रभावों के विश्लेषण
के लिए एक रूपरेखा।

98

प्रकृति, बाजार, पर्यटन

भारत में (पर्यावरण) संरक्षण करने के पर्यटन के दावों की एक गवेशणा

पर्यटन के क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभरकर पारिस्थितिकीय पर्यटन ने अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर पर्यटन और संरक्षण नीतियों के दायरे में लोगों का काफी ध्यान आकर्शित किया है। नीति निर्धारकों और पर्यटन उद्योग के लिए पर्यटन के एक रूप में पारिस्थितिकीय पर्यटन एक पसंद की चीज बन गया है, जो अपने को सौम्य रूप में पेश करता है। अपनी परिभाषा में पर्यावरण का संरक्षण करने में मदद देने और स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करने के दोहरे उद्देष्यों से लैस बताते हुए, पारिस्थितिकीय पर्यटन ने न सिर्फ अब तक पर्यटन के क्षेत्र में अछूता छोडे.गये नये-नये इलाकों में प्रवेश किया है बल्कि उसने वन्यजीव पर्यटन, साहसिक अभियान पर्यटन और कुछ हद तक ग्रामीण पर्यटन जैसे अन्य स्वरूपों को भी अपने में शामिल किया है। लेकिन पारिस्थितिकीय पर्यटन द्वारा अपने उद्देष्यों को हासिल करने में अभी बहुत कुछ वांछनीय है। इक्वेशन्स के शोधपत्रों का यह संकलन इस बात की गवेशणा करने का एक प्रयास है कि किस हद तक पारिस्थितिकीय पर्यटन जैसा बाजार-आधारित तंत्र वास्तव में पर्यावरण का संरक्षण करने और समुदाय को अधिकार एवं फायदे मुहैया करने में योगदान कर सकता है। इसकी संवृद्धि की प्रक्रिया में किस हद तक स्थानीय समुदायों द्वारा आजीविका, संसाधनों की उपलब्धता और परंपरागत अधिकारों के मामलों में सामना की जा रही वास्तविकताओं और जटिलताओं को ध्यान में रखा गया है।

पारिस्थितिकी प्रणालियों के क्षेत्रों (अधिकतर प्राकृतिक संसाधनों और जैवविविधता से समृद्ध इलाके), इन इलाकों में पारिस्थितिकीय पर्यटन के लिए दिये गये जोर और उन इलाकों/राज्यों में आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले दबाव के आधार पर शोध के लिए इलाकों का चयन किया गया है। हमने देखा कि प्रकृति पर आधारित पर्यटन के एक घटक, पारिस्थितिकी पर्यटन शब्द का ढीले-ढाले ढंग से खूब उपयोग होता है। हम पर्यटन शब्द का प्रयोग वैसे पर्यटन के लिए करना चाहेंगे जिसमें पारिस्थितिकीय पर्यटन की विशेषता शामिल हो, जबकि व्यवहार में विरले ही ऐसा होता है।

उत्तर भारत में उत्तराखण्ड अधिकतर पहाडी इलाका है, जहां समतलों और पहाड़ों के बीच हिमालय पर्वत और पार-हिमालय श्रेणियाँ फैली हुई है। शोध के लिए दो संरक्षित क्षेत्र लिये गये: हिमालय पर्वतों में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और समतलों में कॉरबेट राष्ट्रीय उद्यान।

उत्तराखण्ड को एक साहसिक अभियान (सह पारिस्थितिकीय) पर्यटन स्थल के रूप में उन्नीत किया गया है जहां ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, स्कीइंग, श्वेतजल राफ्टिंग, पारा-सेलिंग और पार-ग्लाइडिंग होते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान लम्बे अरसे से वन्य जीव (सह पारिस्थितिकीय) पर्यटन स्थल रहा है। उत्तराखण्ड एक नया राज्य भी है जिसका गठन वर्ष 2000 में हुआ। इस राज्य को अलग राज्य बनाने का एक उद्देष्य आदिवासी एवं पहाड़ी समुदायों के निर्दिष्ट संदर्भ और मुद्दों की ओर ध्यानाकर्षण सुनिश्चित करना है। लेकिन आदिवासी भोटिया समुदाय को नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित उनके जंगलों का परम्परागत उपयोग करने नहीं दिया जाता है और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के वन गुज्जरों पर कहीं दूसरी जगह बसने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

मध्य भारत में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकीय प्रणालियाँ हैं। ये दो राज्य अनुसूची-5 के इलाकों की श्रेणी में आते हैं जहां आदिवासी जनजातियों की प्रबलता है। भारतीय संविधान इन इलाकों को विशेष दर्जा और बृहत्तर स्वायत्तता देता है; इन इलाकों में गैर-आदिवासियों को भू-स्वामित्व हस्तांतरित करने की मनाही है। मध्यप्रदेश में संरक्षित इलाके काफी लोकप्रिय वन्यजीव पर्यटन क्षेत्र भी हैं और वे वहां बाघों की एक बड़ी आबादी होने का दावा भी करते हैं। देश के संरक्षित इलाकों में कान्हा

और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक पर्यटन वाले क्षेत्रों में से रहे हैं। इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में जब अधिसूचित किया गया था तब उनमें आदिवासी बैगा और गोंड समुदायों का निवास था; अब इलाकों को प्राकृतिक वन्यजीव क्षेत्रों के रूप में "संरक्षित" कायम रखने के उद्देष्य से इन समुदायों को उद्यानों से विस्थापित किया जा रहा है। लेकिन उद्यानों की सीमाओं पर पर्यटन प्रतिश्ठान फल-फूल रहे हैं और उद्यान में पर्यटकों का स्वागत किया जाता है। आदिवासी और स्थानीय समुदायों के लिए बृहत्तर स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश से काटकर अलग राज्य के रूप में गठित छत्तीसगढ़ पारिस्थितिकीय पर्यटन पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है और उसने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए निजीकरण के मार्ग को अपनाया है। प्रमुख पारिस्थितिकीय स्थलों के रूप में चिन्हित छत्तीसगढ़ के संरक्षित क्षेत्र बैगा और गोंड जैसी कई आदिवासी जनजातियों के निवास क्षेत्र भी हैं। उन पर भी जंगलों से हटकर अन्यत्र बसने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हमारा शोध मध्यप्रदेश में कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यानों और छत्तीसगढ़ में बरनवापाड़ा एवं अचानकमार वन्यजीव आश्रयणियों के संरक्षित क्षेत्रों पर केन्द्रित है।

अंडमान और निकोबार द्वीप अनूठे क्षेत्र हैं क्योंकि वहां उश्णकटिबंधीय वन और मूँगाचट्टान पारिस्थितिकीय प्रणालियाँ हैं। ये द्वीप समूह पांच आदिम और संकटापन्न आदिवासी समुदायों के निवास क्षेत्र भी हैं - अंडमान द्वीपों में जारवा, ओंगे, बृहत अंडमानी और सेंटिनेली, तथा निकोबार में शोंपेन समुदाय। प्रबल निकोबारी जनजाति निकोबार द्वीपो में रहती है। पर्यटन सिर्फ अंडमान तक ही सीमित है और वहाँ उसे एक बड़ी आर्थिक गतिविधियों के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पारिस्थितिकीय पर्यटन विशेष महत्व दिये जा रहे क्षेत्रों में से एक है और यहां वन और समुद्र दोनों पारिस्थितिकीय पर्यटन की गतिविधियों के स्थल हैं, जैसे ट्रेकिंग, केनोपी पदयात्राएँ और सागर तटीय पर्यटन, स्नोर्केलिंग।

हमने अधिकतर भेंटवार्ता और चर्चा जैसे प्राथमिक तथ्य संग्रह पर आधारित क्षेत्र अध्ययन पर निर्भर किया है। मुख्य सरकारी विभागों, खासकरके राज्य पर्यटन और वनविभागों के अधिकारियों से भेंटवार्ताएँ की गयीं। चयनित क्षेत्रों में स्थलों का परिभ्रमण किया गया और आदिवासी और स्थानीय समुदायों, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ समूह चर्चाएँ की गयीं। पर्यटन स्थलों पर सैरगाह और लॉज मालिकों के साथ भी चर्चाएँ और भेंटवार्ताएँ की गयीं।

चार आलेखों का यह संकलन पारिस्थितिकीय पर्यटन और जमीन पर तथा विभिन्न दावेदारों के परिप्रेक्ष्य से गंभीर मुद्दों के संदर्भ में उसके प्रभावों का एक पूर्वापर संबंध प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। प्रथम आलेख में संरक्षण के बाजार-आधारित उपाय के रूप में पारिस्थितिकीय पर्यटन की परीक्षा करते हुए उस पर विचार किया गया। दूसरे आलेख में चार राज्यों में पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर रोशनी डाली गयी। उसमें संरक्षित क्षेत्रों के इर्द-गिर्द पर्यटन की वृद्धि और स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की भूमिका से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया। आलेख में यह भी देखा गया कि कैसे पर्यटन वृद्धि की प्रक्रिया में आदिवासी और स्थानीय समुदायों के स्वशासन, प्राकृतिक संसाधनों, खासकर, भूमि की उपलब्धता और नियंत्रण जैसे गंभीर मुद्दों पर विचार नहीं किया जाता है।

तीसरे आलेख में पर्यटन विकास के मुद्दों और महिलाओं पर उनके प्रभावों के बीच के संबंधों पर विचार किया गया। चौथा आलेख बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यानों के इर्द-गिर्द अवस्थित पर्यटन प्रतिष्ठानों और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर उनके रवैये का एक अध्ययन/केस स्टडी है। अंत में, हमने एक विश्लेशण की एक रूपरेखा शामिल की है जो पारिस्थितिकी पर्यटन विकास के मुद्दों की छानबीन करने के इच्छुक लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है।

यह शोध करने के लिए वित्तीय सहायता और बहुमूल्य अवसर प्रदान करने के लिए हम स्वीडबयो और ग्लोबल फॉरेस्ट कोआलिशन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उक्त चार राज्यों में हमारे नेटवर्क साझीदारों और सम्पर्को को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने क्षेत्रों में जाना और आदिवासी और स्थानीय समुदायों के साथ चर्चाएँ करना संभव बनाया। ये साझीदार और सम्पर्क सूत्र हैं :

उत्तराखण्ड में - सुनील कैंथोला, धन सिंह राणा, माउंटेन शेपर्हडज़ इनिशियेटिव के कर्मचारीगण, अब्दुल रहमान, राजीव लोचन शाह, महेश जोशी, प्रभात कुमार ध्यानी, गणेश रावत, राजीव भर्तारी।

मध्य प्रदेश में - अनिता पवार, भागवत पटेल, महिपाल बैगा और सत्येन्द्र तिवारी।

छत्तीसगढ़ में - गौतम बंद्योपाध्याय, आलोक, जियालाल, मानेन्द्र और छत्तीसगढ़ एकशन एंड रिसर्च तथा नदी घाटी मोर्चा के अन्य कर्मीगण और ललित सुरजन।

अंडमान द्वीप समूह - समीर आचार्या, बिमल राय।

हम विशेषकरके लाता और टोलमा गाँवों (उत्तराखण्ड), बांधवगढ़ में गुरवाही, गढ़पुरी, पाठौर और ताला गाँवों (मध्यप्रदेश), बरनवापाड़ा वन्यजीव आश्रयणी में लोरिडखार गांव और अचानकमार वन्यजीव आश्रयणी में बाहौर, बोकराकचार एवं छपरवा गाँवों (छत्तीसगढ़) के आदिवासी और स्थानीय समुदायों तथा दक्षिण अंडमान, हैवलॉक, नील, बराटांग, वानडूर, रंगाट, लाँग आइलैंड, मायाबंदर और डिगलीपुर के स्थानीय समुदायों के ऋणी हैं जिन्होंने हमारे शोधकार्य के लिए मूल्यवान परिप्रेक्ष्य दिये।

हम निम्नलिखित विचार-विमर्शो में भागीदारों को भी उनके बहुमूल्य अंषदानों के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे :

अंडमान द्वीप समूह - पोर्ट ब्लेयर में 2 जनवरी, 2009 को सम्पन्न विचार विमर्ष।

छत्तीसगढ़ - मध्यभारत के लिए रायपुर में 10.12 जनवरी, 2009 को सम्पन्न विचार-विमर्ष।

उत्तराखण्ड - ऋशिकेष में 7 फरवरी, 2009 को और रामनगर में 8 फरवरी, 2009 को सम्पन्न विचार-विमर्ष।

हम कान्हा और बांधवगढ़ में सैरगाहों के पारिस्थितिकी-अनुकूल कार्य-व्यवहारों पर किये गये अध्ययन में पीयूश सेखसरिया के योगदान के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करते हैं।

इक्वेशन्स टीम,

जून 2009

ईकोटूरिज़म (पयोवरण हितैषी पयेटन) बाज़ार–आधारित संरक्षण योजना के रूप में

बाजार आधारित प्रकृति संरक्षण योजनओं के लिए मौजूदा वित्तीय प्रोत्साहन और समुदाय आधारित प्रकृति संरक्षण पहलों पर प्रभाव

1. ईकोटूरिज़म बाज़ार- आधारित संरक्षण योजना के रूप में (परिभाषा/विवरण)

'बाज़ार-आधारित संरक्षण योजनाएँ' ऐसी क्रियाविधियाँ हैं जो निजी सेक्टर (क्षेत्रक) के योगदान को पर्यावरण संरक्षण तथा विभिन्न पर्यावरण समस्याओं के समाधान के लिए बाज़ार के प्रयोग के लिए संघटित और दिशा देने की कोशिश करती है[i]। निजी योगदान को आकृष्ट करने के लिए रियो सम्मेलन के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुकूल धारणीय संसाधन प्रबंधन पद्धतियों को समाविष्ट करने के लिए तथा विश्व के गरीब, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों के विकास में योगदान देने के लिए इसे एक नवीन

दृष्टिकोण के रूप में सक्रियता से प्रचारित किया जा रहा है [ii]। इन योजनाओं का वृहत प्रकार के सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा जंगलों और परितंत्रों के संरक्षण के अर्थ प्रबन्ध के संभावित नई और नवीन पद्धति के रूप में सक्रियता से प्रचारित किया जा रहा है [iii]। भारत में 'ईकोटूरिज़म' ऐसी एक योजना है जिसका प्रचार किया जा रहा है क्योंकि संरक्षण की भाषा बोलना लाभकारी है ।

जैव विविधता सम्मेलन (सी. बी. डी) के पक्षकारों ने जैव विविधता संरक्षण में बाज़ार-आधारित दृष्टिकोणों का अंगीकार कर लिया है। ऐसे दृष्टिकोणों को जैविक विविधता और पर्यटन के संदर्भ में बहस ने भी आगे बढ़ाया है जिसे पहली बार 1999 में प्रारम्भ किया और 2000 में जैव विविधता सम्मेलन के पाँचवे सम्मेलन के पक्षकारों द्वारा पर्यटन के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव के बारे में विस्तृत चर्चा के रूप में परिणित हो गई। जैव विविधता-समृद्ध क्षेत्रों में पर्यटन के प्रचार में होने वाली गलतियों पर चेतावनी वक्तव्यों के बावजूद पक्षकारों के सम्मेलन के निर्णय V/25 यह घोषित करती है कि "जैविक विविधता के संरक्षण और उसके तत्वों

के धारणीय प्रयोगों के संबंध में पर्यटन लाभ का बोध कराने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रस्तुत करती है।'' इसी निर्णय में पक्षकारों का सम्मेलन इस पर भी ध्यान देती है कि "ऐतिहासिक प्रेक्षण यह संकेत करती है कि पर्यटन उद्योग का जैविक संसाधनों के धारणीय प्रयोग के लिए स्वतः नियामक विरले ही सफल हुआ है।" स्वैच्छिक दृष्टिकोण के अंतर्निहित सीमाबद्धता की अभिस्वीकृति के बावजूद सी.बी.डी. के पक्षकारों ने तत्पश्चात जैविक विविधता और पर्यटन विकास के स्वैच्छिक दिशानिर्देश को विस्तृत करने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया है, जिसे सी.बी.डी. के सातवें पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा स्वीकृत किया गया । इन दिशानिर्देशों में केवल स्वैच्छिक मापदण्ड के रूप में आदिवासी लोग और स्थानीय समुदायों को पर्यटन विकास में शामिल करने की आवश्यकता को उल्लिखित किया गया है। इस बीच, राष्ट्रीय स्तर पर, कई सरकार "ईकोटूरिज़म" विकास, जो की, जैव विविधता - समृद्ध क्षेत्रों में पर्यटन का विकास है, का सक्रियता से प्रचार कर पर्यटन की क्षमता का अंगीकार कर रही है। तथापि चूंकि दिशानिर्देश स्वैच्छिक प्रकृति की है इसलिए अनेक तथाकथित "ईकोटूरिज़म" विकास धारणीय से काफी दूर है। इसके अतिरिक्त, शक्तिशाली पर्यटन योजनाएँ, जो ईकोटूरिज़म के रूप में अंकित है और जो आजकल अनेक पर्यटन प्रचालकों द्वारा विकसित किया जा रहा है, की तुलना में समुदाय[iv]- संचालित पर्यटन पहल अभी भी नगण्य भूमिका निभा रही है। सी.बी.डी. द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण समुदायों के लिए "उग्र रूप से स्पद्धित" और "पर्यटक गंतव्य से दूर स्थित वित्तीय हितों द्वारा संचालित'' बाज़ार में स्पर्धा करना बहुत ही मुश्किल है (निर्णय V/25, पक्षकारों का सम्मेलन)। यह भी, की स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि "प्रचालक संभावित रूप से अपने प्रतिकूल पर्यावरण संबंधी प्रभावों को जैसे कचरा, गंदा पानी और मलजल को आसपास के क्षेत्रों की ओर "निर्यात'' करेगी जहाँ पर्यटकों का जाना असंभाव्य है'' (पक्षकारों के सम्मेलन का निर्णय V/25)।

2. ईकोटूरिज़म लाभकर विकल्प क्यों है ?

ईकोटूरिज़म निस्संदेह विश्व भर में बहुत बड़ा व्यवसाय है। जब संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने विश्व पर्यटन संगठन के आशीर्वाद के साथ 2002 में ईकोटूरिज़म का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष (IYE) आरम्भ किया, तब उसे विशाल उद्योगों और पर्यटन सहयोगियों का कोलाहपूर्ण प्रत्याभूति और समर्थन मिला। कारण बहुत साधारण था - 'ईकोटूरिज़म' वह जादुई मंत्र था जिसने संरक्षण की बोली बोलकर और लाभ पर समझौता ना करते हुए पर्यटन के प्रतिकूल पर्यावरण पदचिन्हों की व्यवस्था करके पर्यटन उद्योग के आलोचकों को शान्त किया। यह हरित-प्रक्षालन (green washing) विकासशील देश, जो ईकोटूरिज़म का लक्ष्य थे, के समुदायों और समूहों को स्पष्ट विदित था - जिन्होंने UNEP और IYE आयोजकों को अपने विद्रोह और चिन्ताओं के बारे में लिखा। परन्तु इन प्रयासों के बावजूद, ईकोटूरिज़म, सरकार और उद्योग के लिए लोकप्रिय विकल्प है। उधर वे लोग है जो ये सोचते हैं की 'ईकोटूरिज़म' छाप ने अपनी दूरी तय कर ली है और अब रास्ते से हट रहा है, मुख्यतः पश्चिम और पर्यटन-स्रोत देशों में परन्तु दुर्भाग्यवश, भारत में ऐसा नहीं है जहाँ ईकोटूरिज़म अभी भी साध्य संकल्पना के रूप में शासन कर रही है और उसे सक्रिय सरकारी समर्थन तथा उद्योग निवेश मिल रहा है। बाज़ार-आधारित तंत्र के माध्यम से अपने संरक्षण प्रयत्नों के समर्थन के दावे की वज़ह से 'ईकोटूरिज़म' एक लोकप्रिय विकल्प है।

इसके अतिरिक्त भारत में विद्यमान पर्यावरण संबंधी नियम के संशोधनों और ऐसी नीतियों के करण जो नियन्त्रण न रखकर सरल बनाती है, ईकोटूरिज़म विकास के लिए बहुत कम विनियम विद्यमान है। राष्ट्रीय पर्यावरण पॉलिसी 2006, ईकोटूरिज़म अपने पूरे वनों और पारिस्थिति सुग्राही क्षेत्रों की संस्तुति करती है; नये पर्यावरण संबंधी प्रभाव निर्धारण अधिसूचना ने पर्यटन को पर्यावरण प्रभाव निर्धारण और निकासी के सीमाक्षेत्र से छोड़ दिया है; ये कुछ उदाहरण नियंत्रक ढाँचों के बदलते रूप को दिखाने के लिए है। विशेष पर्यटन ज़ोन (STZ) जैसे नये पॉलिसियों के साथ पर्यटन उद्योग को जबाबदेही से छुट्टी दे दी गई है और ईकोटूरिज़म इसका उपयोग करने के लिए तैयार है।

आकलन, विकासशील देशों में ईकोटूरिज़म बाजार के मूल्य को करीब (USD) 400 अरब डोलर प्रति वर्ष रखती है।[v] भारत के पर्यटन उद्योग, जिसने ईकोटूरिज़म का उपयोग किया, में अपने समृद्ध जैविकी और सांस्कृतिक विविधता, विरासत तथा उद्यमवृत्ति कुशलता के कारण इस बाज़ार में पर्याप्त हिस्सा है। ईकोटूरिज़म के विकास के लिए मुख्य प्रोत्साहन, निजी पूँजी, UN एजेंसियाँ और अभी हाल में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन जैसे विश्व बैंक और ऐशियन विकास बैंक के शामिल होने के माध्यम से है।

3. भारत में ईकोटूरिज़म – नीति और नियंत्रक विवक्षा

भारत का ऐसे औपनिवेशिक शासकों का इतिहास है जो देशी और स्थानीय समुदायों से प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण हड़प लेती है जिसके कारण संरक्षण के परम्परागत प्रबंधन और ज्ञान पद्धति का ध्वंस हुआ है। यह प्रक्रिया स्वातंत्र्योत्तर चलती रही जिसके कारण संरक्षण का अपवर्जित नमूना, कभी कठोर कानूनों के साथ पूर्ण, का स्वीकरण हुआ। इसके कारण समुदायों और प्राधिकारियों के बीच संघर्षों का तीव्रीकरण हुआ है। जहाँ व्यापारिक और राजनैतिक ताकतों के दबाव के कारण प्राधिकारी वनों का प्रभावपूर्ण संरक्षण करने में असफल रहे वहाँ देश भर में अनेक समुदाय-दीक्षित और समुदाय-आधारित संरक्षण प्रक्रिया है।

समान्तर स्तर पर ईकोटूरिज़म अनेक रक्षित क्षेत्रों और समुदाय संरक्षण क्षेत्रों में प्रबलता के साथ फैलाया जा रहा है। इस तरह के प्रचार का बढ़ावा राष्ट्रीय और राज्य स्तर के ईकोटूरिज़म/पर्यटन नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों और अंतर सरकारी ऐजेन्सियों की परियोजनाओं द्वारा प्रकट हो रहा है।

पर्यटन उद्योग संघों और संगठनों द्वारा तैयार अन्तर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशी [vi] से निकाला गया ईकोटूरिज़म [vii] नीति और दिशानिर्देश 1998 पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी, भूमंडलीय उद्योग खिलाड़ियों के हितों को प्रस्तुत करती है। लाभ के लिए पर्यावरण सम्बन्धी रक्षण इस नीति का दृष्टिकोण है। यह नीति भारत के सभी परितंत्रों को ईकोटूरिज़म संसाधन के रूप में रूपरेखित करती है और घोषित करती है की ये सभी अच्छी तरह से रक्षित और संरक्षित है।

जहाँ नीति ईकोटूरिज़म व्यवसाय के मुख्य खिलाड़ियों के लिए अपने सिद्धान्तों की सूची और परिचालन पहलूओं को विस्तृत करती है वहाँ वह समुदायों की भूमिका, पर्यावरण संबंधी संसाधनों की रक्षा करने और 'मेज़बान' की भूमिका के रूप में पर्यटन को अपने सेवाएँ प्रदान करने में काफी हद तक कम हो जाती है। समुदायों द्वारा रक्षित पर्यावरण ईकोटूरिज़म के लिए सब संसाधन है जब पर्यटन प्राकृतिक सुन्दरता को अनुभव करते है। देशी और स्थानीय समुदाय महत्वपूर्ण "पणधारी" बन जाते है तथा उसके द्वारा ऐसी

भारत में समुदाय संरक्षित क्षेत्र का उदाहरण

भारत के उत्तराखण्ड राज्य के जरधरगाँव द्वारा 600-700 हेक्टेयर वनों का पुनरुत्थान और रक्षण, ग्राम वासियों ने करीब सौ प्रकार के देशी फसलों का पुन: आविष्कार किया है और उन्हें सफलतापूर्वक जैविकी रूप से पैदा कर रहे हैं तथा घास-स्थल और जल प्रबंधन के पारम्परिक तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में वे न केवल अपने गाँव के वनों का बल्कि आसपास के क्षेत्र जो खनन और जल-विद्युत परियोजना के कारण तहस-नहस हो रहे हैं, उनका बचाव करने के लिए काफी संघर्ष किया है । (सूर्यनारायण जे और मल्होत्रा पी. 1999).

स्रोत : पाठक एन; इस्लाम ऐ. एकरन्ते एस.यू.के और हुस्सैन ऐ. "दक्षिण आसिया में देशी और स्थानीय समुदायों द्वारा रक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबन्धन में सीखे गए सबक"

IUCN;http://www.iucn.org/themes/ceesp/ publications/TILCEPA/CCA-NPathak.pdf November 2006 ls vkadM+s iqu% izkIr

प्रक्रिया के सहायक बन जाते है जहाँ पर्यावरण संबंधी संरक्षण उनके वश में निहित रहता है और इसका अनुकरण आर्थिक उद्यम की सहायता के लिए किया जा रहा है। जो बात नीति ध्यान देने से चूक जाती है वह है ईकोटूरिज़म तथा आदिवासी और स्थानीय समुदायों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और संस्थागत प्रक्रिया के बीच में दुतरफा अनुबन्धन उनका जीवन, जहाँ वे रहते है, उस पर्यावरण से बहुत करीबी रूप से जुड़ जाता है और उनकी प्रथाएँ और परम्पराएँ उससे बहुत गहन सहलग्नता रखती है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों का पर्यटन नीति बहुत ही एक पक्षीय दस्तावेज़ है जो कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश और सिद्धान्तों को प्रस्तुत करने के अपने उद्देष्य को बहुत कम संतुष्ट कर पाती है [viii]।

छत्तीसगढ़ के पास ईकोटूरिज़म पॉलिसी नहीं है ईकोटूरिज़म स्थलों की जानकारी सरकारी वेबस्थल [ix] पर दी जाती है जो ये घोषित करती है की उसके नीति के उद्देश्यों में से एक है - राज्य में आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से तथा पारिस्थितिकता धारणीय पर्यटन; साथ में तीन राष्ट्रीय उद्यानों तथा ग्यारह वन्यजीव अभयवनों में ईकोटूरिज़म को बढ़ावा देना है।

मध्यप्रदेश की पारिस्थितिकीय पर्यावरण नीति, 2007[x], की मुख्य विशेषताओं में आधारभूत ढांचा का विकास, कम ज्ञात क्षेत्रों को बढ़ावा, पर्यटन की गतिविधियों का विविधीकरण, जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय समुदाय एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को हासिल करना शामिल हैं।

पारिस्थितिकी पर्यटन की गतिविधियों में प्रकृति शिविर, पारिस्थितिकी-अनुकूल आवास, ट्रेकिंग एवं प्रकृति पद-यात्राएँ, वन्यजीव दर्शन एवं नदियों में पोत-विहार, साहसिक खेलकूद, मछलीमारी, जड़ी-बूटी पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकी उद्यानों के माध्यम से शहरी पारिस्थितिकीय पर्यटन, पर्यटनों को जानकारी देने के केन्द्र और (पर्यावरण) संरक्षण शिक्षा शामिल होंगी।

उत्तराखण्ड के पास अलग से ईकोटूरिज़म नीति नहीं है परन्तु अप्रैल 2001 में बनाया गया ईकोटूरिज़म का विकास राज्य [xi] के पर्यटन नीति में शामिल कर लिया गया है। नीति का स्वप्न उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों रूप से एक प्रधान पर्यटन गंतव्य में उन्नत करना है और उत्तराखण्ड को "पर्यटन का पर्यास" बनाना है। वह इस सेक्टर (क्षेत्रक) को "निजी सेक्टर और स्थानीय मेज़बान समुदायों के सक्रिय सहयोग से पर्यावरण-हितैषी रूप से विकसित करना चाहती है।" और अंत में, वह पर्यटन को राज्य के लिए एक प्रधान आय कमाऊ और "राज्य में आर्थिक और सामाजिक विकास का केन्द्र बिन्दु" बनने की सीमा तक रोज़गार के रूप में विकसित करना चाहती है।

राज्य की नीतियाँ निजी सेक्टर निवेश के माध्यम से ईकोटूरिज़म पर सकेन्द्रित है। ये नीतियाँ पर्यावरण के लिए प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को खोलने के लिए दबाव डालती है। यहाँ तक की इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदायों का जीवन और जीविका प्रभावित होगी और इतनी सख्ती से की अगर ईकोटूरिज़म अनियंत्रित है, तो वह राज्य के नीतियों के स्तर पर विरले ही स्वीकृत हो पाती है ।

जंगलों, पर्वतों, तटों और नदियों के छोर पर फैली हुई जो समृद्ध प्राकृतिक विरासत है वो पूरी की पूरी समुदायों का निर्वाह स्थल है, जो "पर्यटन उत्पाद" बनती है। यहाँ तक की रक्षित क्षेत्र, जो परिभाषा से वाणिज्य गतिविधियों को रोकती है, को अब सम्भाव्य पर्यटन क्षेत्रों के रूप में देखा जा रहा है।[xii] इन क्षेत्रों में पर्यटन स्थल एक संसाधन-गहन गतिविधि, स्थानीय समुदायों और संरक्षण की मांगों तथा उपभोक्ता उन्मुख उद्योग की मांगों जो प्रकृति को एक आर्थिक वस्तु समझती है, के बीच हितों के संघर्ष को जन्म देती है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय - भारत सरकार ने रक्षित क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए कदम उठाए : राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण तथा बाद में वन्य जीव (रक्षण) अधिनियम 1972 के तहत समुदाय आरक्षिति और संरक्षण आरक्षिति और उसकी उत्तरर्ती संशोधन। जब इन रक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया तब देशी और स्थानीय समुदायों की बड़ी जनसंख्या को विस्थापित किया गया। और अब अनेक भारतीय राज्यों के वन विभाग, साथ में अध्ययन राज्यों को शामिल करके इन में से अनेक रक्षित क्षेत्रों में ईकोटूरिज़म का विकास करना चाहती है। बहुत सारी स्थितियों में, संक्रियांओं में देशी और स्थानीय समुदायों की सेवाएँ गाइडों और लॉज में कामगारों के रूप में शामिल है। यद्यपि ईकोटूरिज़म का इस प्रकार से चलाए जाने में अंतर्निहित समस्याएँ हैं अर्थात् अधिकतर वन विभाग द्वारा समुदायों से निर्णयन में बहुत कम सहायता लेकर चलाया जाता है और लाभ का बड़ा हिस्सा राज्य के राजकोष को चला जाता है तथापि ईकोटूरिज़म को संरक्षण योजना के रूप में प्रचलित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, समुदाय-अधिकृत पर्यटन पहल अभी भी अन्य पर्यटन योजनाओं की तुलना में नगण्य भूमिका निभा रहे है जो प्राय: ईकोटूरिज़म के रूप में अंकित किए जाते है और प्राय: बड़े, वैश्विक पर्यटन प्रचालकों द्वारा विकसित किया जाता है। वे ईकोटूरिज़म को बाजारों के लिए स्पर्धा ना मानकर जीविका धारणीय पूरक का स्रोत मानते हैं। समुदायों के लिए ऐसे बाज़ार से स्पर्धा करना बहुत मुश्किल होता है जो उग्र रूप से प्रतियोगी है और जिनका नियन्त्रण पर्यटन गंतव्यों में आर्थिक रुचियों के हाथों में है। और,

स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव महत्स्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि प्रचालक अपने प्रतिकूल पर्यावरण संबंधी प्रभावों जैसे कचरा, गंदा पानी तथा मलजल को आसपास के क्षेत्रों में भेजना चाहेंगे जहाँ पर्यटकों का जाना अंसभाव्य है। अनेक बार, सरकार ने इन पहलों को नज़र-अंदाज किया है और कम सहायता दी है। इन्होंने ईकोटूरिज़म के रूप में कई पर्यटन रूपों का प्रचार किया है जिनका संरक्षण से कोई वास्ता नहीं है। दूसरा चिन्ताजनक कारण यह है कि सरकार ने पॉलिसी के ज़रिए अपनी भूमिका को स्थापित करने के लिए अलोकतान्त्रात्मक माध्यमों को अपनाया है।

विश्व बैंक प्रमाणित संयुक्त वन प्रबंधनों (JFM) और भारतीय पर्यावरण विकास परियोजनाओं (IEDP) जैसे प्रयत्नों ने इस गतिरोध को अधिक योगदान नहीं दिया है क्योंकि इसने समुदाय नियन्त्रण तथा प्राकृतिक संसाधनों की पहुँच की मुख्य समस्याओं को संबोधित नहीं किया। जब ईकोटूरिज़म विकास नियन्त्रण के घेरे में व्याप्त हो जाती है, तब समुदाय अधिकारों की मूल समस्याओं का समाधान नहीं होता है और प्रबन्धक पद समुदाय से हटकर ईकोटूरिज़म उद्योग और उसके खिलाड़ियों की ओर खिसक गया है।

उत्तराखंड में वन प्रबंधन के लिए संदर्भ

राज्य संपत्ति के सबसे बड़े रक्षक के रूप में, वन विभाग वनों को अच्छी स्थिति में रखने में या लोगों की वन-आधारित जीविका की मांगों को पूरा करने में असफल रही है । उसके वन संरक्षण और वन्यजीव रक्षण अधिनियम के प्रवर्त्तन की जिम्मेदारी उसके जन-विरोधी ऐजेंसी की छवि को पुष्ट करती है । अतः 1988-89 में कुछ चिपको कार्यकर्ताओं ने एक और, अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध, 'पेड़ काटो आंदोलन' चलाया । उनका तर्क था की पर्वतीय ग्रामों का मूल विकास योजनाओं को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम का प्रयोग किया जा रहा है जबकि निर्माता माफिया पर्यटन का प्रचार करने के वेश के तहत उसका निर्लज्जता से अनादर कर रहे हैं (रावत 1998) अभी हाल में रक्षण क्षेत्रों के नेटवर्क के विस्तार के कारण हुए संसाधन विस्थापन और जीविका के नुकसान ने छीनों झपटो आन्दोलन को जन्म दिया जिसने विरक्ति और असमर्थता के गहन बोध को प्रतिबिम्बित किया । वे औरतें भी पर्यावरण शब्द से नफरत करने लगी है जिन्होंने चिपको आन्दोलन के दौरान ठेकेदारों को वनों को काटने से रोक कर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति पाई । जैसा की इनमें से रेनी गाँव की एक औरत ने शिकायत की : 'उन्होंने ये पूरे वन के आसपास के क्षेत्र को नन्दादेवी जीवमंडल रक्षिति के तहत रख दिया है । मैं अब पेट दर्द के लिए भी जड़ीबूटी बीन नहीं सकती ।' (मित्रा 1993)

स्रोत : सरीन एम. सिंह, एन.एम. सुन्दर, एन. और भोगल, आर.के. (2003), "हस्तांतरण वन-विज्ञान के लोकतांत्रिक निर्णयन को एक खतरा ?" भारत के तीन राज्यों से प्राप्त निष्कर्ष, आधार पत्र 197, ओवरसीज़ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लंदन (समुद्रपार विकास संस्थान, लंदन)

http://www.odi.org.uk/fpeg/publications/papers/wp/197.html November, 2006

4. आर्थिक प्रोत्साहन और समुदाय संरक्षित क्षेत्रों में उसका प्रभाव[xiv] :

राष्ट्रीय स्तर पर, हालांकि पर्यटन मंत्रालय-भारतीय सरकार ने अपने ईकोटूरिज़म पॉलिसी और दिशानिर्देश, 1998 में पर्यावरण-हितैषी प्रयोगों को रूपरेखित किया है, फिर भी ईकोटूरिज़म को समर्थन देने के लिए काफी कम प्रत्यक्ष आर्थिक प्रोत्साहन योजनाएँ है। अवसंरचना विकास, पूँजी आयात सहायिका विपणन सहायता और ईकोटूरिज़म के प्रचार के लिए प्रोत्साहन पर दबाव जारी है। फिर भी कई राज्य पर्यटन पॉलिसियाँ और योजनाएँ ऐसे स्थलों की पहचान करते है जिनका विकास बजटीय सहयोग के साथ ईकोटूरिज़म गंतव्यों के रूप में किया जाने वाला है परन्तु अनेक स्थितियों में धन, संरक्षण योजनाओं के बजाय अवसंरचना निर्माण और 'हार्डवेयर' विकास की ओर चला जाता है। चूंकि ईकोटूरिज़म निम्न-अवसंरचना के रूप में माना गया है और इसलिए कम प्रभावशाली गतिविधि है, अवसंरचना विकास पर इतना ध्यान केन्द्रित करना संरक्षण सिद्धान्त के खिलाफ जाता है। यद्यपि ईकोटूरिज़म पॉलिसी और दिशानिर्देश, पर्यावरण-हितैषी तकनीकों जैसे सौर्य, पुनः चक्रित, वर्षा-जल संग्रहण इत्यादि का निर्धारण करती है तथापि ऐसे तकनीकों के समावेश के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

इन सरकार - समर्थक उद्यम के अतिरिक्त भारत में ईकोटूरिज़म की अधिकतर पूंजी निवेश निजी सेक्टर से आई है। ताज होटल प्राईवेट लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी विलासिता होटल कम्पनियों में से एक ने ईकोटूरिज़म बाज़ार पर धावा

बोल दिया है। देश भर में पारिस्थितिक होटल और रिसोर्ट (Resort) स्थापित करने के अलावा ताज़ ने संरक्षण निगम अफरिका (CCA) के साथ भारत में शिकार आरक्षिति खोलने के लिए वन्यजीव पर्यटन में निवेशी शुरू कर दिया है। 485 अभयारणों और 87 राष्ट्रीय उद्यानों से अधिक के साथ यह एक बहुत ही लाभकारी निवेश है [xv]।

ईकोटूरिज़म में अन्य निजी निवेश, मान (scale) की बदलती मात्राओं और निवेश के साथ अधिकतर स्थानीय उद्यमवृत्ति के माध्यम से हुआ है। ये शिकारा और होम स्टे (home stay) जैसे लघु-मान पहलों जैसी गतिविधियों को चलाने से लेकर ईको-रिसोर्ट (eco-resort) में निवेशी और थोड़ी और परिष्कृत ईकोटूरिज़म उत्पादों तक की रेंज में पाई जाती है। ये उद्यम, स्थानीय आधारित और अधिकृत होने के कारण परितंत्र पर महत्वपूर्ण स्तर पर संचयी प्रभाव डालती है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति एकजुट और संख्या में अधिक होती है।

भारत में ईकोटूरिज़म के लिए एक ज़रूरी प्रोत्साहन और सहयोग UN ऐजेंसियों UNEP और UNDP द्वारा दिया गया है। जहाँ पहली ने अन्तर्राष्ट्रीय ईकोटूरिज़म वर्ष में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है वहीं दूसरी ने ईकोटूरिज़म के तत्वों के साथ अपने जीविका और पर्यावरण कार्यक्रमों द्वारा अनेक प्रकार की परियोजनाओं को सहयोग दिया है। अभी हाल ही में पर्यटन में UNDP के उद्यमों में से एक है UNDP पर्यटन मंत्रालय - भारत सरकार (MoT) एण्डोजीनस पर्यटन परियोजना - एक ऐसा "असाधारण ईकोटूरिज़म उद्यम" जो ग्राम स्तर पर ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण कला और शिल्प का प्रचार करती है। यद्यपि वास्तविक आर्थिक निवेश साफ नहीं है, दोनों ही णछ निकाय की कार्यसूची पर पर्यटन के माध्यम से विकास और संरक्षण का कार्य है। फिर भी इस तरह के पर्यटन में "ईको" नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर भी चेढ इसका प्रचार इसी रूप में करती है ; जहाँ 'हार्डवेयर' (अवसंरचना) को स्थापित करने पर बल दिया जाता है तथा संरक्षण को महत्वता नहीं दी जाती है।

अप्रत्यक्ष रूप से, विश्व बैंक समर्थक परियोजना जैसे संयुक्त वन प्रबंधन और भारत ईको विकास परियोजना में ईकोटूरिज़म एक अभिन्न बाज़ार-आधारित संरक्षण योजना के रूप में है। विश्व बैंक का भारतीय रिपॉर्ट[xvi] प्रस्तुत करता है - "जैसे ही पूर्व विनष्ट किए गए वन पूर्ण विकसित होकर महत्वपूर्ण संरक्षण लाभों को उत्पन्न करेंगे तब चालू JFM वनों से पारिस्थिति और ईकोटूरिज़म मूल्य डौलर 1.7 अरब तक बड़ सकता है और " ईकोटूरिज़म और वन क्षेत्रों में कार्बन पृथक्करण के कारण वनों से राष्ट्रीय GDP का हिस्सा 1.1 से लेकर 2.4 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है ।"

निष्कर्ष :

क्या ईकोटूरिज़म वास्तव में संरक्षण की ओर ले जा रहा है?अगर ऐसा है तो ईकोटूरिज़म दावों का समर्थन करने वाले उदाहरण कहाँ हैं?

यह कई बार घोषित किया जाता है कि ईकोटूरिज़म संरक्षण और स्थानीय समुदायों के लाभ की ओर ले जाता है। फिर भी, जो देखा गया है वह ये है कि ईकोटूरिज़म आम-पर्यटन से भिन्न नहीं है।

ईकोटूरिज़म उन क्षेत्रों को लक्ष्य कर रही है जो समुदायों की कीमत पर रक्षित किए गए है, जहाँ :

- समुदायों को अपने पारम्परिक आवासों से संरक्षण के लिए विस्थापित कर दिया है और ऐसी संवलित पॉलिसियों के माध्यम से जो संरक्षण और लोगों के अधिकारों के बीच का संतुलन नहीं रखती है ।
- सरकार द्वारा नैतृत्व और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों द्वारा समर्थित योजनाओं की तुलना में समुदायों ने संरक्षण की पहल की है और उनसे बहतर काम किया है ।

परन्तु ईकोटूरिज़म इन क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने के लिए तैयार है। जब संरक्षण अन्य तरीकों के माध्यम से किया जा सकता है, और जिन्हें प्रदर्शित भी किया गया है, तो ईकोटूरिज़म को लाने की आवश्यकता क्या है जबकि वह संरक्षण के ध्येय को प्राप्त करने में असफल हो चुकी है?

ईकोटूरिज़म अब भी बाजार-चालित है और सरकार अपनी पॉलिसियों के माध्यम से, जो निजी उद्यमों की आवश्यकताओं के अनुकूल है, ऐसा होने दे रही है। ये निजी खिलाड़ी ईकोटूरिज़म के नाम पर संरक्षण का प्राचार कर रहे हैं जबकि उनके प्रयोग संरक्षण

उन्मुखता या संरक्षण प्रयत्नों के समर्थण से काफी दूर है।

संरक्षण तभी हो सकता है जब निम्नलिखित मानदंडो में से कम से कम एक या अधिक का अनुकरण हो:

i) यदि अवसंरचना, पर्यटक परिमाण या गतिविधियों के संबंध में ईकोटूरिज़म विकास पर विनियम रखे जा रहे हो;

ii) यदि संरक्षण प्रयोजनों के लिए पर्यटन लाभों को तैनात किया जाए; और

iii) यदि सच्चे ईकोटूरिज़म प्रयास हो जो आम-पर्यटन को बढ़ने ना दे, और इस तरह विकास पर नियत्रण करके संरक्षण को बढ़ावा दें।

यथार्थ में, ऐसे प्रयोगों का अस्तित्व नहीं है, जिसका अस्तित्व है, तथापि, वे ऐसे प्रोत्साहन है जो ईकोटूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए गतिशी है और संरक्षण के नाम पर एक भी नहीं।

समाप्ति नोट्स

[i] फ्रेंडस ऑफ दी अर्थ इन्टरनेशनल 2005, "प्रकृतिः गरीब जनता का धन - UN विश्व शिखर के लिए एक स्थिति लेख (Position Paper) और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की समीक्षा, 14-16 सितम्बर 2005"

[ii] पैक्नि, मार्क और मैरैंड, कारेल 2005, "परितंत्र सेवाओं के लिए MEA"- आधारित बाजार - बहुपक्षीय पर्यावरण संबंधी अनुबंधो (MEAs) और निजी निवशों पर OECD कार्यशाला के लिए प्रारूप संकल्पना लेख, हेलसिन्की, फिनलैण्ड, 16-17 जून 2005 यूनीस्फेरा अन्तराष्ट्रीय केन्द्र, आँकाड़ों के स्रोत के लि, http:/www.unep.org/dec/IIEDecosystem.pdf नवंबर 2006

[iii] उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिक परामर्श (SBSTTA) पर सहायक संस्था के ग्यारहवे सम्मिलन के प्रोत्साहन कार्रवाही पर अपनी टिप्पणी में जैविकी विविधता के सम्मेलन के कार्यपालक सचिव ने लिखा कि जैवविविधता के संरक्षण और धारणीय प्रयोग के लिए बाजार सर्जन कई बार प्रभावशाली माध्यम रहा है। wrm.org.uy/gfc

[iv] इस लेख में समुदाय का अर्थ है आदिवासी लोग और स्थानीय समुदाय।

[v] मेरा पर्यटन कितना हरित है? ऐक्सप्रेस होटल-मालिक और खान-पान प्रबंधक. 2004

[vi] अन्तर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश इस प्रकार है:

1. UN WTO (विश्व पर्यटन संगठल) के पर्यटन के लिए राष्ट्रीय उद्यान और रक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए दिशानिर्देश।

2. PATA संहिता, पर्यावरण की ओर उत्तरदायी पर्यटन के लिए।

3. हिमालय के पर्यटन सलाहकार मंडल द्वारा तैयार किया गया हिमालय का आचार संहिता।

4. अन्तराष्ट्रीय ईकोटूरिज़म सोसाइटी द्वारा ईकोटूरिज़म दिशानिर्देश।

[vii] UN WTO द्वारा वर्णित पॉलिसी में ईकोटूरिज़म की परिभाषा इस प्रकार है पर्यटन जिसमें अपेक्षाकृत अनछुए प्राकृतिक दृश्यों और इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले उसके जंगली पौधों और जानवरों तथा साथ ही साथ सांस्कृतिक पक्ष (दोनो ही, पूर्व या वर्तमान के) के अध्ययन, प्रशंसा और आनन्द उठाने के उद्देश्य से इनकी सैर शामिल है। पॉलिसी इस प्रकार ईकोटूरिज़म के मुख्य अंशों को सूचित करती है - एक प्राकृतिक पर्यावरण मुख्य आकर्षण के रूप में; पर्यावरण हितैषी पर्यटक; ऐसी गतिविधियाँ जिनका परितंत्र पर गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है; स्थानीय समुदाय का पारिस्थितिक संतुलन कायम रखने में साकारात्मक अन्तर्भावितता।

[viii] द्वीपों को विकसित करने की अपनी दृष्टि को यह एक पृष्ठ दस्तावेज सरलता से यह घोषणा करता है .....पर्यावरण धारणीय अवसंरचना के विकास के माध्यम से ईकोपर्यटक के लिए उत्कर्ष गंतत्य के रूप में, द्वीपों के प्राकृतिक परिस्थिति सामाजिक-अर्थशास्त्रीय को भंग किए बिना। (सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय 2003). http:/www.and.nic.in/Tourism policy.doc

[ix] http://chhattisgarh.nic.in/tourism/tourism1.htm

[x] http://www.mpecotourism.org/ecotourism_policy.asp आंकडे/तथ्य जून 2008 में निकाले गये।

[xi] http://gov.ua.nic.in/uttaranchaltourism/policy1 vision.html

[xii] राज्य पर्यटन मंत्रालय सम्मेलन 1996, जिसने ईकोटूरिज़म के विकास के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, पर्यटन विकास के लिए निम्नलिखित, संससधनों को पहचाना है - जीवमंडल आरक्षिति, मैंग्रोव, मूंगा और मूंगा भित्ति, रेगिस्तान, पहाड़ और वन, वनस्पति और जंतु समूह और समुद्र, झील और नदियाँ।

[xiii] उच्चतम न्यायलय के विनिर्ण पर आधारित, वन और पर्यावरण भारतिय मंत्रालय ने तीस सितम्बर 2002 तक वन प्रदेशों से सभी अतिक्रमणों को बेदखल करने के लिए आदेश जारी किया है। यद्यपि यह साफ नहीं है कि इस आदेश ने शक्तिशाली और भूमि क्षुधित अतिक्रमण कर्ताओं को प्रभावित किया या नहिं, तथापि इसने वन पर निर्भर रहने वाले हजारों समुदायों के जीवन में पूर्ण तबाही मचा दी है। इनमें से अधिकतर लोग जो अपने घरों और जोते गए भूमियों से खदेड़े गए हैं वे लोग है जिनके पास राजस्व का और कोई स्रोत नहीं है और चूंकि उनका नाम बिना उनके दोष के, सरकारी जमीन रिकॉर्डो में दाखिल नहीं है, उन्हें ही अतिक्रमण का दोषी ठहराया जा रहा है। कल्पवृक्ष - पर्यावरण और कार्रवाही ग्रुप, भारत, सितम्बर 2002 द्वारा जारी किया गया ई-मेल (e-mail) वक्तव्य।

[xiv] व्यावसायिक पंक्ति, ताज ने वन्यजीव पर्यटन अगस्त 2004 के प्रचार के लिए एक अद्वितीय सहयोगी पहल का अनावरण किया।

[xv] http://www.thehindubusinessline.com/2005/06/02/stories/2005060200671700.htm अगसत 2004 बिसनेस लाइन से आंकड़े प्राप्त

[xvi] विश्व बैंक (2006) भारत में वन निर्भर लोगों के लिए भारत अवसर खोल रहा है, कृषि और ग्रामीण विकास सेक्टर, यूनिट, दक्षिण ऐशिया क्षेत्र भाग I (रिपोर्ट संख्या 34481-IN)

http://www.worldbank.org.in/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/INDIAEXTN/0,,contentMDK:20873030~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:295584,00.html, November 2006 से आंकड़े प्राप्त

पर्यटन विकास पहेली

जनाधिकारों पर प्रभाव और द्वंद्व तथा भारत के राज्यों में संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण के सामने चुनौतियाँ

1. विषय प्रवेश

भू-भागीय एवं समुद्रीय संरक्षित क्षेत्रों-वन्यजीव आश्रयणियों और राष्ट्रीय उद्यानों तथा पारिस्थितिकीय दृष्टि से खासे मूल्यवान असंरक्षित क्षेत्रों के अंदर और इर्द-गिर्द आक्रामक रूप से पारिस्थितिकीय पर्यटन को ठेलकर आगे बढ़ाया जा रहा है। इनमें से कई इलाके आदिवासी जनों के निवास स्थल हैं। आदिवासी और स्थानीय समुदाय इन इलाकों का संरक्षण करते रहे हैं, फिर भी उनको अकसर जबर्दस्ती इन इलाकों से संरक्षण के प्रयोजन से विस्थापित किया जा रहा है। बहुत से भारतीय राज्यों में अभी भी सरकारें आर्थिक मुआवजा या बदले में जमीन देने का वादा करके उनको वन क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रलोभन दे रही हैं। आदिवासी और स्थानीय समुदायों को विस्थापित करने के पीछे सरकारों का कथित उद्देष्य मूलतः (पर्यावरण) संरक्षण है, लेकिन देखा गया है कि कानूनन संरक्षण के लिए अलग रखे गये इन इलाकों में पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़ी हैं।

भारत में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीव आश्रयणियों और राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में घोषित किये जाने के पहले भी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यानों जैसे संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटक आते रहे हैं। लेकिन आज की तुलना में तब उनकी संख्या कम थी। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटक गतिविधि की अनुमति देता है। इसलिए जब वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत नये-नये इलाके संरक्षित घोषित किये जाते हैं तो उससे उन इलाकों में पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के चलने में कोई समस्या नहीं होती है, जैसे छत्तीसगढ़ में अवस्थित बरनवापाडा वन्यजीव आश्रयणी। इसके अलावा, राज्य के वन एवं पर्यटन विभागों और कुछ पर्यटन उद्योगपतियों में यह प्रवृत्ति देखी गयी है कि वे इन संरक्षित और असंरक्षित इलाकों में होनेवाली किसी भी पर्यटन की गतिविधि को पारिस्थितिकीय पर्यटन का बिल्ला लगा देते हैं।

मध्यप्रदेश पारिस्थितिकीय पर्यटन विभागबोर्ड कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यानों को पारिस्थितिकीय पर्यटन केन्द्रों के रूप में चिन्हित करता है। लेकिन वहां के सैरगाह प्रतिष्ठानों के कम ही मालिक इस बात का दावा करते हैं कि वे पारिस्थितिकीय पर्यटन की गतिविधि में हैं। लगता है पर्यटन के एक वर्द्धमान हिस्से में बाजार पर्यटन पर ढीले-ढाले ढंग से पारिस्थितिकीय पर्यटन का बिल्ला लगाया जा रहा है। कुछ पर्यटन कर्ताओं ने इस शब्द का इस्तेमाल अपने चंद पारिस्थितिकी-अनुकूल कार्य व्यवहारों को सूचित करने के लिए किया है। भारत में व्यवहार में पारिस्थितिकीय पर्यटन सामान्यतः मुख्यधारा की या जन पर्यटन के तौर-तरीकों से बहुत अलग नहीं है क्योंकि उसमें पर्यावरणीय स्थायित्वपूर्णता के बुनियादी सिद्धांतों और आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के साथ फायदों में हिस्सेदारी में साम्य का अभाव है। इसलिए, इस आलेख में सामान्यतः गलत उपयोग किये गये "पारिस्थितिकीय पर्यटन" शब्द के बदले हम पर्यटन शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे।

पर्यटन के पर्यावरणीय प्रभावों और पर्यटन में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के जुड़ाव के संदर्भ में पर्यटन विकास द्वारा पेश चुनौतियों को समझने के लिए हमने चार राज्यों का चयन किया है। ये हैं : उत्तर में स्थित उत्तराखण्ड राज्य, मध्य भारत का मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और केन्द्रशासित प्रदेश अंडमान द्वीप समूह। इन राज्यों के संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय पर्यटन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है; छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में भी जिनको अनुसूची-5 के क्षेत्रों का दर्जा प्राप्त हैं[1]।

उत्तराखण्ड

9 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड भारतीय गणतंत्र का 27वाँ राज्य बना। उत्तर प्रदेश से काट करके यह राज्य बनाया गया। राज्य के गठन का एक कारण उत्तराखण्ड की जनता को बृहत्तर स्वायत्तता देना था। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 51,125 वर्ग कि.मी.[2] है, जिसमें से 93: पहाड़ी है और 64% वनों से आच्छादित है।[3] उत्तराखण्ड के संरक्षित इलाकों में नैनीताल जिले में रामनगर में अवस्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान), फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और चमोली जिले में अवस्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, हरिद्वार जिले में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और उत्तरकाशी जिले में गोविन्द पशुविहार राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।[4] यह राज्य भारत में पर्वतारोहण, हाइकिंग, चट्टानारोहण, श्वेतजल राफ्टिंग और अन्य साहसिक खेलकूदों के लिए विशिष्टता प्राप्त है। राज्य के कई गाँवों में पारिस्थितिकीय पर्यटन, कृषि-पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन ने भी जमीन बनायी है[5]।

उत्तराखण्ड के लोग असनातनी हिन्दू और बौद्ध हैं; 1947 के समय से पश्चिमी पंजाब से आये सिख शरणार्थी निचले इलाकों में बसे हैं। मुख्य आदिवासी जनजातियाँ हैं: जौनसारी, भोटिया, बुक्शा, थारू और राजी। छोटी जनजातियों के एक समूह के रूप में जौनसारी समाज आदिवासी कोलटा समुदाय के साथ शूद जाति के रूप में स्तरीकृत हो गया है; इस समुदाय में खासी संख्या में बाह्मण और राजपूत मुख्य किसान हैं। भोटिया तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित हैं: उत्तरकाशी के जाध, चमोली के मार्चा (कभी मुख्यतः व्यापारी रहे) और तोलचा (किसान), और पिठोरागढ़ (धरचुला के पास) के शौका। बुक्शा लोग तराई के निवासी हैं। उन्होंने अपनी सभी जातियों को एक में विलय कर लिया है और आज भी अपने लोगों के बीच वे सिर्फ सप्तों (परिवार के नाम) का व्यवहार करते हैं। थारू लोग एक तिब्बती जनजाति से संबंधित लोग हैं जो शुरू में नेपाल की सीमा पर तराई के पूर्वांचल में रहते थे। वे कई उप-जनजातियों में बटे हैं, हालाँकि उनमें से अधिकांश लोग नैनीताल में (उधम सिंह नगर) में रहते हैं। किसानों के रूप में थारू लोगों में बड़े परिवारों में रहने की प्रवृत्ति है। वे समुदाय में रहते हैं, और उनमें भाइयों के एक छत के नीचे रहने की परम्परा है। राजी लोग वनरावतों (जंगल के जमींदार) के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है और वे जंगल में रहते हैं। वे दक्षिणी पिठोरागढ़ (अभी चंपावत जिला) में आस्कोट के इर्द-गिर्द जंगलों में रहते हैं। कुछ मुसलमान भी इस इलाके के निवासी हैं, हालाँकि वे हाल में यहाँ आये होंगे। मुस्लमान गुज्जर चरवाहे भी पहाड़ों में प्रवास कर गये हैं[6]। राजाजी और कॉर्बेट जैसे वन क्षेत्रों में गुज्जर भी रहते हैं।

मध्यप्रदेश :

आकार में मध्यप्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग कि.मी. है।[7] राज्य का वन क्षेत्र 94,689 वर्ग कि.मी. है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30.71% है।[8] राज्य में 9 राष्ट्रीय उद्यान और 25 आश्रयणियाँ हैं जो 10,862 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले हैं जो कुल वन क्षेत्र का 11.40 प्रतिशत है। राष्ट्रीय उद्यान हैं: बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय, माधव,

वनविहार, मांडला प्लांट फॉसिल, पन्ना और पेंच। वन्यजीव आश्रयणियाँ हैं : बोरी, बागडारा, फेन, घाटीगाँव, गाँधीसागर, करेरा, केन, घडियाल, खेओनी, नरसिंहगढ़, उत्तरी चंबल, नौरादेही, पंचमढ़ी, पानपाथा, कुनो, पेंच, रातापानी, संजय डुबरी, सिंघोरी, सोन घडियाल, सरदापुर, सैलाना, रालामंडल, ओरछा, गंगाइ और वि.दुर्गावती।[9] राज्य वन्यजीव पर्यटन, सांस्कृतिक एवं ऐतिह्य पर्यटन और तीर्थयात्राओं का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। राज्य की सैर-सपाटे और व्यवसाय पर्यटन के क्षेत्र में प्रवेश करने की भी योजना है।[10]

मध्यप्रदेश में जनजातियों की कुल आबादी 122.33 लाख है जो राज्य की कुल आबादी का 20.27 प्रतिशत है। राज्य में 46 अनुसूचित जनजाति समुदाय और 3 विशेष आदिम जनजाति समुदाय हैं। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का करीब 40.63 प्रतिशत भाग जनजातिय उपयोजना के तहत है और कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33.6 प्रतिशत भाग को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है[11]। मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्र को चार मुख्य अंचलों में बाँटा जा सकता है :

1. पश्चिमी सांस्कृतिक अंचल : इस अंचल में रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, देवास और इंदोर जिले आते हैं। इस अंचल में रहने वाली मुख्य जनजातियाँ हैं : भील, भिलाला, बरेला और पटेलिया।

2. मध्य सांस्कृतिक अंचल : इस अंचल में मांडला, डिंडोरी, बालाघाट, सियोनी, छिंदवाडा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, उमरिया, सीहोर और भोपाल जिले आते हैं। इस अंचल में रहने वाली मुख्य जनजातियाँ हैं : गोंड, परधान, कोर्कू, बैगर, भरिया, नगरची और ओझा।

3. पूर्वोत्तर सांस्कृतिक अंचल : इस अंचल में शहडोल, सिधी, रेवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, गुना और टिकमगढ़ जिले आते हैं। इस अंचल में रहने वाली मुख्य जनजातियाँ हैं : कोल, बियाड, पनिका, सावर और पाव।

4. पश्चिमोत्तर सांस्कृतिक अंचल : इस अंचल में मोरैना, शिवपुरी, शिवपुर, दतिया, ग्वालियर और भिंड जिले आते हैं। इस अंचल में रहने वाली मुख्य जनजाति सेहरिया है।

मध्यप्रदेश में जनजातियों के तीन विशेष आदिम समुदाय रहते हैं : भरिया (पातालकोट, छिंदवाडा), बैगा (उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट और मांडला) और सेहरिया (शिवपुरी, शिवपुर, गुना, ग्वालियर, मोरैना)[12]।

छत्तीसगढ़ :

मध्यप्रदेश से काटकर भारतीय संघ के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवम्बर, 2000 को किया गया। इससे आदिवासियों की चिर-वांछित माँग पूरी हुई।[13] राज्य के वनक्षेत्र का क्षेत्रफल 59,772.39 वर्ग कि.मी. है।[14] राज्य के 10.88 प्रतिशत वन संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के तहत हैं। यहाँ तीन राष्ट्रीय उद्यान हैं : इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास; और ग्यारह वन्यजीव आश्रयणियाँ हैं: अचानकमार, बादलखोल, भैरमगढ़, बरनवापाड़ा, गोमरडा, पामेडा, सेमरसोट, सीतानदी, तामोड, पिंगला, उदंती, भोरमदेव।[15] राज्य ने पर्यटन की सुविधाओं के रूप में पारिस्थितिकीय पर्यटन; संस्कृति, ऐतिह्य और नृजातीय पर्यटन, तीर्थयात्राओं, साहसिक अभियान पर्यटन और व्यवसाय एवं सैर-सपाटा पर्यटन को चिन्हित किया है[16]।

छत्तीसगढ़ की आबादी की एक खास विशेषता यह है कि उसमें अनुसूचित जनजातियों की आबादी का अनुपात बहुत ज्यादा है और मूलत: अनुसूचित जातियों से बने निर्दिष्ट कुछ पंथ हैं। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में आदिवासियों का प्रतिशत कम से कम 32.5 है, जो खासा बड़ा है। पिछले कुछ दशकों में आदिवासी प्रबल क्षेत्रों के जनसांख्यिक स्वरूप में बदलाव आया है। यह एक चिंताजनक बात है क्योंकि यह सूचित करता है कि आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर गैर-आदिवासी घुस आये हैं। यह बदलता जनसांख्यिक स्वरूप बस्तर में बहुत ज्यादा स्पष्ट है, जहां पिछले कुछ दशकों में आदिवासियों का अनुपात घटा है। 1991 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के तत्कालीन जिलों में आदिवासियों की आबादी इस प्रकार थी : दुर्ग-12.6 प्रतिशत, रायपुर-18.6 प्रतिशत; राजनांदगाँव-25.3 प्रतिशत; बिलासपुर-23.4 प्रतिशत; सरगुजा- 54.8 प्रतिशत; रायगढ़- 45.5 प्रतिशत; बस्तर- 67.7 प्रतिशत। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न जनजातियाँ हैं : गोंड, मरिया, भुमजा, बैगा, कनार, कवार,

हलबा आदि।[17]

अंडमान द्वीप समूह

अंडमान और निकोबार कुल 572 द्वीपों, लघु द्वीपों और चट्टानों का नयनाभिराम द्वीप समूह हैं जिनमें छोटे-बड़े, आबाद-अनाबाद सब तरह के द्वीप शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व हिस्से में ये द्वीप समूह अवस्थित हैं।[18] अंडमान और निकोबार द्वीपों में 7,606 वर्ग कि.मी. इलाके में जंगल हैं जो क्षेत्र की कुल 8,249 वर्ग कि.मी. के क्षेत्रफल का 92.2 प्रतिशत है; इसमें से 5,883 वर्ग कि.मी. वन अंडमान द्वीप समूह में हैं और निकोबार द्वीप समूह में 1,723 वर्ग कि.मी. (नोट : अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार वर्ष 2006 में अंडमान द्वीपों में 5,629 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर वनाच्छादन है और निकोबार में 1542 वर्ग किलोमीटर)। कुल वनाच्छादन में, 40 प्रतिशत क्रोउन सघनता वाले वनों का हिस्सा 85.9 प्रतिशत है और 40 प्रतिशत से कम सघनता वाले खुले वनों का प्रतिशत 1.7 है। मैंनग्रोवो के क्षेत्रफल का प्रतिशत 12.7 है। कानूनन अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल 7,170.69 वर्ग कि.मी. (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 86.93 प्रतिशत) है; इसमें 4,242 वर्ग कि.मी. संरक्षित वन हैं और 2,929 वर्ग कि.मी. आरक्षित वन हैं। अंडमान-निकोबार द्वीप समूहों के परिसरों में दुनिया के सर्वाधिक आकर्षक और व्यापक मूँगा चट्टानों में से कुछ व्याप्त हैं जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व है क्योंकि हिंदमहासागर में ये अंतिम अक्षत प्राकृतिक मूँगा चट्टान हैं। लेकिन अंडमान और निकोबार के क्षेत्र में मूँगा चट्टानों की व्यापकता के ठीक-ठीक माप का पता नहीं है। हाल की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इसका क्षेत्रफल 11,939 वर्ग कि.मी. है। अंडमान द्वीपों में मूँगा चट्टानों के लिए दो संरक्षित क्षेत्र हैं - महात्मा गाँधी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान और रानी झाँसी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान। मूँगा चट्टान दोनों से सटे हैं जिन्हें शामिल करने की जरूरत है।[19]

अंडमान द्वीप समूह चार आदिवासी जनजातियों का निवास क्षेत्र है। महान अंडमानी जनों की संख्या 1850 के दशक में करीब 6000 थी, जब कालापानी की सजा के लिए इस्तेमाल करने के लिए अंग्रेजों ने इन द्वीपों का औपनिवेशीकरण कर लिया। आज उनकी संख्या मात्र 43 है और उनको हाशिये पर ठेलकर अभी मध्य अंडमान के दक्षिण-पूर्व सागर तट पर स्ट्रेट द्वीप में सीमित कर दिया गया है। उसके बाद लघु अंडमान द्वीप में रहने वाले ओंगे लोग 1920 में सम्पर्क में आये और उनकी भी वही नियति हुई जो अंडमानियों की हुई। सेंटिनलियों की अनुमानिक आबादी 39 है जो दक्षिण अंडमान द्वीप की दक्षिण-पश्चिम दिशा में उत्तरी सेंटिनेल द्वीप में लम्बे अरसे से रहते आये हैं। जाखा लोग दक्षिण और मध्य अंडमान के अंदरूनी और पश्चिमी सागर तट के इलाके में रहते हैं और अभी इनकी संख्या 240 है।[20]

अगर द्वीपों का एक गत्यात्मक जनसांख्यिक स्वरूप देखा जाये तो "स्थानीय समुदाय" शब्द की कोई परिभाषा करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उससे कोई समरूप समुदाय नहीं बनता है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 503 आबाद गाँव हैं जिनमें अंडमान जिले के ग्यारह द्वीपों में 334 गाँव हैं और बाकी 170 गाँव, टोले और छोटे एवं एकल पारिवारिक इकाइयाँ निकोबार जिले में बसी हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी 3,56,152 है।[21]

2. राज्यों में जन संघर्ष :

संविधान में 73 वें संशोधन और अनुसूची V में दिये गये संवैधानिक प्रावधानों और पेसा अधिनियम (विवरणों के लिए नीचे दिये गये खण्डों को देखें) आदिवासी और स्थानीय समुदायों को जमीन और स्वायत्तता के अधिकार देते हैं लेकिन राज्य विधानसभाओं ने उनकी यथेष्ट सुपुर्दगी नहीं की है। मानवाधिकारों, संवैधानिक अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान के लिए, तथा प्राकृतिक संसाधनों और सर्वसामान्य सम्पदा संसाधनों पर अधिकारों के लिए आदिवासी जनों और स्थानीय समुदायों के संघर्षों की क्रमशः होती वृद्धि को सरकारें एक अवरोध मानती हैं। अकसर राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा से विरोध के इन स्वरों को दबा दिया जाता है। विकास के प्रवेश से आदिवासी और स्थानीय समुदायों की जमीनों पर लगातार अतिक्रमण होता जा रहा है; यह विकास न सिर्फ उनकी जमीनों को हड़प़ता है, बल्कि उनकी स्वायत्तता, अपने इलाके पर उनका नियंत्रण, उनके परम्परागत अधिकार और स्वशासन की प्रणालियों को खतम किया जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्रों में भी आर्थिक संवृद्धि और विकास के वेश में खनन, बाँधों, उद्योगों और विद्युत संयंत्रों के लिए जमीन दखल कर ली जाती है। लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार उनकी विकास

की माँग ठुकरा दिये जाने और स्थानीय जनता को फायदे नहीं पहुँचाने वाले ऊपर से नीचे की ओर की जाने वाली विकास की कवाइयाँ उनपर थोप दिये जाने के चलते इन इलाकों में कई जगह विरोध हो रहे हैं - हिंसा और सशस्त्र संघर्ष बढ़ रहे हैं।

एक तरफ राज्य उद्योगों के लिए जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए सुकरकर्ता सह जमीन-जायदाद की खरीद-बिक्री के दलाल के रूप में काम करता है, और दूसरी तरफ अनुसूचित इलाकों में गाँवों की सामूहिक भूमि और सामूहिक संपदा संसाधनों पर लोगों के अधिकार निजी पार्टियों को सौंप दिये जाते हैं। प्रति व्यक्ति सामूहिक संपदा संसाधनों की उपलब्धता के लगातार घटते जाने से वैसे परिवारों की हालत लगातार बिगड़ती जाती है जो अपनी दैनंदिन जरूरतों, आजीविकाओं, आय के स्रोतों और रोजगार के अवसरों के लिए इन संसाधनों पर निर्भर करते हैं। सामूहिक संपदा संसाधनों के लगातार बढ़ते हुए निजीकरण और उनके घटते क्षेत्रफल के चलते समाज में असमानताएँ भी बढ़ती जाती हैं, इन संसाधनों को जुटाने में महिलाओं की दिक्कतें बढ़ती जाती हैं और उसके चलते विकास के पिरामिड में सबसे नीचे स्थित परिवारों के जीवन-स्तर गिरते जाते हैं। हालाँकि राज्य इन सार्वजनिक संसाधनों का मात्र एक न्यासी है, उसने व्यावसायिक फायदे के लिए इन संसाधनों का निजीकरण करने में उद्योगपतियों के साथ अधिकाधिक मिलीभगत की है और इस तरह उन संसाधनों के मुक्त सार्वजनिक उपयोग को रोका है। दूसरी तरफ, खनन उद्योगों को संरक्षित क्षेत्रों और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील अन्य इलाकों में भी खनिजों का दोहन करने की अनुमति दी जाती है और उसके लिए सरकार अनुदान देती है और बिना किसी पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के उनकी खनन परियोजनाओं का

चित्र 1 :
पर्यटन के संदर्भ वाले राज्यों में
अध्ययन के संगीन मुद्दे
मानचित्र का स्रोत : भारत सरकार

आसानी से अनुमोदन करके प्रोत्साहन भी देती है।

इसीलिए जब पर्यटन उद्योग इन जगहों में सरकार की मदद से आसानी से प्रवेश कर जाता है तब लोग पूछते हैं- "ताज को क्यों पारिस्थितिकीय मुद्दा माना जाता है, और बैगा को नहीं"[22]

3. राज्यों में पर्यटन से संबंधित मुख्य मुद्दे

उपरोक्त राज्यों में पर्यटन से संबंधित मुख्य मुद्दों को समझने के लिए निम्नलिखित स्थलों का चयन किया गया :

1. **उत्तराखण्ड** - कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
2. **मध्यप्रदेश** - बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान।
3. **छत्तीसगढ़**- अचानकमार और बरनवाडापाड़ा वन्यजीव आश्रयणियाँ
4. **अंडमान द्वीप समूह** - विविध पर्यटन स्थल, खास करके दक्षिण अंडमान द्वीप, हैवलॉक और नील द्वीप।

उत्तराखण्ड

1955-56 में बनाया गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1973 में चालू की गयी व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत सृजित नौ व्याघ्र आरक्षित क्षेत्रों में से यह एक था। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दो जिलों - नैनीताल और पौडी - में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 521 वर्ग कि.मी. है और पडोस की सोनानदी वन्यजीव आश्रयणी और आरक्षित वन क्षेत्रों को मिलाकर कॉर्बेट व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल 1288 वर्ग कि.मी. हो जाता है।[23] उद्यान का क्षेत्रफल शुरू में 323.75 वर्ग कि.मी. था जिसमें बाद में 197.07 वर्ग कि.मी जोडा गया। 1991 में कॉर्बेट व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के बफर के रूप में 797.72 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को जोड़ा गया। इस क्षेत्र में पूरा कलागढ़ वन प्रमंडल (सोनानदी वन्यजीव आश्रयणी का 301.18 वर्ग कि.मी. क्षेत्र सहित), रामनगर वन प्रमंडल का 96.70 वर्ग कि.मी. और 89 वर्ग कि.मी. शामिल है।[24]

कॉर्बेट व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के चुनिंदा इलाकों में पर्यटन को अनुमति है।[25] कॉर्बेट में मुख्य पर्यटन क्षेत्रों में शामिल है : धिकला, झिरना, बिजरानी, सोनानदी और दोमुंडा। पर्यटन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा अनुमोदित वाहनों में आयोजित सफारियों में सिर्फ एक-दिवसीय परिदर्शनों की अनुमति है। सफारी के साथ वन विभाग द्वारा प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त एक गाइड जाता है। रातों में ठहरने के लिए धिकाला, गैराल और बिजरानी में तीन पर्यटन संकुल हैं जहां पसंद के आवासों का इंतजाम है। धिकाला में सबसे ज्यादा बिस्तर क्षमता है, जिसमें एक शयनागार भी शामिल है। मलानी, सुलतान, गैराला, सर्पदुली, खिनानौली, कांडा और झिरना में अवस्थित अन्य वन विश्रामालयों में पर्यटकों के लिए बुनियादी आवास उपलब्ध है। परिदर्शक लोहाचौड, रथुआधाब, हल्दु पराओ, मुंडियापानी, मोरघट्टी, सेंधीखाल और धेला में वन विश्रामालयों में भी ठहर सकते हैं।[26] इनके अलावा, रामनगर और धिकुली में कई सैरगाह, लॉज और हॉटल हैं जो उद्यान की सीमा पर अवस्थित हैं। अकेले धिकुली में पर्यटन प्रतिष्ठानों की अनुमानित संख्या 49 है जो 18 कि.मी. के दायरे में फैले हुए हैं।[27]

15 नवम्बर से 15 जून तक कोर्बेट पर्यटकों के लिए खुला रहता है। वर्ष के बाकी समय उद्यान की बंदी का मुख्य कारण यह है कि वर्षा के मौसम में सड़के बह जाती हैं। वर्षो के बाद मरम्मत का काम शुरू होता है और नवम्बर में जाकर सड़के मोटर गाड़ियाँ चलाने योग्य होती हैं।[28] वर्ष 2006-07 में कोर्बेट में पर्यटकों की संख्या 1,39,047 की जिनमें देशी पर्यटकों की संख्या 130.714 थी और विदेशी 8,333 ।[29]

पर्यटन के मुख्य मुद्दे

पिछले कई वर्षो में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में भारी संख्या में पर्यटक आये हैं। इतने अधिक पर्यटकों के आगमन के चलते प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव के लक्षण देखे जा सकते हैं। पर्यटकों द्वारा मिट्टी अत्यधिक कुचले जाने के चलते पौधों की प्रजातियों की संख्या घटी है और मिट्टी में नमी भी कम हुई है। पर्यटकों ने खाना पकाने के लिए जलावन के रूप में लकड़ियों

का अधिकाधिक इस्तेमाल किया है। यह एक चिंताजनक बात है क्योंकि पास के जंगलों से जलावन की लकड़ी हासिल की जाती है, जिसके फलस्वरूप उद्यान की वन पारिस्थितिकी प्रणाली पर बहुत दबाव पड़ता है।[30] इसके अलावा, पर्यटकों ने शोर मचाना, कूड़ा करकट फेंकना और अन्य प्रकार के शांतिभंग द्वारा समस्याएँ भी पैदा की है।[31]

1990 के दशक के प्रारम्भ में कोर्बेट के इर्दगिर्द निजी पर्यटन सैरगाहों का विकास शुरु हुआ। पहले जो पर्यटक कॉर्बेट आते थे वे गंभीर किस्म के होते थे, लेकिन बाद के वर्षो में पर्यटकों का स्वरूप काफी बदला है। अब मुख्यत: बड़े शहरों से आनेवाले इन पर्यटकों को वन्यजीव और प्रकृति में दिलचस्पी नहीं रहती है, बल्कि वे सिर्फ बाघ देखना चाहते हैं। कॉर्बेट में जिस ढंग से पर्यटन की व्यवस्था की जाती है उससे यह धारणा बनती है कि कॉर्बेट पर्यटन उद्योग की चीज है। पर्यटकों को बातें समझाने के लिए कोई ढंग का केन्द्र नहीं है। कॉर्बेट के चारों तरफ (प्रवासी) गलियारे सैरगाहों के फैलने के चलते जाम हो गये हैं। इसके चलते मनुष्यों और जानवरों के बीच का विरोध बढ़ा है।

सैरगाहों ने कोर्बेट के चारों तरफ गाँवों को विस्थापित किया है और कई मामलों में अनुसूचित जनजातियों की जमीन सरकार की मिलीभगत से सैरगाहों द्वारा खरीद ली गयी है। सैरगाहों से काफी बड़ी मात्रा में मलजल कोसी नदी में डाल दी जाती है। सप्ताहांतों के दौरान और अन्य छुट्टियों के समय (जब पर्यटकों की भीड होती है) सैरगाहों में जोर-जोर से संगीत प्रसारित होता है जो स्थानीय लोगों और जंगल में जानवरों के लिए शांतभंग करता है।

- 8 नवम्बर, 2008 को रामनगर में पत्रकार, गणेश रावत के साथ व्यक्तिगत बातचीत

पर्यटन के मौसम में कॉर्बेट में प्रतिदिन करीब 3000 पर्यटक आते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग बाजार नहीं जाते हैं और सैरगाहों में ठहरते हैं। तो फिर पर्यटन से स्थानीय लोगों के लाभान्वित होने की बात कहाँ उठती है! स्थानीय लोगों के लिए एक ही अवसर है उद्यान के अंदर जिप्सियां (सफारी वाहन) चलाना, और उनमें से कुछ गाइडों के रूप में नियुक्त होते हैं। कॉर्बेट में पर्यटन बहुत खर्चीला है और कम बजट वाले पर्यटकों की पहुँच के बाहर है। इसलिए कम बजट वाले पर्यटकों के लिए भी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में स्थानीय पंचायत को जोड़कर रामनगर में घरों में ठहरने की सुविधा बनानी चाहिए। कुमाऊँ मंडल विकास निगम द्वारा इसका विपणन किया जा सकता है।

कॉर्बेट के चारों तरफ जमीन का मुद्दा गंभीर है। उत्तराखण्ड में नियम यह है कि उत्तराखण्ड के बाहर से लोग वहां जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति हासिल किये बिना तथा स्पष्ट रूप से कारण बताये बिना 100 वर्ग मीटर से अधिक जमीन नहीं खरीद सकते हैं; 100 वर्ग मीटर तक जमीन बिना अनुमति के खरीदी जा सकती है; धिकुली, माराचूला (रामगंगा नदी के पास) और धेला में बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद-बिक्री हुई है। जमीन की कीमत बढ़कर 40,00,000 रु. प्रति बीघा[32] हो गयी है जो दस वर्ष पहले मात्र करीब 50,000 रु. प्रति बीघा थी।

सरकार सिर्फ सैरगाह मालिकों की बात सुनती है, स्थानीय लोगों की नहीं। अपनी बात सुनाने के लिए स्थानीय लोगों को सड़कें जाम करना होता है जबकि सरकारी अधिकारी सैरगाहों में बैठे रहते हैं और उनके मुद्दों का निपटारा करते हैं। किसी भी सैरगाह मालिक को इलाके के शिक्षा, परिवहन आदि विकास संबंधित मुद्दों पर विचार करने में दिलचस्पी नहीं है, जिनसे वे भी लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार, वन विभाग सैरगाह मालिकों के साथ बातचीत करेंगे लेकिन स्थानीय व्यापारी संघ के साथ नहीं।

18 नवम्बर 2008 को रामनगर में उत्तराखण्ड प्रभात टाइम्स के संपादक प्रभात ध्यानी के साथ व्यक्तिगत बातचीत।

जब कोर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के परिसरों में धिकुली में एक बाघ में एक औरत को मार दिया था तब यह बात उठायी गयी थी कि मनुष्य-जानवर के बीच विरोध के लिए पर्यटन उत्तरदायी है। एक अखबार में खबर छपी कि "मृत्यु के तीन दिन पहले आरक्षित क्षेत्र के बफर अंचल में प्रवेश की हुई एक महिला को मार डालने के बाद बाघ को मानवभक्षी घोषित कर दिया गया। बाघ ने दो मोटर साइकिल सवारियों पर भी हमला किया है, इससे निपटने के लिए हमारे सामने सभी विकल्प खुले हैं। अगर उसे नहीं पकड़ा जा सकता है तो उसे खतम किया जा सकता है," कॉर्बेट व्याघ्र आरक्षित वन के निदेशक विनोद सिंघल ने कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि यह मनुष्यों द्वारा पैदा की हुई समस्या है। वे कहते हैं कि "वह खास बाघ (पर्यटकों को ढोते) हाथियों को बर्दाश्त नहीं

करता था और उन पर हमला बोल देता था। धीरे-धीरे मनुष्यों से उसका डर मिट गया। उद्यान के चारों तरफ पर्यटन एक समस्या है। आदर्श स्थिति तो यह होगी कि इसे रोका जाये।"[33] मृत महिला, भगवती देवी के पति बी.सी.नैनवाल ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा, "सरकार की नीतियों के चलते बाघ जनता के गुस्से का शिकार हुआ..... बाघ चार-पाँच महीनों से धिकुली के पास भटक रहा था। यहाँ सैरगाहों द्वारा आयोजित हाथी सफारियाँ इसका मुख्य कारण है। पता चला है कि वे बाघ के सामने माँस फेकते थे ताकि बाघ नजर में आये।"[34]

मध्यप्रदेश

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान

कान्हा भारत के सबसे पुरानी वन्यजीव आश्रयणियों में से एक है और यह मांडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। 1879 में इसे आरक्षित वन घोषित किया गया और 1933 में इसे वन्यजीव आश्रयणी के रूप में अपग्रेड किया गया। उसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और फिर 1973 में उसे एक व्याघ्र आरक्षण वन घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल 944 वर्ग कि.मी. है जो कान्हा व्याघ्र आरक्षण वन का मुख्य अंचल है; उसके चारों तरफ 1009 वर्ग कि.मी. का एक बफर अंचल है। पड़ोसी 110 कि.मी. क्षेत्रफल की फेन वन्यजीव आश्रयणी कान्हा व्याघ्र आरक्षण वन का मुख्य लघु क्षेत्र (माइक्रो कोर) है। 1969 और 1998 के बीच 27 गाँवों को उद्यान के मुख्य अंचल से हटा कर पुनर्स्थापित किया गया।[35]

1 अक्टूबर से 30 जून तक उद्यान पर्यटकों के लिए खुला रहता है, और जुलाई से सितम्बर तक मानसून के महीनों में उद्यान बंद रहता है। उद्यान में दो प्रवेश बिन्दु हैं - खटिया और मक्की। पर्यटकों को दो दलों में अंदर जाने दिया जाता है। एक सुबह 6.30 बजे से 10.30 बजे तक और दूसरा दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक। सिर्फ पिछले 5 वर्षो में निर्मित 4-पहिया ड्राइव वाले हल्के पेट्रोल और डीजल वाहनों को उद्यान में जाने दिया जाता है।[36] हरेक वाहन के साथ वन विभाग द्वारा प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त एक गाइड का जाना जरूरी है। एक दिन में कुल 140 वाहनों को अनुमति दी जाती है। अधिकतर वाहनों के मालिक स्थानीय हैं।

दोनों सरकारी और निजी प्रतिष्ठान पर्यटकों के लिए आवास की व्यवस्था करते हैं। कुछ सरकारी लॉज उद्यान के अंदर अवस्थित हैं, जबकि निजी लॉज प्रवेश स्थलों, खटिया और मक्की, के आस-पास हैं।[37] वन विभाग के अनुसार 500 बिस्तरों की व्यवस्था है। वर्ष 2007 में 97,258 देशी पर्यटक कान्हा में आये और 8,573 विदेशी पर्यटक[38]।

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान

बांधवगढ़ बाघों के लिए एक उत्कृष्ट निवास क्षेत्र रहा है और बताया गया है कि दुनिया में बाघों की सबसे सघन आबादी यहीं है। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 105 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान के बाकी हिस्से, 343.842 वर्ग कि.मी. को अभी तक घोषित नहीं किया गया है हालांकि राज्य सरकार ने 1982 शुरुआती अधिसूचना जारी की थी। 245.847 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल वाले पानपाथा आश्रयणी को 1983 में घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान के महत्व को ध्यान में रखते हुए उसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क में शामिल किया गया। इससे सटी हुई पानपाथा आश्रयणी को भी आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया।[39] यह मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में अवस्थित है।

कान्हा की तरह, यह उद्यान भी 1 अक्टूबर से 30 जून तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है, और यह जुलाई से सितम्बर तक मानसून के महीनों में बंद रहता है। पर्यटन की अनुमति ताला के 105 वर्ग कि.मी. तक ही है जो उद्यान के क्षेत्रफल का 23.4 प्रतिशत है। पर्यटन का क्षेत्र तीन अंचलों में विभाजित है और हरेक अंचल में सीमित संख्या में वाहनों के प्रवेश की अनुमति है। इसमें दो प्रवेश बिन्दु हैं : ताला और गोहरी गेट । सुबह शाम दो दलों में पर्यटकों को अंदर जाने दिया जाता है - सुबह 6.30 बजे से 10.30 बजे तक, और दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक। प्रतिदिन करीब 50 वाहनों को अंदर जाने दिया जाता है।[40] उद्यान में सिर्फ पिछले 5 वर्षो में निर्मित 4-पहिया ड्राइव वाले हलके पेट्रोल और डीजल वाहनों को जाने दिया जाता है[41] और उनके साथ वन

विभाग द्वारा प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त एक गाइड का जाना जरूरी है। अधिकतर वाहनों के मालिक स्थानीय लोग और सैरगाह मालिक हैं।

जब वन्यजीव पर्यटन की सनक बढ़ी तो पर्यटन शुरू हुआ। शुरू में 1980 के दशक में पर्यटकों की संख्या प्रतिवर्ष 1000 से कम थी। धीरे-धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ती गयी। 1990 के दशक में संख्या 2000 तक बढ़ी और पिछले साल (2007) पर्यटकों की संख्या प्रति वर्ष 60,000 तक बढ़ गयी। इनमें से करीब 20,000 विदेशी थे और बाकी देशी। सप्ताहांतों और छुट्टियों के दिन पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक रहती है। अभी वहन क्षमता अध्ययन के आधार पर पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगायी गयी है।[42] जनवरी 2008 से उद्यान ने सफारियों के लिए इंटरनेट पर बुक करना शुरू किया है। वर्ष 2007 में बांधवगढ़ में 55,835 देशी और 13,706 विदेशी पर्यटक आये ।[43]

वनविभाग द्वारा संचालित वन विश्राम गृह में तथा मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित श्वेत व्याघ्र वन लॉज में ठहरने की व्यवस्था है।[44] ताला-रंछा (चार सैरगाह), ताला (15 सैरगाह) ताला-बिझेरिया (9 सैरगाह) और गोहरी गेट (एक सैरगाह) के इलाकों में निजी र्प्यटन प्रतिष्ठान अवस्थित हैं।[45] 6 नये होटल बन रहे हैं जो 2009 में चालू हो जायेंगे।[46]

पर्यटन संबंधी मुख्य मुद्दे

स्थानीय लोगों को मुख्यतः गाइडों और सफारी वाहन ड्राइवरों का काम मिलता है[47]। गाँवों में 57 गाइड और लगभग 80-90 सफारी वाहन हैं जिनके मालिक स्थानीय ग्रामीण और सैरगाह हैं। आसपास के गाँवों से गाइडों का चयन किया जाता है। बफर अंचल में करीब 5 कि.मी. की परिधि में करीब 166 गाँव हैं।[48] पर्यटन के मौसम में गाइड प्रतिदिन 150 रु. कमा लेते हैं और सफारी वाहन के ड्राइवर प्रतिमाह करीब 2000 रु. कमाते हैं। पर्यटक बख्शीश के रुप में उनको अच्छी रकम देते हैं।[49]

होटलों और सैरगाहों में उनको हेल्परों और कक्ष सेवकों का काम मिलता है।[50] कुछ लोगों को सैरगाहों में सफाई और घास काटने का काम मिलता है।[51] ग्रामीणों को वन विभाग में जल स्रोत प्रबंधन और आग से बचाव जैसी गतिविधियों में मजदूर का काम मिलता है।[52] कभी-कभी ताज जैसे सैरगाह [53] और अन्य सैरगाह आदिवासी नृत्यों का आयोजन करते हैं जहाँ स्थानीयों को एक प्रदर्शन के लिए 700-1000 रु. तक मिलते हैं।[54]

स्थानीय लोगों का मुख्य पेशा खेती है और पर्यटन के मौसम में लोग होटलों और सैरगाहों में रोजगार पाने की कोशिश करते हैं। इसलिए, खेती में मजदूरों की उपलब्धता घट जाती है। पर्यटन के मौसम में लोग करीब 15-20 दिन काम करते हैं और तब उनकी मासिक आय औसतन दुगुनी होकर 2000 रु. से 4000 रु. हो जाती है। इसके फलस्वरूप स्थानीय लोगों के पास खर्च के लिए पैसा रहता है जिसे वे अब दारू पीने पर खर्च करते हैं। इलाके के व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में पुरुषों की तुलना में महिलाएं श्रम में अधिक लगी रहती हैं (खेती और अन्य कार्य)। लेकिन निर्माण के चरण को छोड़कर बाकी समय वे होटलों में काम नहीं करती हैं। होटलों में काम करना औरतों के लिए सामाजिक रूप से वर्जित माना जाता है।[55] कुलमिलाकर अधिकतर नौकरियाँ (मैनेजर, ऑफिसकर्मी, वेटर) गैर-स्थानियों को दी जाती हैं।[56] पर्यटन प्रतिष्ठान स्थानीय बाजारों से सामग्रियाँ नहीं खरीदते हैं।[57] इसलिए पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत कम फायदा होता है।

कई पर्यटन प्रतिष्ठान गर्म करने और पकाने के लिए जलावन लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं और पर्यटकों के लिए कैंप फायरों की व्यवस्था करने के लिए भी।[58] स्थानीय लोग जंगलों से जलावन की लकड़ी जमा करते हैं और पर्यटन प्रतिष्ठानों को बेचते हैं।[59] चूँकि अभी भी बहुत से पर्यटन प्रतिष्ठानों का निर्माण चल रहा है, इसलिए ईंटों की काफी माँग है। ईंटा भट्ठे भट्ठों के लिए टिंबर का इस्तेमाल करते हैं और स्थानीय लोग जंगल से यह लकड़ी ले आते हैं।[60] पर्यटन प्रतिष्ठान के निर्माण में भी काफी बाँसों और बल्लियों का उपयोग होता है, जिनको मुख्यतः वैसे वन क्षेत्रों से लाया जाता है जो राष्ट्रीय उद्यान के दायरे में नहीं आते हैं।[61] इसके चलते इलाके में वनस्पति का आच्छादन घट गया है।

प्लास्टिक की थैलियाँ, लिफाफे, रैपर, बोतल, चायकप और गिलास जैसे जैविक रूप में विघटित नहीं हो सकने वाली चीजों से स्थानीय परिवेश के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या पैदा हो गयी है। प्लास्टिक थैलियों को खाने के चलते घरेलू और जंगली

जानवरों की मृत्यु भी हुई है।[62] अकसर इन थैलियों में रखी खाद्य पदार्थो को खाने के बाद बची-खुची सामग्री को थैलियों के साथ फेक दिया जाता है। जानवर उनके गंध से आकर्षित होते हैं और थैलियों से खाद्य पदार्थ नहीं निकाल पाने के चलते जानवर पूरी थैली खा जाते हैं।

छत्तीसगढ़

अचानकमार वन्यजीव आश्रयणी

अचानकमार वन्य जीव आश्रयणी की स्थापना 1975 में की गयी और इसका श्रेत्रफल 557.55 वर्ग कि.मी. है।[63] इसमें अधिकतर आगंतुक दिन में आने वाले पर्यटक हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा संचालित और प्रबंधित एक गेस्ट हाउस है।

यहाँ एक सूचना/दुभाषिया केन्द्र और एक काफे (रेस्त्रां) है जहाँ जंगलों, पशु-पक्षियों के चित्र प्रदर्शित हैं। यहां जंगल रिसोर्ट नामक एक सैरगाह है जिसका मालिक बिलासपुर के एक डॉ. अनीष देशकर हैं। यह सैरगाह वन्यजीव आश्रयणी के अंदर है। इसमें तीन कमरे हैं और उनमें क्रमशः 3,4 और 6 बिस्तर हैं और अक्टूबर से जनवरी तक के व्यस्ततम पर्यटन मौसम के दौरान अधिकतर बंगाली पर्यटक इस सैरगाह का इस्तेमाल करते हैं। अधिकारियों से अचानकमार में पर्यटकों की संख्या के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

बरनवापाड़ा वन्यजीव आश्रयणी

छत्तीसगढ़ के महासमुंद्र जिले के उत्तरी भाग में अवस्थित बरनावापाड़ा वन्यजीव आश्रयणी क्षेत्र की सर्वोत्तम और सबसे महत्वपूर्ण आश्रयणियों में से है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत 1976 में स्थापित यह आश्रयणी तुलनात्मक रूप से छोटा है और इसका क्षेत्रफल सिर्फ 245 वर्ग कि.मी. है।[64]

बरनवापाड़ा में वर्ष में करीब 25,000 पर्यटक आते हैं। अधिकतर पर्यटक दिन में आकर जाने वाले हैं। पूसपुन्नी मेला (हर साल 31 जनवरी को होने वाला स्थानीय त्योहार) के दौरान करीब 70,000 पर्यटक निजी वाहनों में आते हैं। वर्ष 2007-08 में बरनवापाड़ा में पर्यटन से 15,60,000 रु. की आय हुई।[65]

करीब 40-45 स्थानीय युवाओं को गाइड़ों के रूप में प्रशिक्षित किया गया और उनकी फीज प्रति ट्रिप/प्रतिघंटे 60 रु. है। उनको खुद का परिचय देने, खाद्य पदार्थो, पानी के बोतलों, पैक सामग्री और प्लास्टिक थैलियों को वन में ले जाने से रोकने और पर्यटकों को वाहनों से उतरने से रोकने का प्रशिक्षण दिया जाता है। गाइड अधिकतर स्थानीय नामों से पक्षियों और पेड़-पौधों के बारे में बता सकते हैं लेकिन विदेशी पर्यटकों के साथ संवाद करना उनके लिए कठिन है क्योंकि वे अंग्रेजी नहीं जानते हैं।[66]

पर्यटन से संबंधित मुख्य मुद्दे

कान्हा और बांधवगढ़ जैसे राष्ट्रीय उद्यानों स्थानों की तुलना में यहाँ पर्यटन कम है। इसलिए इन वन्यजीव आश्रयणियों में पर्यटन के खास बड़े प्रभाव नहीं हैं। अचानकमार वन्यजीव आश्रयणी के अंदर एक निजी सैरगाह की मौजूदगी एक चिंताजनक विषय है और यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (चित्र 2 देखें) का स्पष्ट उल्लंघन है। लेकिन पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास में छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने बरनवापाड़ा वन्यजीव आश्रयणी से सटे वनक्षेत्र में एक विलासपूर्ण सैरगाह का निर्माण किया है। इसके बारे में एक अध्ययन में यह वर्णित है।

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने बरनवापाड़ा वन्यजीव आश्रयणी (चित्र 3 देखें) के परिसरों में एक "पारिस्थितिकी सैरगाह" का निर्माण पूरा किया है। जमीन छत्तीसगढ़ वन विकास निगम की है। निर्माण की कुल लागत 2.16 करोड़ है। सैरगाह में दो खंडों में 6 कोटेज हैं और 24 बिस्तरों की क्षमता है। साथ ही एक स्वागत केन्द्र, रेस्त्रां और कर्मचारी आवास हैं। 10 कि.वा की सौर इकाई से सैरगाह में बिजली की सप्लाई की जाती है और 15 लाख रु. की लागत से इसे बैठाया गया है। बिजली के स्रोत के रूप में सौर संयंत्र लगाने का कारण यह है कि यहां बिजली का दूसरा कोई स्रोत नहीं है। सैरगाह को संचालन और प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड को सौंपा गया है। इस सम्पत्ति का निजीकरण करने पर विचार किया जा रहा है।[67] छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड मानता है कि सार्वजनिक-

चित्र 2 :
जंगल सैरगाह का एक दृश्य, अचानकमार वन्यजीव आश्रयणी
स्रोत : इक्वेशन्स, 2008

निजी साझेदारी द्वारा निजीकरण एक अच्छा विकल्प होगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की मुख्य गतिविधि आधारभूत ढाँचे का सृजन करना और उसे चलाने के लिए निजीकर्ताओं को सौंप देना है। इससे निजीकर्ताओं को फायदे होंगे और राज्य को कर-संग्रह से फायदा होगा। बोर्ड का यह भी विचार है कि सरकार को होटल नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उसे आधारभूत ढाँचा और विपणन केन्द्रों का निर्माण करने में लगना चाहिए।[68]

मोहदा पारिस्थितिकी सैरगाह जंगल में एक झील के किनारे अवस्थित है जो सर्वसामान्य संपदा संसाधन हैं। वन भूमि का उपयोग गैर-वन प्रयोजनों के लिए करने को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत उसे चुनौती दी जा सकती है। यह परियोजना वनभूमि का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए करने का एक स्पष्ट मामला तो है ही, लेकिन अधिक गम्भीर मामला यह है कि इसे निजी कर्ताओं को हस्तांतरित किया गया है। इससे जंगल और जल-स्रोतों के सर्वसामान्य संसाधनों का उपयोग अब सिर्फ पर्यटकों के एकांतिक उपयोग और आनंद के लिए हो गया है, जबकि इसका उपयोग स्थानीय जनता द्वारा भी किया जा सकता था।

चित्र 3 : मोहदा पारिस्थितिकी सैरगाह के दृश्य,
बरनवापाड़ा वन्यजीव आश्रयणी
स्रोत : इक्वेशन्स, 2008

अंडमान द्वीप समूह

अंडमान द्वीप समूह में महात्मा गाँधी समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन के मुख्य अवस्थान हैं : पोर्ट ब्लेयर, वांडूर, रॉस आइलैंड, नॉर्थ बे, माउंट हैरियेट, चिडियाटापू, बडाटांग, डिगलीपुर, हैवलॉक, नील, मायाबंदर, रंगत और जॉली बॉय । 2006 में अंडमान द्वीप समूह में 1,18,648 देशी और 9,051 विदेशी पर्यटक आये।[69] वर्ष में विभिन्न मौसमों में देशी पर्यटकों की संख्या में खास फर्क नहीं रहता है, लेकिन नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में थोड़ा अधिक रहता है। लेकिन विदेशी पर्यटकों की संख्या खास तौर पर मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक की अवधि में अधिक रहती है[70]।

पर्यटन से संबंधित मुख्य मुद्दे :

अधिकतर देशी पर्यटकों के लिये अंडमान द्वीप समूह को छुट्टी बिताने के लिये चुनने का कारण केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी छुट्टी यात्रा रियायत है और विदेशी पर्यटकों के लिये अतीत के अनुभव और अन्य पर्यटकों की सिफारिशें हैं। अंडमान द्वीप समूह के बीच सागरतट और अक्षत प्राकृतिक सौंदर्य र्प्यटन के लिए अभिप्रेरक तत्व होता है लेकिन विदेशियों के लिये स्नोर्केलिंग और ड्राइविंग का भी महत्व है।

अंडमान द्वीपसमूह में पर्यटन के मुख्य सामाजिक मुद्दे यह हैं कि स्थानीय लोगों के अनुसार पर्यटन के चलते अनिवार्य वस्तुओं, फलों और सब्जियों के कीमतें बढ़ गयी हैं। विदेशी पर्यटकों के पहनावे पर भी उनको शिकायत है क्योंकि उनको डर है कि स्थानीय युवा पश्चिमी संस्कृति, मूल्यों और जीवनशैलियों की नकल करने लगते हैं। पर्यटन से औरतों को आर्थिक गतिविधियों में प्रवेश

करने के कुछ अवसर मिलते हैं हालांकि अभी भी उद्योग में पुरुषों की ही प्रबलता है। अभी बालश्रम बहुत ज्यादा दिखता नहीं है लेकिन अप्रवासी श्रमिकों के बढ़ने से बालश्रम बढ़ सकता है। अभी अंडमान द्वीप समूह में पर्यटन से संबद्ध वैश्यावृत्ति कम दिखाई पड़ती है। फिर भी लोगों को आशंका है कि यह भी बढ़ रही है। कुछ द्वीपों में पर्यटन से जुड़े अपराध बढ़े हैं। हालांकि ये छिट-पुट हैं और इसकी अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है। द्वीपों में पर्यटन के चलते मादक द्रव्यों का दुररुपयोग तथा बिक्री हो रही है। कमोबेश पर्यटक, खासकर औरतें, अंडमान द्वीपसमूह को पर्यटन का एक सुरक्षित केन्द्र मानते हैं (96.5 प्रतिशत देशी और 90.7 प्रतिशत विदेशी पर्यटक अंडमान द्वीपों को सुरक्षित मानते हैं)।[71]

लेकिन आदिवासी जनजातियों - जारवा जनजाति - पर पर्यटन का प्रभाव अत्यंत चिंताजनक बात है क्योंकि आज भी अंडमान ट्रंक रोड का इस्तेमाल जारी है, इस बात के बावजूद कि मई 2002 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने छह महीनों में उसे बंद करने के लिए आदेश जारी किया था। टूर ऑपरेटर, खास करके देशी पर्यटकों को 'आदिम, नंगे आदिवासियों' को दिखाने के लिए ले जाते हैं।[72] मुख्य चिंता की बात यह है कि जारवा लोगों को खसरा जैसी कई बीमारियों से प्रतिरक्षण प्राप्त नहीं हैं। अन्य लोगों से कोई भी सम्पर्क में आने से ऐसी बीमारियों के शिकार होने की उनकी संभावना बढ़ जाती है। जारवा लोगों के लिए हरेक बीमारी महामारी होती है जिससे बहुत-से लोगों की जानें चली गयीं।

लोगों में आम धारणा है कि पर्यटन से सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) और रोजगार में बढ़त होती है और इसी आधार पर पर्यटन के विकास के लिए नीति बनायी जाती है, लेकिन अंडमान द्वीप समूह में लगता है कि पर्यटन के प्रभाव से ऐसी कोई बढ़त नहीं हुई है। पिछले दो दशकों में पर्यटकों की संख्या में खासी बढ़ौतरी के बावजूद राज्य के सकल देशी उत्पाद पर्यटन का योगदान 8 प्रतिशत पर ठहरा हुआ है क्योंकि पर्यटक यहाँ बहुत कम खर्च करते हैं। पर्यटन से राजस्व कम होता है और यह कुल राजस्व का सिर्फ 1.4 प्रतिशत है। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार द्वीपों की कुल मुख्य श्रमशक्ति का 1.5% से कम है और श्रम शक्ति के कोई खास बडे प्रतिशत को पर्यटन में सुरक्षित नौकरी नहीं मिलती है। पोर्ट ब्लेयर या देश की मुख्य भूमि से लाकर कुशल श्रमिकों को नियुक्त करने का रुझान है। स्थानीय रूप से रखे गये श्रमिक सिर्फ कम हुनर वाले और मौसमी काम करने वाले हैं। पर्यटन में स्थानीय उद्यमशीलता का प्रमाण यह है कि पोर्ट ब्लेयर तथा अन्य द्वीपों में 50 प्रतिशत आवासों के मालिक स्थानीय हैं। पर्यटन ने आनुषंगिक उद्योग में कुछ नौकरियों का सृजन किया है, जैसे - ऑटो ड्राइवर, दुकान मालिक, गाइड लेकिन इनका काम मौसमी है।[73]

लेकिन अंडमान द्वीप समूह में पर्यावरण पर पर्यटन के भयानक प्रभाव पड रहे हैं। विकास की अन्य गतिविधियाँ भी चालू हो गयी हैं और अंडमान द्वीपों के प्राकृतिक संसाधनों और जैवविविधता पर आबादी के दबाव का असर दिखने लगा है। पर्यटन अधिकतर अनियंत्रित है और योजनाबद्ध नहीं है। इसके चलते शुद्ध जल की उपलब्धता पर दबाव बढ़ा है। पर्यटन का आधारभूत ढ़ांचा पारिस्थितिकीय स्थिति के अनुरूप नहीं है और बहुत ऊर्जा सघन है। कूडे के निपटारे और ठोस कूडे से प्रदूषण की एक गंभीर समस्या है। मलजल को सीधे समुद्र में मिला दिया जाता है और ठोस कूड़े को जमा किया जाता है और जलाया जाता है (चित्र 4 देखें)। भूमि आधारित विकास गतिविधियों और स्नोर्केलिंग जैसी पर्यटन की गतिविधियों का मूँगा चट्टानों पर प्रभाव पड़ा है। विकास गतिविधियों के चलते तलछट जमा होता है जो मूँगा चट्टानों को जाम कर देता है (मूँगा चट्टान फिल्टर फीडर का काम करते हैं) और स्नोर्केलिंग के चलते मूँगा चट्टानों को भौतिक क्षति होती है। सागरतट विनियमन अंचल अधिसूचना, 1991, और पर्यावरणीय प्रभाव आकलनों जैसे महत्वपूर्ण विनियमों को लागू नहीं किया गया है और पर्यटन लगातार इन विनियमों का उल्लंघन करता है। शेखर सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जारी किये गये उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन भी बहुत कम होता है। ये प्रभाव संगीन हैं और जलवायु परिवर्तन से प्रभावों के संदर्भ में इनको गंभीरता से लेना चाहिए, खासकर इसलिए कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव द्वीपों पर पड़ता है[74]।

राज्यों में पर्यटन संबंधी आम मुद्दे

संरक्षित क्षेत्रों के इर्द-गिर्द पर्यटन की वृद्धि का नियमन

राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव आश्रयणियों की सीमाओं पर पर्यटन प्रतिष्ठानों की बढ़ती संख्या चिंता का एक विषय है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 संरक्षित इलाकों में पर्यटकों को जाने की अनुमति तो देता है लेकिन वह स्पष्ट रूप से इन क्षेत्रों के अंदर

चित्र 4 : अंडमान द्वीप समूह के हैवलॉक द्वीप में ठोस कूड़ा डाले जाने वाले कई स्थानों में से एक (प्लास्टिक थैलियों, कवरों, रैपरों और बोतलों जैसे जैवरूप से विघटित नहीं हो सकने वाले ठोस कूड़े की भारी मात्रा पर ध्यान दें)
स्रोत : इक्वेशन्स, 2007

निजी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना का विरोध करता है। अभी संरक्षित इलाकों के परिसरों में बन रहे पर्यटन प्रतिष्ठानों की संख्या पर कोई नियमन या नियंत्रण नहीं है।[75] देश में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में शीर्षस्थ सलाहकार संस्था, भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने जनवरी 2002 में अपनी 21 वीं बैठक में यह संकल्प पारित किया था कि "राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव आश्रयणियों की सीमाओं से 10 कि.मी. तक की दूरी के अंदर स्थित भूमियों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3(V) और पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5 के उपनियम 5 (VIII) और (X) के तहत पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक अंचल के रूप में अधिसूचित करना चाहिए।" इसके बावजूद, कॉर्बेट, बांधवगढ़ और कान्हा जैसे प्रतिष्ठित प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के निकटतम परिसर में बड़ी संख्या में पर्यटन प्रतिष्ठान खड़े किये गये हैं। बरनवापाड़ा वन्यजीव आश्रयणी जैसे नये संरक्षित इलाकों के परिसरों में भी पर्यटन प्रतिष्ठान बनने लगे हैं।

मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम ने संरक्षित क्षेत्रों के चारों तरफ पर्यटन के लिए निजी निवेश को बढ़ाने के लिए एक स्कीम बनाया है। स्कीम "भारी संभावना और निवेशक-मित्र राजनैतिक-प्रशासनिक परिवेश वाले चुनिंदा अवस्थानों" में होटलों, सैरगाहों, मनोरंजन केन्द्रों, गोल्फ मैदानों आदि के लिए निवेश आमंत्रित करती है।[76]

मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम निजी निवेशकों के लिए भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था करेगा। उन्होंने कहा कि जिले के ग्यारह राज्यों में फैले भूखण्डों को चिन्हित करके एक भूमि बैंक बनाया गया है; ये जिले हैं : जबलपुर, उमरिया, छतरपुर, धार, इंदोर, टिकमगढ़, उज्जैन, भोपाल, पन्ना, सियोनी और नरसिंहपुर। इन जिलों में निर्दिष्ट क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिनमें से पूर्णस्वामित्व पर या सार्वजनिक-निजी साझेदारी के आधार पर 90 वर्षो के लिए लीज पर भूखण्ड दिये जायेंगे। निगम ने सैरगाहों और मनोरंजन केन्द्रों के निर्माण के लिए उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के इर्द-गिर्द भूमि बैंक बनाने के लिए जमीन चिन्हित किये हैं। जानवर, जरधोवा तारा, सकेरिया और आमझिरिया में पन्ना व्याघ्र आरक्षण वन से 10 कि.मी. दूरी के अंदर सैरगाह और होटलों के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध है और इसी प्रकार सियोनी में भी उपलब्ध है जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से 9 कि.मी. की दूरी पर है। निगम कीमती पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और आश्रयणियों के इर्द-गिर्द विश्वस्तर के आधारभूत ढ़ांचे का निर्माण करना चाहता है। निवेश योजना की कोशिश है कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव आश्रयणियों के यथासंभव नजदीक पर्यटन संबंधी आधारभूत ढ़ांचे के विकास को बढ़ावा दिया जाये। ऐसी योजनाएँ इस बात को ध्यान में नहीं लेतीं कि संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं पर पर्यटन के विकास का क्या प्रभाव पड़ेगा।

संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं पर बाडे नहीं लगाये गये हैं। संरक्षित क्षेत्रों के चारों तरफ के इलाकों में जमीन के विभिन्न उपयोग हैं - जंगल, कृषि भूमि या परती भूमि से लेकर मनुष्यों की बस्तियों और खनन जैसी सघन गतिविधियों तक। ऊपर से चर्चित संरक्षित क्षेत्रों के मामले में भूमि का उपयोग अधिकतर जंगलों, खेती और परती जमीन के रूप में किया गया है। जब वन्यजीवों को संरक्षित क्षेत्रों में भोजन और पानी कम उपलब्ध होता है तब वे इन चारों तरफ के इलाकों का उपयोग करते हैं। जब जीव जातियों की आबादी संरक्षित क्षेत्रों में बढ़ जाती है तब जानवरों में आसपास के इलाकों में फैलने की क्षमता होती हैं या अन्य निवास स्थलों में चले जाने से लिए इन इलाकों का उपयोग वे गलियारों के रूप में करते हैं।

संरक्षित क्षेत्रों के चारों तरफ पर्यटन प्रतिष्ठानों का विकास आसपास के इलाकों के उपयोग में बाघा डालता है और गलियारों से होते हुए अन्य वन या संरक्षित क्षेत्रों को जानवरों के प्रवास को रोकता है।[77] तब जानवर मनुष्यों की बस्तियों में प्रवेश करने के लिए मजबूर होते हैं जिससे जानवरों और मनुष्यों के बीच भिडंत की संभावना बढ़ती है। इन विरोधों के चलते संपत्ति क्षतिग्रस्त हुआ है और मनुष्य एवं पशु मारे गये हैं।

अन्य समस्याएँ हैं निवास-स्थलों को खोना और सड़कों के निर्माण जैसे आधारभूत ढ़ांचे के विकास के चलते निवास-स्थलों का विखंडन।[78] उद्यान के परिसरों में भीड़ लगाये हुए सैरगाह और उनकी बढ़ती संख्या कॉर्बेट में एक गंभीर समस्या बन गयी है जिसके चलते स्थानीय लोग इस मुद्दे पर जनहित मुकदमा दायर करने पर विचार कर रहे हैं।[79]

संविधान (73 वाँ) संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों की उपेक्षा

संविधान (73 वाँ) संशोधन अधिनियम, 1992 (जो 73 वाँ संशोधन के नाम से भी जाना जाता है) इस बात की अपेक्षा करता है कि केन्द्र से शक्तियों के विकेन्द्रीकरण और तृणमूल स्तरों को हस्तांतरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं की एक त्रि-स्तरीय प्रणाली का गठन किया जाये ताकि ये संस्थाएँ स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में काम करें। 73वाँ संशोधन यह भी अपेक्षा करता है कि भारत के सभी राज्यों की विधानसभाएँ भारतीय संविधान की अनुसूची-9 के तहत निर्दिष्ट मुद्दों पर निर्णय लेने की शक्तियाँ पंचायतों को सौपे ताकि वे भूमि सुधार, भूमि की उन्नति और सामुदायिक आस्तियों के रखरखाव और सामाजिक एवं आर्थिक विकास के अन्य कार्यो के लिए योजनाएं (स्कीमें) बनाये और उन स्कीमों को कार्यान्वित करे।[80] पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में यह निर्णय करने की भी शक्तियाँ दी गयी हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्रों में किस प्रकार का विकास करना चाहेंगे। राज्य की विधानसभा द्वारा बने कानूनों द्वारा उनको कर, चुंगी और शुल्क लगाने की शक्ति भी दी गयी है।

जब सरकारें, निजी निवेशक या कम्पनियाँ पर्यटन परियोजनाएँ या योजनाएँ बनाती हैं तब वे पंचायतों से सलाह-मशविरा नहीं करती है। पंचायतों को परियोजनाओं या योजनाओं के बारे में कार्यान्वयन के चरण में जाकर पता चलता है और तब तक विभिन्न विभागों से सभी प्रकार की मंजूरियाँ मिल चुकी होती हैं। बिजली विभाग और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट क्रमशः बिजली जलापूर्ति और मलजल निकासी संबंधी मंजूरियाँ देते हैं, जिला कलक्टर के स्तर पर भूमि आवंटन और रूपांतरण का मुद्दा निपटा जाता है और पंचायतों को जमीन के विषय में कोई अधिकार नहीं है, इस तरह पंचायतों की भूमिका सिर्फ एक औपचारिकता भर रह जाती है[81] जब भू-उपयोग के प्रयोजन को निर्दिष्ट करने के लिए पंचायतों को एक उद्देश्य-पत्र लिखा जाता है[82] और पंचायत से एक 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' के लिए अनुरोध किया जाता है। इस चरण में पंचायत इनकार नहीं करते हैं क्योंकि अन्य विभागों से मंजूरियाँ मिल चुकी होती हैं।

"स्थानीय पंचायतों के साथ कोई संवाद नहीं किया जाता है और किसी भी प्रकार की विकास-संबंधी गतिविधि पर विभाग खुद एकतरफा निर्णय लेते हैं। (सरकार या उद्योग) द्वारा बनायी गयी किसी भी परियोजना की जानकारी किसी को नहीं दी जाती है ..... जब 26 जुलाई, 2008 को मुख्यमंत्री ने एक पर्यटन सैरगाह (छत्तीसगढ़ वन विभाग का पारिस्थितिकीय पर्यटन से संबंधित एक उद्यम) का उद्घाटन किया, तब स्थानीय लोगों से कोई चर्चा नहीं की गयी; दरअसल स्थानीय लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने भी नहीं दिया गया। कम से कम गाँव के मुख्य लोगों को निमंत्रित किया जा सकता था लेकिन वह भी नहीं किया गया। विडंबना यह है कि उद्घाटन कार्यक्रम की विषयवस्तु ही थी 'जनता को सुपुर्दगी' और जनता को ही निमंत्रित नहीं किया गया। मुख्यमंत्री अपने करीब 20 काबीना मंत्रियों के साथ आये थे। यह उचित होता कि वे कुछ गाँव गये होते और उनके हालात के बारे में पूछताछ करते ..... (बरनवापाड़ा वन्यजीव आश्रयणी के) परिसरों में कई पर्यटन सैरगाह अवस्थित हैं और छत्तीसगढ़ वन विभाग ने अनुमति दी है। (इसका कारण यह है कि) जमीन का मालिक सरकार है।"

- बरनवापाड़ा वन्यजीव आश्रयणी, छत्तीसगढ़ में लोरिदखार गाँव के पंचायत प्रधान श्री निरंजन।[83]

"पंचायतों की भूमिका एक औपचारिकता है ..... जमीन के मामले में सारे काम रजिस्ट्रार के स्तर पर किये जाते हैं और पंचायतों के लिए कोई भूमिका नहीं है।"

-बांधवगढ़ मध्यप्रदेश, में ताला ग्राम पंचायत के सरपंच श्री राजेश सिंह।[84]

"मैं बड़े पैमाने का पर्यटन नहीं चाहता हूँ और नील में सीमेंट से निर्माण और बहुत बड़े सैरगाहों का निर्माण नहीं चाहता हूँ। पंचायत को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि उनकी जमीन बाहर से आये उद्योगपतियों को नहीं बेची जाये। पंचायत द्वीप में पर्यटन विकास करने की योजनाओं के संदर्भ में असहाय है। सागर तटों पर स्वच्छता कायम रखने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। प्रशासन को फंड देना चाहिए या रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।"

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नील द्वीप के प्रधान, रामकृष्ण विशवास।[85]

73 वें संशोधन को लागू करने के मुद्दे में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की विशेष प्रासंगिकता है क्योंकि यह अनुसूची-5 के इलाकों की श्रेणी में आता है। अनुसूची-5 के माध्यम से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासीजनों को रक्षण देता है और उनको स्वशासन का अधिकार देता है। वह गैर-आदिवासी जनों के आदिवासीजनों की भूमियों के हस्तांतरण की अनुमति नहीं देता है। अनुसूचित क्षेत्रों में सहभागी अभिशासन की प्रणाली को बेहतर करने के उद्देश्य से अनुसूचित क्षेत्रों को पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम, 1996 के माध्यम से 73वाँ संशोधन अनुसूची-5 के क्षेत्रों में प्रयोज्य है। भारतीय संविधान अनुसूची-5 के माध्यम से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों को विस्तार) अधिनियम, 1996, (पेसा) के साथ मिलकर आदिवासियों के भूभागीय अखंडता और खुद के विकास के मार्ग का निर्णय करने के उनके अधिकारों को पुष्ट करता है। इस अधिनियम को पारित करने के एक वर्ष के अंदर, यानी 24 दिसम्बर, 1997 तक, अनुसूचित क्षेत्रों वाले सभी राज्यों को अपने मौजूदा पंचायत राज अधिनियमों में संशोधन करके उसमें पेसा के प्रावधान को शामिल करना था। पेसा अधिनियम आदिवासी इलाकों की परम्परागत और रिवाजी कानूनों को मान्यता देते हुए ग्रामसभाओं को निम्नलिखित आदेश देता है:[86]

(क) ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए गाँव की योजनाओं और परियोजनाओं का अनुमोदन करो।

(ख) गरीबी कम करने के कार्यक्रमों के लिए लाभुकों का चयन करो।

(ग) आदेशित गतिविधियों के लिए पंचायत द्वारा उपयोग की गयी निधियों के लिए प्रमाण-पत्र जारी करो, जिससे ग्राम सभा आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक शक्तिशाली साधन बनेगा ।

(घ) अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी जमीन का अधिग्रहण करने के पहले या परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के पहले उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श करना होगा।

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दो तहसीलों में फैला हुआ है - मांडला जिले में बिछिया तहसील और बालाघाट जिले में बैहर तहसील (चित्र 5 देखें)। पूरा मांडला जिला और बैहर तहसील अनुसूची-5 के अंतर्गत आते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर और चारों तरफ पर्यटन का विकास अनुसूची-5 के क्षेत्रों में संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का एक उदाहरण है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मामले में देखा गया है कि पर्यटन के प्रतिष्ठान साल-दर-साल अधिकाधिक बढ़ते जा रहे हैं। दोनों खटिया गेट और मक्की गेट पर करीब 70 पर्यटन प्रतिष्ठान हैं - खटिया गेट के पास 40 और मक्की गेट के पास 30 । स्थानीय क्षेत्र में जमीन की बिक्री लगातार जारी है और निवेशक लोग होटलों, सैरगाहों और लॉजों (चित्र 6 देखें) जैसे पर्यटन प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिए जमीन खरीद रहे हैं।

चित्र-6 में जमीन की बिक्री के लिए एक विज्ञापन दिखाया गया है जिसमें दावा किया गया है कि यह एक सामान्य श्रेणी की जमीन है (यानी यह अनुसूची-5 के क्षेत्र में नहीं है)। लेकिन विधि और न्याय मंत्रालय[88] द्वारा जारी एक केन्द्र सरकार का आदेश[87] स्पष्ट रूप से कहता है कि पूरा मांडला जिला और बालाघाट में बैहर तहसील अनुसूची-5 के क्षेत्र में आते हैं। इसलिए बिक्री के लिए विज्ञापित जमीन का समान्य श्रेणी का होने और गैर-अनुसूची-5 का इलाका होने की बात झूठ है। ऐसा संभावना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के चारों तरफ अवस्थित पर्यटन प्रतिष्ठानों के लिए की गयी अधिकतर जमीन की खरीद-बिक्री असंवैधानिक और अवैध है। लेकिन यह धडल्ले से हो रहा है।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन इकाइयों और आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के लिए आधारभूत ढ़ांचे की स्थापना और विस्तार के लिए निवेशकों को प्रोत्साहन दे रही है। इस प्रोत्साहन योजना में सरकार अनुसूची-5 के क्षेत्रों - काँकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया, सरगुजा और जसपुर जिले - में पर्यटन की इकाइयाँ स्थापित करने के लिए निमंत्रण दे रही है। इस स्कीम के तहत, एक उच्च स्तरीय कमिटी "पर्यटन की पहल के रास्ते के सभी अवरोधों को दूर करके'' पर्यटन परियोजनाओं को "जल्दी अनुमोदन"

चित्र 5 : मध्यप्रदेश के अनुसूची-5 के क्षेत्रों में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की जगह
स्रोत : www.indiabiodiversity.org

चित्र 6 : कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास
जमीन की बिक्री के लिए विज्ञापन
स्रोत : इक्वेशन्स, 2008

दिलायेगी।[89] छत्तीसगढ़ सरकार अनुसूची-5 के क्षेत्रों में पर्यटन की इकाइयाँ बैठाने के लिए कर में 100% छूट दे रही है। जमीन के हस्तांतरण की अनुमति नहीं होने पर भी, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने नयी पर्यटन परियोजनाओं के लिए निवेशकों को जमीन पर 50 प्रतिशत की छूट देने और पर्यटन के लिए निवेशकों को जमीन आवंटन की प्रक्रिया को सरल करने की पेशकश की; नाजुल भूमि को चिन्हित करके भूमि बैंक बनाये जायेंगे[90] और उनको पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दिया जायेगा, जो विकासकर्त्ताओं को 33 वर्षो की अवधि के लिए जमीन लीज पर देगा। इसी प्रकार अधिकतम 20 लाख की पूँजी निवेश पर 15% का अनुदान देकर अनुसूचित क्षेत्रों में पर्यटन के लिए आधारभूत ढ़ाँचा परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।[91] स्थानीय आदिवासी आबादी के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी सलाहकार परिषदों की अपने क्षेत्रों में पर्यटन विकास के संदर्भ में कोई भूमिका नहीं है। अनूसूचित क्षेत्रों में इनमें से किसी भी चीज की अनुमति नहीं है और लगता है कि आदिवासियों को अधिकारों और स्वायत्तता दिलाने की जिस भावना के आधार पर इस राज्य का गठन किया गया था, उस भावना को सीधे उन्हीं लोगों द्वारा तिलांजलि दे दी गयी है जिनको उन अधिकारों की रक्षा करनी है और अधिकारों को सुनिश्चित करना है।

5. निष्कर्ष

राज्य सरकारें और पर्यटन उद्योग सक्रिय रूप में पर्यटन के लिए काम कर रहे हैं। सौंदर्य बोध की दृष्टि से आकर्षक भूदृश्यों और वन्यजीव जैसे आकर्षणों वाले प्राकृतिक क्षेत्र पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण वस्तुएँ हैं। अकसर प्रकृति के इस रूप पर आधारित पर्यटन को पारिस्थितिकी पर्यटन और वन्यजीव पर्यटन जैसे आकर्षक नाम दिये जाते हैं।

इस तरह दिखाया जाता है कि पारिस्थितिकी पर्यटन से पर्यावरण के संरक्षण में फायदा होगा और स्थानीय लोगों को फायदे होंगे। लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य निजी निवेश और संसाधनों का निजीकरण है। उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान द्वीपों की पर्यटन नीतियाँ इस प्रकार के पारिस्थितिकी पर्यटन विकास के उदाहरण हैं।

उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान द्वीप समूहों में पर्यटन ने संवैधानिक प्रावधानों की उपेक्षा की है। उसने पंचायत के अधिकारों को निर्णय के अधिकारों के दायरे से बाहर रखकर उनकी उपेक्षा की है और तद्वारा 73वें संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन करते हुए जमीन जैसे संसाधनों को अपने कब्जे में ले लिया है। उसने उन सामूहिक संपदा संसाधनों को भी हड़पा है, जो आदिवासी और स्थानीय समुदायों के निर्वाह और आजीविकाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए पर्यावरण का संरक्षण करने और आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करने के उसके दावे खोखले हैं और उन दावों को पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा, अभी पर्यटन को वैसे इलाकों में बढ़ाया जा रहा है जहाँ आदिवासी और स्थानीय समुदाय भूमि, स्वायत्तता और वैसे संसाधनों की उपलब्धता के बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं जिन पर उनकी आजीविकाएं निर्भर हैं। कान्हा जैसी जगहों में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

पर्यावरण का संरक्षण करने और स्थानीय लोगों को लाभान्वित करने के पर्यटन के दावे तो पूरे नहीं किये गये, फिर भी वह उन्हीं खोखले वादों और रोजगार सृजन और उसके फलस्वरूप गरीबी कम करने की भारी संभावना के दावे के साथ नये-नये इलाकों में बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके लिए स्थानीय संसाधनों, आजीविकाओं, पर्यावरण, संस्कृति, महिलाओं और बच्चों को कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। पर्यटन परियोजनाओं में स्थानीय भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी के अभाव और स्थानीय शिकायतों एवं विकास की जरूरतों के प्रति सरकार की उदासीनता के चलते एक अविश्वास, भय और विरोध का वातावरण बनने लगा है। पर्यटन वैसी ही अन्य किसी गतिविधि जैसी बन रही है जो बहुत लोगों की कीमत पर चंद लोगों को लाभान्वित करता है।

पहले के खराब काम को देखते हुए, सरकारों द्वारा लोगों के अधिकारों से ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा देने को अधिक महत्व दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इन इलाकों में पर्यटन की योजना बनाते समय 73वें संशोधन और अनुसूची-5 के क्षेत्रों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और पेसा अधिनियम को पूरी तरह लागू करने कि जरूरत है।

अंतिम टिप्पणी :

1. अनुसूचित क्षेत्रों का अर्थ है "..... ऐसे क्षेत्र जिनको राष्ट्रपति आदेश जारी करके अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं"। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी (जनजाति) आबादी की प्रबलता है और वहां आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता दिया गया है। केन्द्रीय एवं राज्य के कानून स्वतः अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं। इन इलाकों में जमीन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद-244 (1) भाग ठ खण्ड 5(2) में बताया गया है कि राज्यपाल को ऐसे विनियम बनाने की शक्ति है जो अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा गैरआदिवासियों को जमीन के हस्तांतरण का निषेध या प्रतिबंधित करता है, और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का नियमन भी करता है।
2. गढ़वाल मंडल विकास निगम, http://www.gmvnl.com/newgmvn/facts/index.aspx. अप्रैल 2009 में देखा गया।
3. http ://en.wikipedia.org/wiki/ Uttarakhand
4. http ://en.wikipedia.org/wiki/ Uttarakhand
5. http ://en.wikipedia.org/wiki/ Uttarakhand
6. रावत, 1999 "दी पीपुल ऑफ उत्तराखण्ड", http://uttarakhand.prayga.org/info4.html - अप्रैल 2009 में देखा गया।
7. http ://www. mpinfo.org/mpinfonew/english/factfilemp.asp - अप्रैल 2009 में देखा गया।
8. मध्यप्रदेश वन विभाग, http ://mpforest.org//forest.html - अप्रैल 2009 में देखा गया।
9. मध्यप्रदेश वन विभाग, http ://mpforest.org//forest.html - अप्रैल 2009 में देखा गया।

10. मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, http ://www.mptourism.com/tourpol.html - अप्रैल 2009 में देखा गया।
11. http ://www.trdi.mp.gov.in/statistics.asp - अप्रैल 2009 में देखा गया।
12. मध्यप्रदेश सरकार, http ://www.mp.gov.in/tribal/Tri.htm - अप्रैल 2009 में देखा गया।
13. छत्तीसगढ़ वन विभाग, http ://cgforest.nic.in/about_chhattisgarh.htm - अप्रैल 2009 में देखा गया।
14. छत्तीसगढ़ वन विभाग, http ://cgforest.nic.in/forestresources.htm - अप्रैल 2009 में देखा गया।
15. छत्तीसगढ़ वन विभाग, http ://cgforest.nic.in/livingwithwildlife.htm - अप्रैल 2009 में देखा गया।
16. छत्तीसगढ़ वन विभाग, http ://www.chhattisgarh.gov.in/tourism/tourism1.htm - अप्रैल 2009 में देखा गया।
17. छत्तीसगढ़ वन विभाग, http ://www.chhattisgarh.gov.in/profile/corigin.htm#seed - अप्रैल 2009 में देखा गया।
18. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन, http ://www.and.nic.in/Know%20Andaman/Intro1.htm - अप्रैल 2009 में देखा गया।
19. इक्वेशन्स और अन्य, 2008 पृष्ठ 16
20. इक्वे शन्स और अन्य, 2008, पृष्ठ 18
21. इक्वे शन्स और अन्य, 2008, पृष्ठ 21-22
22. नदी घाटी मोर्चा और इक्वेशन्स द्वारा 25-26 जनवरी, 2007 को "छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास : खतरे और चुनौतियां" शीर्षक विषय पर आयोजित एक परामर्श में बैगा जनजाति के एक सहभागी द्वारा कहा गया।
23. http ://www.corbetnationalpark.in/page_ctr_revealed.htm - अप्रैल 2009 में देखा गया।
24. व्याघ्र परियोजना - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, http ://projecttiger.nic.in/corbet.htm - अप्रैल 2009 में देखा गया।
25. http ://www.corbetnationalpark.in/page_visit_ctr.htm - अप्रैल 2009 में देखा गया।
26. http ://www.corbetnationalpark.in/page_visit_ctr.htm - अप्रैल 2009 में देखा गया।
27. 8 फरवरी, 2009 को रामनगर में इक्वेशंन्स द्वारा उत्तराखण्ड में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर आयोजित एक परामर्श में सहभागियों द्वारा हिस्सेदारी की गयी जानकारी।
28. http ://www.corbetnationalpark.in/page_visit_ctr.htm - अप्रैल 2009 में देखा गया।
29. उत्तराखण्ड, 2007 उत्तराखण्ड वन आंकड़े, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून, पृष्ठ 83 ।
30. तिवारी, पी.सी. और जोशी, भगवती (संपादक), 1997 "वाइल्डलाइफ इन दी हिमालयन फुटहिल्स : कन्जर्वेशन एंड मैनेजमेंट", इंडस पब्लिशिंग कम्पनी, पृष्ठ 309
31. वही, पृष्ठ 311 उक्त ।
32. 1 बीघा = 43,200 वर्ग फुट, जो 1 एकड़ से थोड़ा कम होता है (1 एकड़ = 43,560 वर्ग फुट); इस लिये बीघा = 4017.6 वर्ग मीटर (1 वर्ग फुट = 0.093 वर्ग मीटर की दर पर)
33. सिन्हा, एन., फरवरी 2009, "टाइगर डिक्लेयर्ड मैनईटर इन कॉरबेट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ब्लेम्स टुरिस्ट प्रेशर", इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली (http ://www.indianexpress.com/news/tiger-declared-maneater-in-corbett-forest-dept-blames-tourist-pressur.../420907) - अप्रैल 2009 में देखा गया।
34. कौर, आर., 2009, "अनलाइक्ली मैनईटर्स" डाउन टू अर्थ, सेंटर फॉर सायंस एंड एनवायरॉनमेंट, दिल्ली।
35. मध्यप्रदेश वन विभाग, http://mpforest.org/Intranet/kanha/index.html - अप्रैल 2009 में देखा गया।
36. मध्यप्रदेश वन विभाग, http://mpforest.org/Intranet/kanha/index.html - अप्रैल 2009 में देखा गया।
37. मध्यप्रदेश वन विभाग, http://mpforest.org/Intranet/kanha/index.html - अप्रैल 2009 में देखा गया।
38. मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम से पर्यटकों के आंकड़े लिये गये।
39. व्याघ्र परियोजना - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, http ://projecttiger.nic.in/bandhavgarh.htm - अप्रैल 2009 में देखा गया।
40. 30 जनवरी, 2008 को ताला में बांधवगढ़ व्याघ्र आरक्षण वन के क्षेत्र निदेशक श्री असीम श्रीवास्तव के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
41. मध्यप्रदेश वन विभाग, http://mpforest.org/bandhavgarh.htm#BANDHAVGARH - अप्रैल 2009 में देखा गया।
42. मध्यप्रदेश वन विभाग, कि क्षमता उतने ही सफारी वाहनों की है जितने की संरक्षित क्षेत्रों में अनुमति है। यह अवधारणा संरक्षित क्षेत्र के चारो तरफ कई प्रतिष्ठानों जैसी किसी अन्य पर्यटन गतिविधि पर लागू नहीं होती है। वहन क्षमता कि गणना निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है : वहन कि भौतिक क्षमता त्र व्यक्तियों कि क्षमता/यूनिट का क्षेत्रफल जो वाहनों की संख्या/यूनिट की लम्बाई के समतुल्य है। निम्नलिखित शर्तो के आधार पर वाहनों की संख्या की गणना की जाती है :

1. दो वाहनों के बीच कम से कम 500 मीटर की दूरी होनी चाहिये, यानि एक किलोमीटर के अंदर दो वाहन हो सकते हैं।
2. मध्यम क्षरण की प्रवणता वाली सड़कें (धूल भरी), संख्या इतनी कम हो कि एक किलोमीटर में एक ही गाड़ी हो।
3. भारी क्षरण की प्रवणता वाली सड़कें (ढलान), संख्या इतनी कम हो कि दो किलोमीटर में एक ही गाड़ी हो।
4. संवेदनशील इलाकों में (प्रजनन का दौर/संकटापन्न प्रजातियाँ), एक किलोमीटर में एक गाड़ी की अनुमति होगी।
5. उद्यान अधिकारियों की प्रबंधन कुशलता : 40%

उदाहरणत: मान लीजिए कि सड़क की लम्बाई 125 किलोमीटर है।
स्थिति 1 के अनुसार कुल वाहनों की अनुमति $125 \times 2 = 250$
मध्यम क्षरण की प्रवणता वाली सड़कें 20 किलोमीटर
स्थिति 2 के अनुसार अनुमति दी गयी वाहनों की संख्या $20 \times 1 = 20$ नम्बर; कमी = $(20 \times 2) - 20 = 20$
भारी क्षरण की प्रवणता वाली सड़कें 10 किलोमीटर
स्थिति 3 के अनुसार अनुमति दी गयी वाहनों की संख्या $10 \times 1/2 = 5$ नम्बर; कमी = $(10 \times 2) - 5 = 15$
संवेदनशील निवास स्थलों में सड़कें 50 किलोमीटर
अनुमति दी गयी वाहनों की संख्या 50
कुल कमी = $(50 \times 2) - 50 = 50$
कमी करने के बाद 125 किलोमीटर की लम्बाई में अनुमति दी गयी वाहनों की कुल संख्या = $250 - 20 - 15 - 50 = 165$
वन कर्मचारियों की कुशलता = 40%
इसलिये अनुमति दी जा सकने वाले वाहनों की संख्या = $165 \times 40/100 = 66$
स्रोत : 1 फरवरी, 2008 को मध्यप्रदेश वन विभाग के मुख्य वन्यजीव वार्डन डॉ. पी.बी. गंगोपाध्याय के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।

43. पर्यटकों के आगमन के आंकड़ें मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम से लिये गये।
44. मध्यप्रदेश वन विभाग, http://mpforest.org/bandhavgarh.html - अप्रैल 2009 में देखा गया।
45. 19 सितम्बर, 2008 को ताला में स्केस शिविर के श्री सत्येन्द्र तिवारी के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
46. 31 जनवरी, 2008 को मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज के मेनेजर श्री के. एल. पटेल के साथ बातचीत के आधार पर।
47. सबसे लोकप्रिय सफारी वाहन हैं मारुती-सुजुकी द्वारा निर्मित जिप्सी मॉडल जो 4-पहिया ड्राइव एस.यू.वी. है।
48. 30 जनवरी, 2008 को ताला में बांधवगढ़ व्याघ्र आरक्षण वन के क्षेत्र निदेशक श्री असीम श्रीवास्तव के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
49. 31 जनवरी, 2008 को ताला में जंगल टूर्स एंड ट्रैवल्स के डॉ. दीपक पटेल के साथ बातचीत के आधार पर।
50. 31 जनवरी, 2008 को मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज के मेनेजर श्री के. एल. पटेल के साथ बातचीत के आधार पर।
51. 31 जनवरी, 2008 को ताला में जंगल टूर्स एंड ट्रैवल्स के डॉ. दीपक पटेल के साथ बातचीत के आधार पर।
52. 30 जनवरी, 2008 को ताला में बांधवगढ़ व्याघ्र आरक्षण वन के क्षेत्र निदेशक श्री असीम श्रीवास्तव के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
53. सम्पत्ति है महुआ कोठी और वह ताज होटल्स रिसॉर्ट और पैलेसेस एंड बियांड का संयुक्त उद्यम।
54. 31 जनवरी, 2008 को ताला में जंगल टूर्स एंड ट्रैवल्स के डॉ. दीपक पटेल के साथ बातचीत के आधार पर।
55. 18 सितम्बर, 2008 को ताला ग्राम पंचायत के सरपंच श्री राजेश सिंह के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
56. 19 सितम्बर, 2008 को ताला में स्केस शिविर के श्री सत्येन्द्र तिवारी के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
57. 18 सितम्बर, 2008 को ताला ग्राम पंचायत के सरपंच श्री राजेश सिंह के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
58. 19 सितम्बर, 2008 को ताला में स्केस शिविर के श्री सत्येन्द्र तिवारी के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
59. 31 जनवरी, 2008 को मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज के मेनेजर श्री के. एल. पटेल के साथ बातचीत के आधार पर।
60. 19 सितम्बर, 2008 को ताला में स्केस शिविर के श्री सत्येन्द्र तिवारी के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
61. 19 सितम्बर, 2008 को ताला में स्केस शिविर के श्री सत्येन्द्र तिवारी के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
62. 18 सितम्बर, 2008 को ताला ग्राम पंचायत के सरपंच श्री राजेश सिंह के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
63. छत्तीसगढ़ वन विभाग, http ://cgforest.nic.in/nature_tourism.htm - अप्रैल 2009 में देखा गया।
64. छत्तीसगढ़ वन विभाग, http ://cgforest.nic.in/nature_tourism.htm - अप्रैल 2009 में देखा गया।

65. 13 सितम्बर, 2008 को बरनवापाड़ा वन्यजीव आश्रयणी के आरएफओ श्री आर. के. सिन्हा के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
66. 13 सितम्बर, 2008 को बरनवापाड़ा वन्यजीव आश्रयणी के आरएफओ श्री आर. के. सिन्हा के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
67. 13 सितम्बर, 2008 को कार्यस्थल पर छत्तीसगढ़ वन विभाग कर्मचारियों द्वारा दि गयी जानकारी।
68. 12 सितम्बर, 2008 को छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड, रायपुर, के प्रबंध निदेशक (विपणन) के साथ भेंटवार्ता।
69. सूचना, प्रचार और पर्यटन विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन 2006
70. इक्वेशन्स और अन्य 2008 ।
71. इक्वेशन्स और अन्य 2008 ।
72. इक्वेशन्स और अन्य 2008 ।
73. इक्वेशन्स और अन्य 2008 ।
74. इक्वेशन्स और अन्य 2008 ।
75. भारत सरकार, 2005, "जॉइनिंग दि डॉट्स" - टाइगर टास्क फोर्स की रिपोर्ट, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली पृष्ठ 13
76. मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, "मध्यप्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में निवेश के अवसर", 1998-2007
http ://www.mptourism.com/MPTPDF.pdf, - अप्रैल 2009 में देखा गया।
77. 8 अक्टूबर, 2008 को मध्यप्रदेश वन विभाग के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), डॉ. एच.एस. पाब्ला के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
78. 8 अक्टूबर, 2008 को मध्यप्रदेश वन विभाग के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), डॉ. एच.एस. पाब्ला के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
79. 8 फरवरी, 2009 को रामनगर में इक्वेशंन्स द्वारा उत्तराखण्ड में पर्यटन से संबंधित मुद्दों पर आयोजित परामर्श में सहभागियों द्वारा हिस्सेदारी की गयी।
80. भूमि उन्नति, भूमि सुधार कार्यान्वयन, भूमि समेकन और वृदा संरक्षण (भारतीय संविधान के अनुसूची-9 की बिन्दु संख्या 2½ पंचायतों को सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, लघु वनोपज, इंधन और चारा, सड़क निर्माण, पुलिया, पुल, नाव, जलमार्ग और अन्य संचार के साधनों पर निर्णय लेने का भी अधिकार है।
81. 18 सितम्बर, 2008 को ताला ग्राम पंचायत के सरपंच श्री राजेश सिंह के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
82. 19 सितम्बर, 2008 को ताला में स्केस शिविर के श्री सत्येन्द्र तिवारी के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
83. 13 सितम्बर, 2008 को लोरिदखार गांव के पंचायत प्रधान श्री निरंजन के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
84. 18 सितम्बर, 2008 को ताला ग्राम पंचायत के सरपंच श्री राजेश सिंह के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
85. जुलाई, 2007 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नील द्वीप के प्रधान श्री राम कृष्ण बिश्वास के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर।
86. स्थानिय स्वशासन पर कानूनी सहायता व्यवस्था, 2004, http://www.laslg.org - मार्च 2009 में देखा गया।
87. संख्या सी.ओ. 192 रू अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखण्ड और मध्यप्रदेश के राज्य) आदेश, 2003 तारीख नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2003 ।
88. (विधान विभाग) अधिसूचना जी.एस.आर. 114 (ई.), ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, http ://www.trdi.mp.gov.in/tribalZone.asp - मार्च 2009 में देखा गया।
89. http ://www.chhattisgarhtourism.net/download/Incentive%20Scheme%202006.pdf - मार्च 2009 में देखा गया।
90. नाजुल भूमि वह भूमि है जो नगरपालिक अधिकारियों द्वारा निजी व्यक्तियों को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिये लीज पर दि जाती है। इस तरह की भूमि बंजर होती है और उसपर कोई कृषि गतिविधि संभव नहीं है। http ://ncm.nic.in/major_initiative.html
91. http ://www.chhattisgarhtourism.net/download/Incentive%20Scheme%202006.pdf - मार्च 2009 में देखा गया।

महिलाओं की आवाज़!

समुदाय आधारित एवं प्रकृति आधारित पर्यटन में महिलाओं की भागीदारी

पर्यटन का महिलाओं के साथ हमेशा से जुड़ाव रहा है। व्यापक पर्यटन का दावा है कि वह पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज़्यादा रोज़गार प्रदान करता है और महिलाएं अकसर पर्यटन का चेहरा होती हैं, क्योंकि पर्यटन के पर्चो पर उत्कंठा, स्वागत और आतिथ्य दर्शाने के लिए महिलाओं की ही छवियां उपयोग की जाती हैं।

प्राकृतिक संसाधनों से भरे क्षेत्रों में पर्यटन की समझ बनानग के लिए हम हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि पर्यटन की बढ़ोतरी में मलिाओं का किस प्रकार शामिल किया गया, उप पर क्या प्रभाव पड़े और क्या पर्यटन से उन्हें कोई मदद मिली या उनके जीवन में कोई अवरोध आए। पर्यटन ने किस हद तक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान किए? किस हद तक पर्यटन के माध्यम से रूढ़िबद्ध धारणाओं और लैंगिक शोषण में बदलाव आए हैं? क्या महिलाएं अपनी भूमिकाओं की धार्मिक और सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त हो पाई हैं और क्या पर्यटन में शामिल होने से उनके पारंपरिक परिपेक्ष और भूमिकाओं के मुकाबले कुछ शक्तिवर्धन हुआ है कि नहीं? पर्यटन में महिलाओं की केस प्रकार की भूमिका रही? उन्होंने किस हद तक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित किया? क्या उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्तर पर कोई लाभ मिला? क्या वे पितृसत्तत्मक ढांचों को चुनौती दे पाईं और क्या वे पर्यटन के अंतर्गत बराबर भागीदारी और लाभों की मांग कर पाईं? उनकी चिंताएं व दुविधाएं क्या हैं और वे किस प्रकार पर्यटन में भाग लेना चाहती हैं?

इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए हमने पर्यटन से जुड़े समुदायों के साथ विचार विमर्ष के दौरान जिन महिलाओं की आवाज़ें सुनी थीं उन्हें एकत्रित करके उन्हें विस्तृत रूप से रखने की कोशिश की।

इसके लिए हम प्रकृति आधारित पर्यटन (जो ज़्यादातर समुदाय आधारित पर्यटन भी है) के कुछ उदाहरण लेकर उन्हें जैन्डर परिपेक्ष में देख रहे हैं। अध्ययन के दौरान जैन्डर मुद्दों को ध्यान में नहीं रखा गया था, अतः इससे निकाले गए निष्कर्ष आम अध्ययन पर आधारित हैं।

पहाड़ी बकरवाल प्रयास (माउन्टेन शैपर्हडज़ इनिशिएटिव), उत्तराखंड[1]

पहाड़ी बकरवाल प्रयास (एम.एस.आई.) उत्तराखंड में स्थित एक समुदायों द्वारा चलाया जा रहा ईकोपर्यटन प्रयास है। इसके अंतर्गत स्थानीय समुदायों और उनके युवाओं के साथ मिलकर पर्यटन की संभावनाएं ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पूरे समुदाय को लाभ मिल सके। यह प्रयास स्थानीय लोगों के नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में ज़मीन, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों के लिए चल रहे लंबे संघर्ष का परिणाम है। एम.एस.आई की कोशिश है कि वे पर्यटन का एंसा प्रारूप तैयार करें जो सतत हो तथा नंदा देवी जीवमंडल क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों व आदिवासियों द्वारा परिभाषित किया गया हो। एम.एस.आई ने स्थानीय युवाओं को पर्वतारोहण व ट्रैकिंग, अनुदेश एवं पहाड़ों की खोज तथा बचाव और पर्यटक समूहों को पर्वतारोहण अभियान पर ले जाने में प्रशिक्षण दिलवाया है। एम.एस.आई का उक और पर्यटन संस्करण है जिसमें वे स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लाता और तोल्मा जैसे क्षेत्रों में पर्यटकों को गृह आवास उपलब्ध कराते हैं।

"पहाड़ी बकरवाल प्रयास की कहानी की शुरुआत लाता से हाती है, जो नीति घाटी में स्थित है। नीति घाटी के लोग भोटिया समुदाय के हैं, जो कि एक भारतीय-तिब्बती समुदाय है। इस समुदाय के जो लोग नीति घाटी में रहते हैं, वे मारछा और तोल्मा समूह से आते हैं। इनके पारंपरिक व्यवसाय हैं देशांतर बकरवाल, व्यापारी और कृषक। 1970 के दशक में, भोटिया समुदाय ने चिपको आंदोलन[2] की अगुवाई की जिसमें गांवों की महिलाएं गौरा देवी के नेतृत्व में अपने जंगलों को बचाने के लिए सामने आईं।

1998 से वर्तमान समय तक, वे लोग नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में अपने अधिकार वापस पाने के लिए संघर्षरत हैं। उत्तराखंड राज्य बनने और इसके अंतर्गत पर्यटन कार्यक्षेत्र पर ज़ोर दिए जाने के कारण, इस अभियान ने लाता गांव में नंदा देवी अभियान को जन्म दिया। पर्यटन उद्योग पर स्थानीय नियंत्रण कायम करने की आवश्यकता का महत्व समझते हुए, इस अभियान ने 2001 में अत्यंत प्रगतिशील नंदा देवी जैवविविधता संरक्षण एवं ईकोपर्यटन उद्घोषणा भी जारी की जिससे उन्हें भविष्य में भी दिशानिर्देश मिलते रहें। 2003 में, भारत सरकार ने 20 साल से नंदा देवी संरक्षित क्षेत्र का कड़ा प्रशासन कर रहे राष्ट्रीय उद्यान नियमों में बड़े स्तर पर बदलाव किए। उद्यान को आंशिक रूप से खोल दिया गया और उसके अभ्यंतर (कोर) क्षेत्र में प्रतिवर्ष 500 अतिथि जाने की अनुमति दे दी गई, हालांकि चोटी तक जाने पर अभी भी प्रतिबंध जारी था।"

एम.एस.आई का औपचारिक उद्घाटन 2006 में नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के पास ही हुआ। यह प्रयास व्यापक सामाजिक एवं पर्यापर्णीय संदर्भ में स्थित है। 2006 में पहले महिला ट्रैक से उन्होंने अपने पर्यटन उद्योग की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था, अपनी मानव-शोषण रहित तथा गैर प्रकृति अवकर्षण वाले भविष्य की आकांक्षाओं पर आधारित समुदाय केन्द्रित कार्यप्रणाली को स्थापित करना।[3]"

एम.एस.आई के इस पर्यटन प्रयास में महिलाओं की भागीदारी मुख्यतः सामाजिक कायदों पर टिकी है - महिलाओं की भूमिका तथा वे किस कार्यक्षेत्र में भाग ले सकती हैं, इसका निर्णय पहले समुदाय लेता है और फिर उनका परिवार। अतः पर्यटन में महिलाओं की भूमिका ना केवल लैंगकि आधार पर, बल्कि परिवार और समुदाय द्वारा निर्धारित की जाती है और महिलाओं को यह मान्य है। लाता गांव में लड़कियों की भागीदारी अभी काफी शुरुआती स्तर पर है, और अभी यह कहना मुश्किल है कि भविष्य में इससे पारिवारिक व सामुदायिक निर्णय प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी या नहीं। लड़कियों को पर्वतारोहण प्रशिक्षण दिया गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके परिवार अपनी बेटियों को नियमित रूप से पर्वतारोहण अभियानों के लिए भेजते हैं। परिवारों और समुदाय के लड़कियों की पर्यटन में भागादारी और लड़कों के लिए बिल्कुल अलग कायदे हैं - लड़कों कोएम.एस.आई के पर्यटन प्रयास में भाग लेने या न लेने का निर्णय खुद लेने की पूरी छूट है।

परिवार में अपनी पारंपरिक भूमिकाओं, और अतिथियों का ध्यान रखने के अतिरिक्त इस समुदाय आधारित पर्यटन प्रयास में महिलाओं की कालीन बुनने की पारंपरिक कला का भी उपयोग किया जाता है। अतः महिलाओं पारंपरिक की कलाएं और ज्ञान

ही उन्हें पर्यटन गतिविधियों में शामिल करने का आधार हैं। ज़्यादातर पर्यटन प्रयासों में महिलाओं को ऐसी गतिविधियों में शामिल किया जाता है जहां उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण की ज़रूरत न पड़े और उनकी सामाजिक भूमिकाओं तथा पारंपरिक ज्ञान एवं कलाओं, जैसे देखभाल करना, का फायदा उठाया जा सके। हालांकि एम.एस.आई के संदर्भ में महिलाओं को अतिथियों की देखभाल का काम नहीं करना पड़ता क्योंकि एम.एस.आई द्वारा प्रशिक्षित युवा ही यह काम संभालते हैं, पर गृह आवासों के लिए पर्यटकों से प्राप्त भुगतान घर की मालकिन को ही सौंपा जाता है। रु.150-250 प्रतिदिन तोल्मा और लाता की दर पर जो भुगतान सीधा महिलाओं के हाथ में जाता है, यह उनके अंशदान (घरों के उपयोग और उन्हें साफ रखने तथा पर्यटकों को बिस्तर देने के लिए) को मान्यता देने के लिए एक सकारात्मक कदम है। कुछ हद तक यह महिलाओं के समय प्रधान कार्यो का भी मान्यता देता है, चूंकि उनके कृषि कार्यों में व्यस्तता के कारण उनके पास पर्यटकों के लिए ज़्यादा समय निकालना भी मुमकिन नहीं हो पाता।

सर्दी के महीनों में महिलाएं स्मारिकाएं बनाने में भी शामिल होती हैं (चित्र 1 देखें)। वे छोटे आकार के हाथ से बुने आसन बनाती हैं जो योग या ध्यान लगाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। पर्यटन उनके उत्पादनों की बिक्री और वैकल्पिक आमदनी के लिए एक अच्छा बाजार है, खासकर उन लोगों के लिए जो गृह आवास सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं या अन्य प्रकार से पर्यटन की गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। यह पर्यटकों को स्थानीय स्मारिकाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास है; जो उनकी बंनाई की पारंपरिक कला और ज्ञान का उपयोग करते हुए और इन कलाओं में प्राकृतिक रंगों के उपयोग से सुधार भी ला रहा है।

चित्र 1 :
आसन व कालीन बुनती हुई भोटिया महिलाएं,
लाता गांव, उत्तराखंड
स्रोत : इक्वेशन्स, 2008

एम.एस.आई के समुदाय आधारित निकाय होने के कारण उसे समुदायों से अन्य पर्यटन प्रयासों के मुकाबले ज़्यादा सहयोग मिलता है, क्योंकि अन्य पर्यटन प्रयासों में स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया जाता।

पुरुषों के पर्यटन गतिविधियों में जुड़ने, जैसे ट्रैकिंग एवं पर्वतारोहण के अध्यापक, खोए लागों को ढूंढने और बचाने, पर्यटक समूहो के लिए रसोइये तथा गाईड के रूप में काम करने के कारण जो कृषि के कार्य पहले वे संभालते थे, वे भी अब औरतों को ही करने पड़ते हैं। औरतों की पहले से ही काफी जिम्मेदारियां हैं, पर पुरुषों के ना होने के कारण बच्चों का ध्यान रखना, जलाऊ लकड़ी, चारा और पानी एकत्रित करना, यह सब भी उनका काम का बोझ बढ़ा देता है।

इसके अतिरिक्त, मुख्य फसल कटाई का मौसम भी टीक तभी होता है जब पर्यटकों के आने का समय होता है। इस कारण पुरुष पर्यटन गतिविधियों के लिए घर से चले जाते हैं और महिलाओं पर और भी अधिक काम का भार छोड़ जाते हैं। अत्यंत रुचिपूर्ण है कि महिलाओं का इस प्रकार ऐसे कार्यक्षेत्र में आ जाना जो पारंपरिक (लैंगकि) रूप से पुरुषों का काम माना जाता था - इस पर समुदाय की कोई आपत्ति नहीं है, परंतु वे महिलाओं को बाहरी कामों में जाने की "अनुमति" नहीं देते।

सुनील कैंथोला, जो देहरादून में एम.एस.आई का संचालन करते हैं, ने एक एम.एस.आई युवा राजू की कहानी सुनाई, जिसकी मां ने उससे "प्यार" से कहा : "तुम अपने साथ मेरे पति को ले गए। तुमने मेरे दानों बेटों को भी पर्यटन के काम में लगा दिया। अब कभी भी बारिश आ जाएगी। हमारा अनाज बरबाद हो जाएगा अगर हमने जल्दी ही उसे काटा नहीं। फिर हम क्या खाएंगे? मेरे साथ काम करने के लिए कोई नहीं है - तो फिर तुम मेरे साथ गांव चलो और मेरे साथ काम में हाथ बंटाओ।"

अतः दृश्य या अदृश्य रूप से पर्यटन के कारण महिलाओं पर अतिरिक्त कार्यभार उन्हें बहुत कम आर्थिक लाभ पहुंचाता है - अतिरिक्त आमदनी के रूप में - पर उन का कार्यभार और बढ़ा देता है - जिसमें से किसी भी अंश का ना तो कोई माप लिया जात है, नहीं उसकी कीमत आंकी जाती है और न ही उन्हें इसका कोई मुआवज़ा दिया जाता है।

उक अन्य परिप्रेक्ष्य से, जहां पर्यटन की शोषक प्रवृत्ति और महिलाओं के वस्तुतीकरण आम हो चुकी है, लाता के गांव वालों ने एक अनुमान लगाया है कि जब पर्यटन उनकी सामूहिक जगहों को हथियाने लगता है तो महिलाओं पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। फिर सामुदाय (महिला और पुरुष) मिलकर तय करता है कि वे महिलाओं की कला और उनके ज्ञान के आधार पर किन भूमिकाओं में देखना पसंद करेगा। भोटिया महिलाएं चिपको आंदोलन की अग्रिम नेतृत्व में थीं जिसमें उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों पर अपने अधिकारों की दृढ़ता से मांग रखी। लेकिन इस दृढ़ता से क्या उन्हें अपने लिए आजीविका चुनाव करने का भी अधिकार मिला - यह अभी स्पष्ट नहीं है और ना ही इसके कोई संकेत दिखाई देते हैं। कुछ परिवारों ने अपनी बेटियों को पर्वतारोहण और अन्य संबंधित प्रशिक्षण तो दिलवाए हैं लेकिन व्यवयायिक गतिविधियां अभी समुदाय के लिए नई हैं और शायद यही इस क्षेत्र में महिलाओं की गैर-मौजूदगी का कारण है।

एम.एस.आई का मुख्य पर्यटन उत्पाद हिमालय में साहसी पर्यटन होने के कारण इस संस्था में लड़कियों के मुकाबले लड़कों की संख्या ज़्यादा है। कुछ क्षेत्रों, जैसे उत्तरकाशी में, पर्वतारोहण प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं के लिए बचेंद्री पाल[4] एक आदर्श हैं। लड़कियों को पर्वतारोहण अध्यापक बनने के लिए प्रांत्साहित किया जाता है पर शारीरिक रूप से कठिन होने के कारण इस क्षेत्र में लड़के ही ज़्यादा आरक्षित होते हैं। 2004 में वन विभाग द्वारा दिए गए प्रशिक्षण और 2006 में एम.एस.आई के प्रशिक्षण से शुरुआत करके, लड़कियां 2006 के बाद से 3 ट्रैकों पर जा चुकी हैं जिसमें केवल महिलाओं व मिश्रित समूह (महिलाओं और पुरुषों, दोनों के साथ) शामिल थे।

एम.एस.आई ने भी समुदायों को ऐसे कार्यक्षेत्रों के विषय में सचेत किया है जहां महिलाओं के लिए अवसर तो हैं पर वहां पर्यटक उनका शोषण भी कर सकते हैं। एम.एस.आई के हस्तक्षेप से अब यह चर्चा कर पाना संभव है कि महिलाएं किन कार्यो को करने के लिए इच्छुक हैं, बजाए इसके कि पर्यटन की मांग के आधार पर उन्हें शामिल किया जाए जहां उनका शोषण होने की संभावना हो सकती है। लड़कियों को पर्वतारोण प्रशिक्षण दिया जाना एक अच्छा कदम था पर निर्णय लिया गया कि उन्हें केवल महिलाओं के समूहों के साथ ही भेजा जाएगा। इसे महिलाओं की पर्यटन में भागीदारी से जुड़े जटिल सवालों - जैसे पुरुषों के समूह के साथ

जाने पर यौन शोषण की संभावना - और उन्हें प्रभावी नेतृत्व और प्रबंधन के लिए तैयार करने के बीच का एक कदम माना गया, जिससे कि वे ऐसी कार्यक्षमताएं पैदा कर सकें जिनकी उन्हें अभी तक अनुमति नहीं थी। एम.एस.आई का मानना है कि भविष्य में महिलाएं स्मारिकाएं बनाने, केवल महिलाओं तथा मिश्रित समूहों के ट्रैक ले जाने, और यदि वे अपना प्रशिक्षण पूरा कर लें तो पर्वतारोहण अध्यापक बनने तथा प्रबंधन की भूमिकाओं में नज़र आ सकती हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में एक धनुषाकार एवं बेहद दर्शनीय द्वीपों का समूह है। 20वीं सदी की शुरुआत तक यह ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था, पर धीरे धीरे विस्मयकारी प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण यह द्वीप श्रृंखला एक पर्यटक गंतव्य के रूप में काफी प्रचलित हो गई। देश के अन्य क्षेत्रों की तरह ही, इस द्वीप श्रृंखला में भी पर्यटन को विकास का प्रमुख वाहक माना गया है, खासकर अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केवल यहीं पाए जाने वाले कई जैवविविध वनस्पति पाए जाते हैं, जिसके कारण यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैवविविधता के लिए प्रचलित हो गए हैं। मूंगा चट्टानों युक्त विशाल क्षेत्र, जो भारतीय महासागर के आखिरी पौराणिक चट्टानें मानी जाती हैं, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर हैं और उनके संरक्षण के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए जा रहे। यहां के वायुशिफ जंगल भी अपनी समुद्री जीवों की विविधता के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में निचले क्षेत्रों के सदाबहार जंगलों के दलदल क्षेत्रों में से पानी निकाल दिए जाने और उनको कृषि क्षेत्र बना दिए जाने के कारण यह क्षेत्र अब और भी दुलर्भ हो गया है। और कुछ खुले जल-क्षेत्रों को सुखा दिया गया है जिसके कारण यह आवास क्षेत्र अब और भी संवेदनशील हो गया है। स्पष्ट है कि यदि यहां और अधिक पारिस्थतिकीय विनाश हुआ तो ना केवल यहां के संवेदनशील समुद्री पारिस्थतिकी की उतकृष्ट जैवविविधता बल्कि समुद्री मछली व्यापार और पर्यटन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे।

अंडमान द्वीप समूह में 4 आदिवसी जनजाति रहते हैं : ग्रेट अंडमनीज़; ओंगे, जो लिटिल अंडमान में रहते हैं; सेंटीनलीज़, जो उत्तरी सैंटिनल द्वीप में रहते आए हैं; और जरावा, जो दक्षिण और मध्य अंडमान के अंदरूनी क्षेत्रों में रहते हैं। अंग्रेज़ी उपनिवेशवाद के दौरान, सैल्यूलर जेल के "कैदियों" को घर बनाने व कृषि करने के लिए ज़मीनें दी गईं। 1925 में, लगभग 25 कारेन परिवारों को बर्मा से लाकर यहां के जंगल कटवाए गए। 1925 में बर्मा से लगभग 45 परिवार जंगलों की कटान के लिए लाए गए। 1947 से 1971 के बीच, द्वीप समूह में मज़दूरों की आवश्यकता पूरी करने के लिए भारत सरकार की नीति के अंतर्गत लोगों को उस समय के पूर्वी पाकिस्तान, बंगाल, केरल, आंध्रप्रदेश और बिहार से लाया गया। इसके बाद से द्वीप समूह में आने वाले लोगों की संख्या, यहाँ से बाहर चले जाने वाले लोगों से (प्रतिवर्ष 4-8 प्रतिशत) कहीं ज़्यादा हो गई है। यहां के आदिवासियों की बन्दोबस्ती व उन्हें सभ्य बनाने के व्यर्थ प्रयासों के कारण वे लोग आरक्षित क्षेत्रों में ही सीमित रह गए और यहाँ बाहर से आकर बसे लोगों के साथ उनके संबंध विकसित नहीं हो पाए। बाहर से आए लोगों की भिन्नताओं और अलग-अलग क्षमताओं के कारण द्वीप समूह के निवासी कौन हैं और कौन नहीं जैसे मुद्दों पर भी समस्या खड़ी हो गई है।

हालांकि द्वीप समूह में लगातार पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती रही है, वर्ष 2004 के त्सूनामी के बाद तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन पर्यटकों को 'वापस' लाने पर और भी ज़ोर दे रहा है। इसी कारण द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं के प्रस्तावों की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है, खासकर अंडमान द्वीपों में जहां पर्यटन, आधारभूत सुविधाएं और यातायात की सुविधाएं बढ़ाने एवं देशी पर्यटकों को एल.टी.सी. पर रियायतें देने के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। लेकिन पहले बनी अन्य योजनाओं की तरह ही इन योजनाओं में भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि द्वीप समूह में अभी तक किस तरह से पर्यटन चलाया गया है और उसके यहां क्या प्रभाव पड़े हैं। न ही यह परखा गया है कि स्थलीय परिस्थितियां इन योजनाओं में सहायक हो पाएंगी या नहीं।

वर्ष 2008 में, इक्वेशन्स ने अन्य सहायक संस्थाओं के साथ मिलकर एक विस्तृत अध्ययन किया जिसमें पर्यटन की वर्तमान स्थिति, उसके वर्तमान तथा संभावित प्रभाव, तथा पर्यटन विकास योजनओं के संभावित प्रयासों का अध्ययन किया गया।[5]

अंडमान में पर्यटक गतिविधियां अधिक होने के बावजूद, महिलाओं को छोटे माटे कार्यों में ही लगाया जात है, जैसे कि मछली या फलों की दुकानें चलाना। पर्यटन प्रतिष्ठानों में ज़्यादातर नौकरियों में पुरुष ही कार्यरत हैं - 83.9 प्रतिशत पुरुष और 10.7 प्रतिशत महिलाएं।[6] अतः आमतौर पर महिलओं को पर्यटन तथा ऐसे अन्य कार्यक्षेत्रों में राज़गार के अवसर कम ही मिलते हैं।

पर्यटन का द्वीप समूह की महिलाओं की जिंद्गी पर भी प्रभाव पड़ा है, चाहें वे उससे जुड़ी हों या नहीं। 3 महिलाओं की सफलता की एक कहानी है - रजनी इका, पंदीअम्मा और कांति तिरकू - जिन्होंने एक स्वयं सहायता समूह के सदस्य होने के नाते हैवलौक द्वीप में, दिसंबर 2006 में एक आहार गृह खोला (चित्र 2) । वे पोर्ट ब्लेयर के गाईडों के साथ संपर्क में रहती हैं, जो पर्यटकों को इस आहार गृह के विषय में बताते हैं। वे एक महीने में रु.12000 का मुनाफा कमा लेती हैं, जिसे वे तीनों आपस में बांटती हैं। द्वीप समूह की आम समस्याएं, जैसे पानी की भारी कमी और सब्ज़ियों के बढ़ते दामों का हल निकालना बाकी है, लेकिन हम खुश हैं कि पर्यटन ने इन औरतों की जिंद्गी में ऐसे बदलाव लाए।

चित्र 2 :
महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा हैवलौक द्वीप में चलाया जा रहा आहार गृह, अंडमान द्वीप समूह
स्रोत : सीमा भट्ट, 2007

लेकिन हैवलौक द्वीप पर अन्य महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। निर्मला राव एक विधवा हैं जो दैनिक दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करती हैं। उनके लिए, पर्यटन ने उनकी रोज़मर्रा की समस्याओं में एक अतिरिक्त भार जोड़ दिया है। बढ़ती पर्यटन

गतिविधियों के कारण औटोरिक्शा की दरें काफी बढ़ गई हैं। पर्यटकों के आने के समय में पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए नावों की टिकटें भी आसानी से नहीं मिलतीं।

महिलाएं बढ़ती ज़मीन की कीमतों और युवाओं की निराशा से चिंतित हैं। आरती रौय, हैवलौक की एक गृहिणी का कहना है, "सरकार हमें (नए बसने वालों को) यहां लेकर आई है। और अब वो विदेशियों को भी यहां ज़मीन खरीदने की अनुमति दे रही है। भविष्य में सरकार हमें भी बेच सकती है"। उन्हें डर है कि बच्चे और युवा वर्ग विदेशियों के कपड़े और व्यवहार के तरीके सीखेंगे। युवाओं का शिक्षा स्तर काफी नीचा है। जहां द्वीप समूह में पर्यटन ही एक ऐसा कार्यक्षेत्र है जिसके कारण रोज़गार के अवसर बढ़े हैं, जैसे टैक्सी ड्राईवर, गाईड, वे दारू पीने जैसी आदतों के विषय में चिंतित हैं क्योंकि द्वीप समूह में दारू आसानी से मिल जाती है। "वैश्यावृत्ति भविष्य में एक बड़ी समस्या बन सकती है", उनका डर है।

अंतर्जात पर्यटन परियोजना[7]

अंतर्जात पर्यटन परियोजना - ग्रामीण पर्यटन स्कीम ऐन्डोजीनस टूरिज्म प्रौजैक्ट - रूरल टूरिज्म स्कीम (ई. टी. पी. - आर. टी. एस.) भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय एवं युनाईटेड नेशन्स डैवलपमैंट प्रोग्राम (यू.एन.डी.पी.) का एक सांझा प्रयास है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कम आमदनी वाले समुदायों के लिए, पर्यटन के वैकल्पिक प्रारूपों के मायम से सतत आजीविकाओं के अवसर पैदा करना। भारत सरकार और यू.एन.डी.पी. के परियोजना दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से इस कार्यक्रम को सामाजिक न्याय, आचार, सतत मानवीय विकास, गरीबी उन्मूलन, अबराबरी और बतुल्यता को मिटाने के संदर्भ में देखती है। अतः ई. टी. पी. का एक उत्कृष्ट तथा मुख्य तत्व है पर्यटन और विकास के अंर्तसंबंधों का परीक्षण करना और उन्हें आगे बढ़ाना।[8]

एक ओर ई. टी. पी. का उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से आजीविकाओं को सतत बनाया जाए और सामुदायिक गतिविधियों के आधार पर रोज़गार पैदा किया जाए, साथ ही आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के समावेश से महिलाओं, हाशिये के समुदायों और युवाओं का सशक्तिकरण और लैंगिक बराबरी। वर्ष 2008 में इक्वेशन्स को ई. टी. पी. के पुर्नावलोकन का काम सौंपा गया, जिससे कि इस विशाल और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अनुभवों और इससे मिली सीख को भागीदार प्रक्रिया से एकत्रित किया जा सके। नीचे दिए गए अंश में हम महिलाओं से संबंधित प्रभावों और उनकी भूमिका से संबंधित कुछ अंश पेश कर रहे हैं।[9]

जब ग्रामीण समुदायों के बीच पर्यटन की शुरुआत की जाती है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और सामुदायिक सशक्तिकरण हो, तो अकसर यह माना जाता है कि वह समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से एकरूप है। विभिन्न ग्रामीण स्थलों पर किए गए समुदाय आधारित पर्यटन के हमारे अध्ययन में हमने पाया कि जब पितृसत्तात्मक तंत्र के अंदर पर्यटन महिलाओं की भागीदारी से सशक्तिकरण का प्रयास करता है तो महिलाओं और पुरुषों के बीच काफी सामाजिक तनाव पैदा हो जाता है। जब महिलाएं पर्यटन गतिविधियों में ज़्यादा भागीदारी करने लगती हैं और उसके आधार पर वे निर्णय प्रक्रिया में ज़्यादा भागीदारी चाहती हैं, तो इन पारंपरिक एवं रूढ़िवादी समाजों में इसे पुरुषों को दिये गए "उच्च" स्तर का चुनौती देना समझा जाता है।

पितृसत्तात्मक कायदे, जाति और जैन्डर महिलाओं की पर्यटन में भागीदारी के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। यह सामाजिक कायदे परिभाषित करते हैं कि महिलाएं प्रभावकारी भूमिकाओं और निर्णय लेने वाले ओहदों पर काम कर सकती हैं या नहीं, चाहें वे भूमिकाएं परियोजना की रूपरेखा में ही निहित क्यों न हों।

होड़का गांव, जो गुजरात के पास स्थित विस्मित सुंदरता से परिपूर्ण कच्छ के रन्न में है, एक बेहद रूढ़िवादी समुदाय है जहां महिलाएं अभी भी पर्दे में रहती हैं।[10] जब स्थानीय लोगों के साथ सामुदायिक पर्यटन के अंतर्गत गृह आवासों के विषय में चर्चाएं की गईं तो लागों ने उस का जम कर विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि पर्यटक आकर उनके गांव में रहें। समुदाय ने निर्णय लिया कि वे अपने गांव के बाहर एक रिज़ौर्ट बनाकर पर्यटन का काम करेंगे - जिससे पर्यटन के खतरे भी दूर रखे जा सकें और उसके फायदे भी उठाए जा सकें!

उनके कायदे सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से अपने सांस्कृतिक रीति-रिवाज़ों के संरक्षण - जो काफी हद तक पितृसत्तात्मक भी हैं - के लिए भी हैं। उन्हें यह भी लगा कि उनके क्षेत्र में आने वाले पर्यटक छोटे कपड़े न पहनें। उनके समाज

में मदिरा पीने पर पाबंदी है, तो वे नहीं चाहते थे कि अतिथि वहां आ कर मदिरा-पान करें और उनकी युवा पीढ़ी इस आदत का शिकार हो जाए। [11]

जहां एक ओर होड़का में पर्यटन की सफलता के कई अंश दिखाई देते हैं, महिलाओं ने, जो होड़का पर्यटन समिति का हिस्सा थीं, ने सामाजिक बंधनों के कारण यह गांव पर्यटन कमिटि छोड़ दी। साथ ही शाम-ए-सरहद रिज़ौर्ट का पूरा प्रबंधन पुरूषों के हाथों में होने के कारण भी उन्हें कई समस्याएं आ रही थीं। ई. टी. पी. के अंतर्गत एक संस्थागत ढांचा दिया गया है जो पहले से चले आ रहे शक्ति ढांचों को चुनौती देते हुए लैंगिक मुद्दों का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, परंतु यहां के सामाजिक ढांचे इतने मज़बूत थे कि उन्हें तोड़ पाना संभव नहीं था। होड़का में किसी भी निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के खिलाफ पुरुषों का विरोध स्पष्ट था। हालांकि महिलाओं का एक समूह रिज़ौर्ट की दीवारों की लिपाई और रूपरेखा का काम करता है, उन्हें किसी भी निर्णय लेने वाली संस्था में भागीदारी नहीं दी गई है।

रघुराजपुर, पुरी के पास उड़ीसा में, जो कि एक मंदिरों और दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध गांव है, की रघुराजपुर ऐतिहासिक संपदा एवं पर्यटन कमिटि में एक भी महिला सदस्य नहीं है। जब उप-समितियों का गठन किया गया तो महिलाओं से राय तक नहीं ली गई। वे किसी भी उप-समिति में शामिल नहीं थीं, एक स्वच्छता कमिटि को छोड़कर! गांव में महिला समूह होने के बावजूद, उनका पर्यटन कमिटि में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।

इसी प्रकार लाचेन, सिक्किम में, परियोजना संबंधी निर्णय तंत्रों तथा प्रक्रियाओं में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि जुम्सा (एक स्थानीय स्वयाासन संस्था) के संस्थागत ढांचे के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी व निर्णय लेने की क्षमताएं वैसे भी काफी कम है। इसके मुकाबले, चित्रकोट, छत्तीसगढ़ में, जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ई. टी. पी. को लागू करने में महिलाओं ने नेतृत्व संभाला हुआ है। यहां, क्रियान्वयन संस्था ने महिलाओं की क्षमताएं बढ़ाने और उनके सशक्तिकरण के लिए, तथा गांव पर्यटन कमिटि में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए (चित्र 3)।

चित्र 3 :
गांव पर्यटन कमिटि, चित्रकोट की महिला सदस्य
स्रोत : इक्वेशन्स, 2008

अकसर पारिवारिक आमदनी में महिलाओं के योगदान को तुच्छ समझा जाता है और उनके काम को अकुशल। अतः पर्यटन में भी महिलाओं के दस्तकारी जैसे कुशलतापूर्ण कार्य करने के बावजूद उन्हें अकुशल मज़दूर के रूप में ही देखा जाता है। जबकि, पुरुषों के काम को कुशल मज़दूरी के रूप में देखा जाता है क्योंकि उसके पीछे पुरुषों के परिवार चलाने की धारणा जुड़ी होती है। जैसे उदाहरण के लिए, रघुराजपुर में महिलाएं भी पत्तचित्र (उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी जो ताड़ के पत्तों पर की जाती है) बनाने में उतनी ही शामिल होती हैं जितना कि पुरुष और गांव के कई परिवारों में आमदनी का यही एकमात्र साधन है (चित्र 4)। महिलाएं ज़्यदा परिश्रम वाला सारा काम खुद करती हैं लेकिन इस दस्तकारी के बारीक काम में पुरुषों को निपुण माना जाता है। वास्तविकता में, महिलाएं अपनी चित्रकला में कोई कम रचनात्मक नहीं हैं, लेकिन इसको कोई मान्यता नहीं मिलती।

चित्र 4 :
एक पत्तचित्र, रघुराजपुर
स्रोत : इक्वेशन्स, 2008

किसी भी समुदाय की महिलाएं एकरूप नहीं होतीं। पर्यटन गतिविधियों तक पहुंच और उनसे मिलने वाले लाभ भी जाति के सामाजिक पदानुक्रम द्वारा परिभाषित किए जाते हैं (जो अंततः वर्ग विभाजन से जुड़ा है)। जाति और वर्ग के मुद्दे समुदाय की कुछ महिलाओं की भागीदारी और कुछ को बाहर रखने में भी कार्यरत होते हैं। उदाहरण के लिए नग्गर (हिमाचल प्रदेश) में गांव पर्यटन कमिटि द्वारा ऊंची जात की महिलाओं के पक्ष में पक्षपात को नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता। जब कमिटि से हर वार्ड से 3 सदस्य चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने हर बार उच्च जाति की समृद्ध परिवारों वाली महिलाओं को ही चुना। इसके पीछे उनका मानना है कि वे कार्यक्रम को समझने, उसमें प्रतिनिधित्व करने और उसके क्रियान्वयन के लिए ज़्यादा सक्षम हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उच्च वर्ग की महिलाओं द्वारा लिए गए निर्णयों में निचली जाति की महिलाओं के मुद्दे भी शामिल हों। और अधिकतर महिलाओं के मुद्दों के मुकाबले जाति संबंध ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि गांव पर्यटन समितियों की सदस्यता का विश्लेषण किया जाए तो अकसर देखा गया है कि कमज़ोर समुदाय के मुकाबले शक्तिशाली समुदाय को ही प्रथमिकता दी गई है। पिछड़ी जातियों की पर्यटन समिति में निर्णय लेने वाले पदों तक सीमित पहुंच होने के कारण पिछड़ी जातियों की महिलाओं को भी इन पदों पर कोई स्थान नहीं मिलता।

चित्रकोट में एक झरने के पास दुकानें बनाने के विषय पर काफी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उद्देश्य यह था कि इस दुकान के माध्यम से पर्यटकों को दस्तकारी उत्पाद और खाने के व्यंजन बेचे जाएं जिससे कि कलाकारों, प्रशिक्षित महिलाओं और स्थानीय पाक कला का प्रचार हो सके। पंचासत और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर निर्णय लिया कि 11 एकड़ क्षेत्र में लगने वाले मेले की सरकारी ज़मीन में से 5 एकड़ ज़मीन इस काम के लिए दे दी जाए। सरकार ने झरने के पास दुकानें भी बनानी शुरु कर दीं। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने आकर इन सुंदर ढांचों को तोड़ डाला। आज तक दाषियों के खिलाफ कोई कानूनी या पुलिस कार्यवाही नहीं की गई है।

पर्यटन की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि उसे मूलभूत कुशलताओं, पूंजी और सफलता के जुड़ाव की ज़रूरत होती है - और सीमित जगहों के कारण निचली और पिछड़ी जातियों की महिलाएं लिंग और जाति के आधार पर दोहरी अड़चनें पैदा हो जाती हैं। अगर पर्यटन परियोजनाओं की योजना और रूपरेखा ध्यान से तैयार न की जाए तो शायद भारतीय समाज की अबराबरी और लैंगकि अतुल्यता में इन परियोजनाओं के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं लाया जा सकेगा।

निष्कर्ष

इन शुरुआती उदाहरणों से स्पष्ट है कि ध्यान से बनाई गई पर्यटन कार्यक्रमों की रूपरेखा से महिलाओं के लिए और भी सार्थक भूमिकाएं व अवसर पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन महिलओं को इनसे मिलने वाले लाभों का कितना फायदा उठाया जा सकता है, यह काफी कुछ पितृसत्तत्मक व जाति के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश पर भी निर्भर करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि सुव्यवस्थित जागृति कार्यक्रमों के ज़रिए पर्यटन नीति निर्धारकों, नियोजकों और क्रियान्वयकों तथा स्थानीय समुदायों को इन मुद्दों पर जागृत किया जाए।

अंतिम टिप्पणी :

[1]उत्तराखंड के अध्ययन से इक्वेशन्स के स्थलीय नोट - गांव लाता और तोल्मा सितंबर, 2008।

[2]1970 के दशक में पूरे भारत में जंगलों के विनाश के खिलाफ संगठित विद्रोह की एक लहर फैली जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। लोग पेड़ों से चिपक गए और उन्हें ठेकेदारों के हाथों कटने से बचाया। पहला चिपको संग्राम स्वतः ही अप्रैल 1973 में, अलकनंदा घाटी के मंडल गांव में हुआ और अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के हिमालय के काफी जिलों में फैल गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब सरकार ने अलकनंदा घाटी के वनक्षेत्र का एक प्लौट एक खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी को दे दिया। इससे गांव वालों को गुस्सा आ गया क्योंकि इससे पहले कृषि औज़ार बनाने के लिए उनकी लकड़ी की मांग को ठुकरा दिया गया था। एक स्थानीय गैर-सरकारी संस्था, दसोली ग्राम स्वराज्य संघ के प्रोत्साहन से, चंडी प्रसाद भट्ट और क्षेत्र की औरतों के नेतृत्व में, लोग जंगलों में गए और पेड़ों के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए और ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोका। 1974 में, लाता, रेणी और आसपास के गांवों की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में स्थानीय जंगलों को काटने आए आदमियों के विरुद्ध आंदोलन किया। उत्तर प्रदेश के चिपको आंदालनों को 1980 में बड़ी जीत हासिल हुई, जब इंदिरा गांधी, उस समय की प्रधानमंत्री, ने राज्य के हिमालयी जंगलों में हरे पेड़ों की कटान पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया। तब से यह आंदोलन भारत के अन्य राज्यों में भी फैला। (http://healthy-india.org/saveearth6.asp)

[3]राजीव रावत (2008) द माउन्टेन शैपहडर्ज़ इनिशिएटिव : इवौलविंग अ न्यू मौडल औफ कम्यूनिटी ओन्ड ईकोटूरिज़्म इन रीडिफायनिंग टूरिज़्म - एक्सपीरियेंसिज़ ऐंड इनसाईट्स फ्रौम रूरल अूरिज़्म प्रौजैक्ट्स इन इंडिया, यू.एन.डी.पी., नई दिल्ली।

[4]बचेंद्री पाल 1984 में ऐवरैस्ट चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उनका जन्म 1954 में, गढ़वाल के नाकुरी गांव में हुआ। उन्होंने अपने मां-बाप को बताया कि वे वृत्तिक पर्वतारोही बनना चाहती हैं। उनका परिवार सुनकर 'निराश' हो गया, क्योंकि उनके अनुसार, एक महिला के लिए सबसे अच्छा व्यवसाय अध्यापिका का होता है, पर्वतारोही का नहीं। लेकिन बचेंद्री अपने निश्चय पर अडिग रहीं। उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में दाखिला ले लिया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी घोषित किया गया और संस्थान का मानना था कि वे ऐवरैस्ट पर चढ़ने की योग्यता रखती हैं। वर्तमान समय में वे टाटा स्टील ऐडवैंचर फाउन्डेशन में एक प्रशिक्षण शिविर चलाती हैं।

[5]इक्वेशन्स, इनटैक का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अध्याय, सोसाइटी फार ऐंडमन ऐंड निकोबार इकौलोजी, कल्पवृक्ष, जमशेतजी टाटा सैंटर फार डिज़ैस्टर मैनेजमैंट - टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान और ऐक्शन एड इंटरनैशनल - इंडिया (2008), रीथिंक टूरिज़्म इन द ऐंडमैन्स : टुवर्ड्स बिल्डिंग अ बेस फौर सस्टेनेबल टूरिज़्म'', बंगलूरू, भारत।

[6]उक्त, पृष्ठ 126।

[7]इक्वेशन्स (सितंबर, 2008), रिव्यू रिपोर्ट औन सस्टेनेबिलिटी इन टूरिज़्म : अ रूरल टूरिज़्म मौडल, यू.एन.डी.पी., नई दिल्ली।

[8]उक्त पृष्ठ 3।

[9]उक्त पृष्ठ 49-62।

[10]परदा प्रथा जो परुषों द्वारा महिलाओं को देखे जाने से रोकती है

[11]इक्वेशन्स (सितंबर, 2008), रिव्यू रिपोर्ट औन सस्टेनेबिलिटी इन टूरिज़्म : अ रूरल टूरिज़्म मौडल, यू.एन.डी.पी., नई दिल्ली

बांधवगढ़ और कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्रों में ईकोपर्यटन

एक दृष्टिकोण पत्र

"ईकोपर्यटन को कारगर बनाने के लिए हमें 'ईको' और 'पर्यटन' में महारथ हासिल करनी होगी"
ध्रुव सिंह (बांधवगढ़ में अनंतवन चलाते हैं, एक प्रकृतिवादी हैं और बांधवगढ़ में वन्यजीव पर्यटन का पुराना अनुभव रखते हैं)

"इनमें से 95 प्रतिशत लोग यहां पैसे के लिए आए हैं, उनके पास जो अतिरिक्त धन है, उसे खर्च करने"
"व्यवसायिक उद्यमों को जगह की पारिस्थितकी के लिए कोई आदर नहीं होता"
एरिक डी कून्हा (प्रबंधक, वाईल्ड शैलेट रिज़ौर्ट, कान्हा किसली, खुद वन्यजीवों में रुचि रखते हैं और कान्हा में 1987 से रह रहे हैं)

चित्र 1:
"आम श्रेणी, ज़मीन बिकाऊ है।
संपर्क करें देवी यादव 9425855370" मोचा गांव, कान्हा किसली

1. प्रस्तावना

कार्यस्थल पर आधारित इस अध्ययन में बांधवगढ़ और कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्रों के आस पास के इलाके में पर्यटन उद्योग की (प्रकृति अनुकूल) कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश की गई है। इक्वेशन्स ने देश के चार राज्यों और संयुक्त क्षेत्रों में ईकोपर्यटन के अध्ययन के अंतर्गत नीतियों, दिशानिर्देर्शो, विभागों (वन एवं पर्यटन विभाग) की कार्यप्रणालियों; पंचायतों और स्थानीय लोगों, आदिवासियों तथा अन्य संस्थाओं के विचारों की जानकारी इक्ट्ठी की। इस लेख के माध्यम से ऊपर लिखे गए पहलुओं को ठोस मूलभूत निर्माण और पर्यटन प्रतिष्ठानों के स्थलीय नियोजन के संदर्भ में देखने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि ईकोपर्यटन और उसके प्रभावों की एक संपूर्ण तस्वीर बन सके।

अध्ययन के स्थलीय पहलुओं (कान्हा और बांधवगढ़ के किनारे बने रिज़ौर्ट), मानदण्डों की जटिलता और समय की सीमाओं को देखते हुए इस लेख को ज़्यादा से ज़्यादा एक पहली समझ बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस लेख से उठने वाले मुद्दों के आधार पर संभवतः भविष्य में एक और विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है।

दृष्टिकोण

इस अध्ययन के दृष्टिकोण का वर्णन "खोज, समझ बढ़ाने, पूछने, सुनने और अवलोकन" के रूप में किया जा सकता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए बहुत कम समय में काफी विस्तृत कार्यभार पूरा करना था। इस मौके का फायदा उठाने के लिए निर्णय लिया गया कि स्थलीय अध्ययन, गुणात्मक रूप से, कुछ ही रिज़ौर्टो पर किया जाए। रिज़ौर्टो का चयन निम्नलिखित पहलुओं के आधार पर किया गया -

क. पिछले अध्ययन के आधार पर जिन पर्यटक सुविधाओं में इक्वेशन्स को रुचि थी।
ख. पहुंच की आसानी
ग. महंगे होटल, जो पर्यावरण-पक्षीय होने का दावा करते हैं।
घ. अध्ययन स्थल के लोगों के सुझाव
ङ. हर जगह पर एक नियंत्रित स्थल बनाने की भी कोशिश की गई जो उस क्षेत्र में चल रहे पर्यटन का प्रारूप हो।

साथ ही लेखक ने कोशिश की कि वे हर स्थल पर चल रहे पर्यटन तथा उससे संबंधित मूलभूत सुविधाओं की एक आम समझ बना सके।

स्थलीय अध्ययन

बांधवगढ़

बांधवगढ़ में 6 पर्यटक प्रतिष्ठानों का अध्ययन किया गया, जिसमें से 5 इस लेख में शामिल किए गए हैं। छठी जगह के अनुभव पूरी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। सातवीं जगह पर हम गए पर उसके अनुभवों को व्यक्त नहीं किया जा सकता। बांधवगढ़ में एक सफारी पर भी गए।

बांधवगढ़ बाघ आरक्षित क्षेत्र

प्रतिष्ठान 1	**बांधवगढ़ विल्डरनैस प्राईवेट लिमिटेड,** **श्री. दिलीप खटाउ, 07627 265395।** **ई मेल –** bandhavgarhwilderness@gmail.com
बात हुई	**कार्ल वौर्स्टर से, जो कि वहां के प्रबंधक हैं।**
प्रतिष्ठान 2	**स्केज़ कैम्प, ताला गांव/सत्येन्द्र तिवारी,** **07627 265309। ई मेल –** Kaysat1@yahoo.co.in
बात हुई	**सत्येन्द्र तिवारी से।**

प्रतिष्ठान 3	**अनंतवन, चूरहाट कोठी/ध्रुव सिंह, 09425331210।** **ई मेल –** moredhruv@yahoo.com
बात हुई	**ध्रुव सिंह से।**
प्रतिष्ठान 4	**जंगल मंत्र/रिया और शैलीन रामजी, 07627 280547।** **ई मेल –** contact@junglemantra.com
बात हुई	**रिया और शैलीन रामजी से।**
प्रतिष्ठान 5	**किंग्ज़ लौज, गांव रांचा, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश।** **+91 11 25885709, 25889516, 42488320।** **वैबसाईट –** http://www.kingslodge.in
बात हुई	**यदुनाथ सेन (प्रकृतिप्रेमी) से।**
प्रतिष्ठान 6	**ट्री हाउस हाईडअवे।** wildlifer@vsnl.net
प्रतिष्ठान 7	**बांधवगढ़ सफारी।**

2. कान्हा किसली

सात पर्यटक प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण किया, जिसमें से इस अध्ययन में 3 प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है, और 3 का यहां वर्णन नहीं किया गया, और 1 नियंत्रण स्थल है। स्थानीय वास्तुशास्त्र का अध्ययन किया गया और सफारी पर भी गए। मोचा गांव का एक अनौपचारिक सर्वेक्षण भी किया।

कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्र – किसली द्वार

प्रतिष्ठान 1	**वे नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए।**
प्रतिष्ठान 2	**वाईल्ड शैलेट रिज़ौर्ट,** 07649 277203, 9425417407। **ईमेल –** iawr@vsnl.com । **वैबसाईट –** www.indi-anadventures.com/wildchalet.htm
बात हुई	**एरिक डीकून्हा से, जो कि वहां के महाप्रबंधक हैं।**
प्रतिष्ठान 3	**वे नहीं चाहते कि उनका नाम से यहां कुछ कहा जाए।**
प्रतिष्ठान 4	**वन विहार – कान्हा किसली (नियंत्रण स्थल)**
प्रतिष्ठान 5	**मेपल/बैद्यनाथ कंपनियों का समूह**
बात हुई	**विजय से, जो वहां के प्रबंधक हैं।**
प्रतिष्ठान 6	**किपलिंग कैम्प।**
बात हुई	**रिशिन बासु रे से, जो कि एक प्रकृतिप्रेमी हैं।**
प्रतिष्ठान 7	**वे नहीं चाहते कि उनके नाम से यहां कुछ कहा जाए।**
प्रतिष्ठान 8	**चारदीवारी निर्माण तथा घरों का विस्तार**
प्रतिष्ठान 9	**गांव मोचा।**
प्रतिष्ठान 10	**कान्हा सफारी।**

3. कान्हा मुक्की

पांच प्रतिष्ठानों का अध्ययन किया गया, जिसमें से एक का अनौपचारिक अध्ययन किया गया और एक नियंत्रण स्थल है। स्थानीय वास्तुशास्त्र और मुक्की के अंदर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की प्रकृति पगडंडियों का अध्ययन किया गया।

प्रतिष्ठान 1	कान्हा जंगल लौज/अमित संखला (मुख्य निर्देशक)। 011 26853760/8656, 07636 290661। ईमेल – ask@tiger-resorts.com। वैबसाईट – www.tiger-resorts.com
बात हुई	तरुण भाटी – प्रबंधक।
प्रतिष्ठान 2	सिंगिनावा/नंदा और लतिका राणा। 07636 200031। ईमेल - www.singinawa.in, rana@singinawa.in
बात हुई	नंदा और लतिका राणा से।
प्रतिष्ठान 3	चितवन/शैलेन्द्र तिवारी, शरद वत्स, अश्वनी अग्रवाल, तलत। 9893394835। वैबसाईट - www.chitvan.com
बात हुई	अश्वनी अग्रवाल – प्रबंधक/हिस्सेदार।
प्रतिष्ठान 4	बंजार टोला – ताज सी.सी.ए. – अनौपचारिक भेंट।
प्रतिष्ठान 5	मईकल – नियंत्रण स्थल।
प्रतिष्ठान 6	सखराई टोला में चौतन सिंह द्वारा बनाया जा रहा मकान।
प्रतिष्ठान 7	मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की प्रकृति पगडंडियां।

2. बांधवगढ़ और कान्हा में पर्यटन को समझने का प्रयास

चित्र : 2
बांधवगढ़ बाघ आरक्ष्ति क्षेत्र के ताला द्वारा पर लगा बोर्ड।

बांधवगढ़ में पर्यटन के इतिहास का परिचय

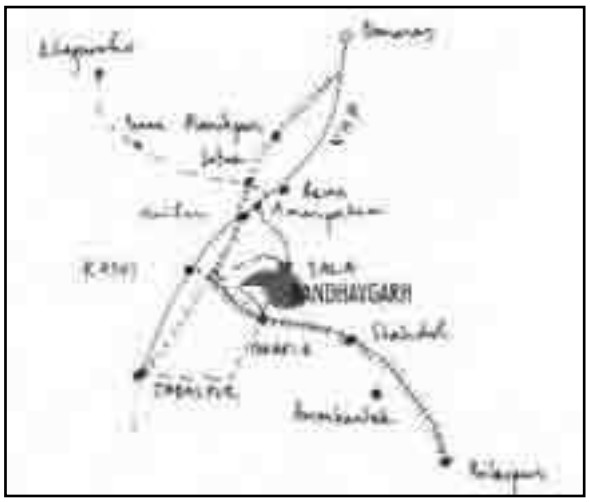

चित्र : 3
बांधवगढ़ यातायात सेवाओं से भली भंति जुड़ा है और यहां आने वाले अतिथि अक्सर बनारस तथा खजुराहो भी ज़रूर जाते हैं (मानचित्र)

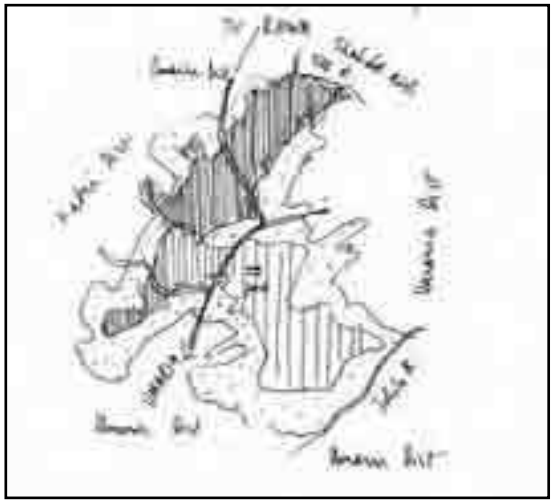

चित्र : 4
ज़्यादातर पर्यटन प्रतिष्ठान ताला गांव के आस पास ही बसे हैं (मानचित्र)

बांधवगढ़ में पर्यटन की संभावनाओं के ताले खोलने के लिए तीन मुख्य चाबियां रही हैं और शोधकर्ताओं के अनुसार चौथी तैयार हो रही है। (श्री. सत्येन्द्र तिवारी, स्केज़ कैम्प, बांधवगढ़ के मालिक और प्रसिद्ध वन्यजीव चित्रकार के साथ चर्चा में)

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई। मध्य प्रदेश में रुचिपूर्ण स्थल केवल सांस्कृतिक (खजुराहो, सांची, मान्डू) एवं वन्यजीव संबंधी (कान्हा, बांधवगढ़) परिपेक्ष रखते थे। मध्य प्रदेश के दूर दराज़ के क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाएं नहीं थीं, जैसे मान्डू, कान्हा और बांधवगढ़ में। 1975 के आसपास, वन विभाग इसमें शामिल हुआ और उसने 2 पर्यटक भवन बनाए; लौग हट, कान्हा किसली में और व्हाईट टाईगर फौरेस्ट लौज, बांधवगढ़ में।

1977 में, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास कारपोरेशन का गठन हुआ। उन्हें हरयाणा से प्रेरणा मिली थी। कारपोरेशन ने पर्यटक भवनों की देखरेख का कार्यभार संभाल लिया और 1978 में बांधवगढ़ में पर्यटन के पहले चरण की शुरुआत हो गई।

दूसरे चरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई जब एक फिल्म बनाई गई और नैशनल जौग्रैफिक पत्रिका में एक लेख छपा। यह कहानी 'हमलावर' नर बाघ की थी, जो चलते वाहनों पर हमला किया करता था (देखें वैबसाईट http://www.wildlifeofindia.com/artcharger.htm)। काफी सारे विदेशी पर्यटक इस 'हमलावर' को देखने के उद्देश्य से आने लगे। पर्यटन का यह चरण कुछ चर्चित बाघों के इर्द गिर्द ही केन्द्रित था, जिसमें ज़्यादातर विदेशी पर्यटक ही शामिल थे।

तीसरा चरण 2005 में ताज सी.सी.ऐफ्रीका द्वारा महुआ कोठी में एक पर्यटक प्रतिष्ठान की स्थापना से शुरु हुआ। उसके 800 डौलर प्रतिदिन के किराए से 60-100 डौलर प्रतिदिन की दरों और 800 डौलर के बीच काफी गहरा फासला आ गया। इसके बीच की जगह को भरने के लिए कई अन्य पर्यटक प्रतिष्ठान स्थापित हो गए।

चित्र : 5
ताला द्वार, जहां सुबह तड़के उद्यान में जल्दी प्रवेश पाने की होड़ में आए अतिथियों के वाहनों की भीड़ लग जाती है।

पर्यटन का चौथा चरण कुछ सालों पहले शुरु हुआ जब वन विभाग ने अतिथियों के उद्यान में प्रवेश के लिए एक और द्वार खोल दिया। वर्तमान समय में केवल एक पर्यटक आवास सुविधा, आनंदवन, द्वार के पास ही स्थित है और एक अन्य का समोड के बैनर तले निर्माण हो रहा है। कुछ ही समय में इस द्वार के आसपास भी कई पर्यटक आवास सुविधाएं तैयार हो जाएंगी। (यहां शायद कहना उचित होगा कि वन विभाग ने पर्यटन प्रतिष्ठानों के आग्रह से ही दूसरा द्वार खोला था, क्योंकि पर्यटकों की भीड़ के कारण ताला द्वारा से अंदर जाने में काफी समय लग जाता था। लेकिन जब से दूसरा द्वार खुला है उसका उपयुक्त उपयोग नहीं हो रहा है। वे लोग इसके पीछे कारण बताते हैं कि यह द्वार ताला द्वारा से दूर पड़ता है, जहां ज़्यादातर आवास सुविधाएं उपलब्ध हैं। वन विभाग ने इस द्वार के निर्माण एवं रखरखाव में काफी आर्थिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग किया है। इससे स्पष्ट है कि पर्यटक आवास सुविधाओं के मालिक केवल अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं और जिम्मेदारी नहीं निभाते।)

एक बाघ गंतव्य की तैयारी–बाघ – जंगल के जासूस

इस वर्ष बाघ देखने के सीज़न की शुरुआत तो पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र से हुई और इसका श्रेय जाता है, 'टाईगर्स - स्पाई इन द जंगल' फिल्म को, जिसमें डेविड ऐटेनबोरो ने कहानी सुनाई है और इसका उत्पादन जौन डैन्वर ने किया है। http://www.jdp.co.uk/programmes/Tigers:-Spy-in-the-Jungle

इस फिल्म को बनाने के लिए एक जासूस कैमरे का उपयोग किया गया, जिसमें एक मादा बाघ और उसके 10 दिन के शावकों के सफर को दिखाया गया है। विशिष्टतः पेंच में बनाई गई यह फिल्म "...बाघों का एक संसर्गपूर्ण चित्रण है, जो पहले कभी नहीं देखा गया...'', डेविड ऐटेनबोरो ने कहा। बी.बी.सी. और डिस्कवरी द्वारा बनाई इस फिल्म के बाद से इस वर्ष पेंच में ब्रिटिश पर्यटकों की भीड़ लग गई। पेंच एक नए बाघ गंतव्य के रूप में स्थापित हो गया।

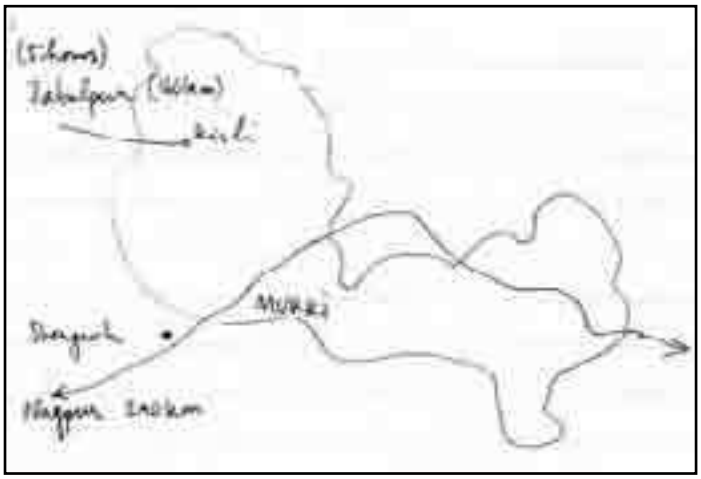

कान्हा

कान्हा को 1933 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था, 1955 में यह एक राष्ट्रीय उद्यान बना और 1973 में घोषित पहले सात बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। कान्हा को जंगल में बाघ देखने के लिए एक उत्कृष्ट स्थल माना जाता है। विश्व में एकमात्र यही जगह है जहां अत्यंत दुर्लभ हार्ड ग्राउंड बारासिंहा भी पाया जाता है। यह हिरन प्रजाति विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती। कान्हा अब एक जाना माना बाघ गंतव्य बन गया है।

चित्र 6 :
काबहा–नागपुर और जबलपुर से अच्छी तरह से जुड़ा है
(मानचित्र)

कान्हा में पर्यटन का बदलता स्वरूप

"पिछले पांच सालों में इस व्यवसाय में काफी बदलाव आए हैं। अब वह वन्यजीव दर्शन से बदलकर विलासती व आराम की जगह बनती जा रही है",

एरिक डीकून्हा

"लोग जो पाने की इच्छा रखते हैं और जो उन्हें वाकई में चाहिए, उसमें फर्क है",

ध्रुव सिंह

कान्हा में पर्यटक सुविधाएं दानों प्रवेश द्वारों, किसली और मुक्की द्वार, के आसपास बनी हैं। ज़्यादातर सुविधाएं किसली की ओर हैं, हालांकि अब कई छोटी-बड़ी सुविधाएं मुक्की के पास भी बन रही हैं।

चित्र 7 :
किसली द्वार पर तेज़ी से बढ़ते होटल

कान्हा किसली में लगभग 40 होटल हैं जिनमें कुल 1000 लागों के ठहरने की सुविधा है। 5 बड़े होटल - वाईल्ड शैलेट, कृष्णा, तुली, मेपल और सैलिब्रेशन्स। इन बड़े होटलों में से वाईल्ड शैलेट सबसे पुराना है, जिसके बाद कृष्णा और तुली बने। मेपल और सैलिब्रेशन्स नए हैं। मेपल दिवाली 2008 के दिन खोला गया और सैलिब्रेशन्स का यह तीसरा सीज़न है।

भारतीय पर्यटक और पर्यटन

"... 50 प्रतिशत से ज़्यादा पर्यटक भारतीय हैं, लेकिन फिर भी कोई भी लौज भारतीय पर्यटकों पर भरोसा नहीं करती"

सत्येन्द्र तिवारी

पर्यटन कार्यक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहलू है बढ़ती देशी पर्यटकों की संख्या। यह चलन अभी हाल के पांच सालों से ही शुरु हुआ है। कान्हा में देशी पर्यटक अक्सर समूहों में और यात्रा व्यवस्थापकों के ज़रिए आते हैं। इनमें से ज़्यादातर पर्यटक पुणे, नागपुर और मुंबई से ही नागपुर के रास्ते होते हुए आते हैं।

"...आजकल के पर्यटकों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है – वन्यजीवों में रुचि रखने वाले, आम पर्यटक और ऐसे पर्यटक जिन्हें कोई खास रुचि नहीं है..."

एरिक डीकून्हा।

बांधवगढ़ के एक पर्यटन प्रतिष्ठान में धूम्रपान, मदिरा पान नहीं किया जा सकता तथा खाना केवल शाकाहारी बनाया जाता है। लेकिन उनका कहना है कि भारतीय पर्यटकों को ऐसी जगह में कोई रुचि नहीं है।

चित्र 8 :
पर्यटन का स्वरूप विलासती और आराम देह हो जाने के कारण पर्यटक अब एयरकंडीशनर, तरण ताल, स्पा सुविधाओं, व्यायाम स्थलों (जिम्नेजिय़म) आदि की मांगें करने लगे हैं।

पर्यटन का मौसमीपन

दोनों उद्यानों में, वर्षा के मौसम में, जून से सितंबर के बीच 4 महीनों के लिए पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया जाता है। (कान्हा और बांधवगढ़ की तिथियों में 15 दिनों का अंतर रहता है)

जो 8 महीने उपलब्ध हैं, उनमें ज़्यादातर पर्यटक प्रतिष्ठान अप्रैल-मध्य तक बंद रहते हैं। गर्मी के मौसम में विदेशी पर्यटक यहां आना पसंद नहीं करते। वे लोग ज़्यादातर अक्तूबर से फरवरी/मार्च तक आते हैं। देशी पर्यटक ज़्यादातर छुट्टियों में आते हैं जैसे कि

दिवाली, क्रिसमस और नव वर्ष पर तथा गर्मियों में। तो कुल मिलाकर, प्रतिष्ठानों को साल में केवल तीन महीनों में पूरा व्यवसाय मिलता है।

सभी प्रतिष्ठान पर्यटक सीज़न के अंत में सारी व्यवस्था समेट देते हैं और अगले सीज़न में फिर से, बारिशों के बाद उसे चालू करते हैं। हर बार इसी काम में लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाता है। गर्मियों और बारिशों में ही मरम्मत आदि का काम भी किया जाता है।

मुंबई में आतंकवादी हमले के बाद और आर्थिक मंदी के समय में कान्हा और बांधवगढ़ में पर्यटकों की संख्या पर भी असर पड़ा।

पर्यटक प्रतिष्ठानों की श्रृंखलाएं या उनका जाल

रिज़ौर्टो को श्रृंखलाओं के रूप में ही बनाया जा रहा है। अक्सर एक ही उद्योग समूह के होटल हर जगह मिलेंगे, खासकर मध्य प्रदेश के कान्हा, बांधवगढ़ और अब पेंच में भी। या फिर एक नागपुर/रायपुर की होटल श्रृंखला, जिसने वन्यजीव क्षेत्रों में अपने होटल बनाने शुरु कर दिए हैं।

फिर ऐसे भी रिज़ौर्ट हैं जो निमार्ण कंपनियों, यातायात कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं - रायपुर और नागपुर की कंपनियां जिनके पास पैसे भी हैं और वे इस क्षेत्र से अच्छी तरह जुड़े भी हुए हैं। वे इस क्षेत्र को जानते हैं, यहां पर उद्यम चला चुके हैं या यहां पर छुट्टियां बिताने आए हों और उन्हें लगा कि यहां पर पैसा लगाया जा सकता है या एक बड़ा सा घर बनाया जा सकता है।

यात्रा व्यवस्थापकों और एजेंटों के इशारे पर काम होना

'अगर आप एक असली ईको शिविर चला रहे हैं तो यात्रा व्यवस्थापक आपको संशय की नज़र से देखते हैं। देखने वाले तो बहुत आते हैं पर कोई रहता नहीं।'

– ध्रुव सिंह

वन्यजीव पर्यटन, खासकर विदेशी और सम्पन्न भारतीय पर्यटकों के लिए, पूरी तरह से यात्रा व्यवस्थापकों पर आश्रित है। यह पर्यटक सबसे पहले यात्रा व्यवस्थापक से संपर्क करते हैं। और इस उद्यम में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे व्यवस्थापकों को कोई अंदाज़ा नहीं है कि ईकोपर्यटन क्या है या क्या होना चाहिए। उन्हें पर्यावरण के विषय में कोई जानकारी नहीं है; वे केवल विलासती सुविधाओं को देखते हैं - एयरकंडीशनर, तरण ताल, स्पा, कमरों का आकार, इंटरनैट, टी.वी. आदि।

रिज़ौर्ट केवल सेवाएं प्रदान करते हैं और उन्हें यात्रा व्यवस्थापकों तथा अतिथियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखना पड़ता है।

एरिक डीकून्हा का मानना है कि जब तक वे जानते हैं कि उनके अतिथि आराम से रहेंगे, विदेशी यात्रा व्यवस्थापकों को कूलर से (एयरकंडीशनर के बदले) कोई समस्या नहीं होती। लेकिन रिज़ौर्ट मालिक ही एयरकंडीशनर लगाने के लिए ज़ोर देते हैं, क्योंकि वे इसके लिए अतिरिक्त पैसे मांग सकते हैं।

चित्र 9:
एयरकंडीशनर वाले कमरों की मांग बढ़ती जा रही है और कूलर, जो कहीं ज़्यादा पर्यावरण अनुकूल है, को काई पसंद नहीं करता।

यह एक सेवा उद्योग है

'निजिकृत सेवाएं + आवास सेवाओं का नियंत्रण = व्यापार'

- तरुण भाटी, प्रसिद्ध कान्हा लौज के प्रबंधक, जो कान्हा में पिछले 20 सालों से रह रहे हैं।

इस व्यवसाय के मुख्य शब्द हैं 'अतिथि मैत्रीपूर्ण'। (इसका एक उदाहरण है - एक प्रबंधक द्वारा कहे गए यह शब्द, "बहुत से पर्यटक प्रतिष्ठान सी.एफ.एल. बल्बों का उपयोग नहीं कर रहे क्योंकि विदेशी पर्यटक इन्हें पसंद नहीं करते"। जिन लोगों ने ऐसा कहा वे शायद नहीं जानते कि पीली रौशनी देने वाले सी.एफ.एल. बल्ब इसीलिए बाज़ार में निकाले गए। वर्तमान जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इस काम में जो लोग जुड़े हुए हैं वे ऐसे स्थलों पर रहते हैं कि उन्हें कई विषयों में नवीनतम जानकारियां मिलती ही नहीं।)

इस व्यवसाय में आवास सुविधा उपलब्ध कराने वाला ही अतिथियों को दिन में दो बार जंगल में सफारी के लिए भी ले जाता है। और चूंकि अतिथियों का बाकी समय रिज़ौर्ट में ही गुज़रता है, रिज़ौर्ट को उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। "अगर हम अपनी क्षमता से ज़्यादा आरक्षण ले लें तो हम पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाएंगे" - तरुण भाटी।

इसका मतलब है कि आपको प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है जो अंग्रज़ी में बात कर सकें, और वे पाक कला व सेवाएं देने में भी पारंगत हों। दूर दराज़ के स्थलों, मूलभूत ज़रूरत की चीज़ों का आसानी से न मिलना, यातायात में परेशानियां, मौसमी उतार चढ़ाव - इन सब के कारण सेवा आधारित व्यापार और भी मुश्किल हो जाते हैं।

आप उतने ही अच्छे हैं जितना आपका विपणन

'पर्यटन विपणन का एक मुद्दा है, हरित या गैर–हरित नहीं। अच्छा विपणन = अच्छा व्यापार,
बुरा विपणन = बुरा व्यापार'

- कार्ल वूस्टर, शिविर प्रबंधक, बांधवगढ़ विल्डरनैस, जिन्हें बोट्स्वाना में जंगल शिविर चलाने का काफी अनुभव है।

एक प्रतिष्ठान ने अपने वार्षिक खर्च का 14 प्रतिशत हिस्सा विपणन, वैबसाईट और एजेंटों आदि के लिए रखा है। रिज़ौर्टों ने बड़ी होटल श्रृंखलाओं के साथ औपचारिक गठबंधन भी कर लिए हैं, जैसे कि छोटे विलासती होटलों की श्रृंखलाएं, वैल्कमग्रुप और अन्य। इन श्रृंखलाओं के अंतर्गत कुछ मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराना ज़रूरी है, जैसे स्पा, तरण ताल, इंटरनैट, टी.वी. आदि।

इस संदर्भ में (जैसा कि विश्व भर के सभी पर्यटन प्रतिष्ठानों में होता है), पर्यावरण अनूकूल मूलभूत सुविधाएं केवल अपनी दृश्यता बढ़ाने के लिए चलाई जाती हैं - कि इनको अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है। इसी आधार पर निर्णय लिया जाता है कि इस काम में कितना पैसा निवेश किया जाए। इसका मतलब यह है कि यदि प्रतिष्ठान का मालिक खुद इसमें रुचि नहीं रखता है तो केवल व्यापारिक कारण ही तय करेंगे कि प्रतिष्ठान कितना पर्यावरण अनुकूल होगा।

चित्र 10:
***डीलक्स और सूपर डीलक्स कुटीर, वी.आई.पी. कमरे, जंगल कुटीर, रैस्तरां, गोष्ठी कक्ष, तरण ताल, शरीर की मालिश, भाप का स्नान**

ज़रूरत से ज़्यादा भरा हुआ और संवेदनशील बाज़ार

उद्यानों की भार क्षमता बांधवगढ़ में 65 गाड़ियां और कान्हा में 150 गाड़ियां निश्चित की गई है। इसका मतलब है कि लगभग 300-400 अतिथि बांधवगढ़ में और 700-900 अतिथि कान्हा में जा सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब लोग काफी दूर से कान्हा आए पर उन्हें उद्यान में जाने की अनुमति नहीं मिली। निकट भविष्य में गाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने की संभावनाएं कम हैं, लेकिन हर साल पर्यटन प्रतिष्ठानों की संख्या ज़रूर बढ़ती जा रही है, जिससे उनमें आपस में होड़ सी लग गई है।

व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आर्थिक मंदी और आतंकवादी हमलों, जैसे कि मुंबई में, के कारण इस सीज़न में पर्यटन पर भी प्रभाव पड़े हैं। कुछ आरक्षित क्षेत्रों से बाघों के लुप्त हो जाने की खबरों के साथ ही पर्यटक भी लुप्त हो गए हैं। शायद बांधवगढ़ और कान्हा में इस तरह के प्रभाव जल्दी दिखाई न दें, लेकिन बाघ केन्द्रित पर्यटन की शिथिलता इससे स्पष्ट हो गई है।

एक भूमि सौदे की कहानी

रायपुर का एक निर्माण कंपनी का मालिक नव वर्ष मनाने के लिए एक रिज़ौर्ट में आया। सभी जगहें भरी थीं, कान्हा में कहीं भी ठहरने की जगह नहीं थी और बहुत से विदेशी पर्यटक भी थे। उसने पता किया कि वहां ज़मीन की क्या कीमत चल रही है। शहर में ज़मीन की कीमतों के मुकाबले कान्हा की ज़मीनें काफी सस्ती हैं, केवल रु. 3 लाख प्रति एकड़। निर्माण कंपनी के मालिक को बात जंच गई। उसने वापस जाकर संपर्क किया और नए साल के दस दिनों के अंदर ही ज़मीन का सौदा पक्का कर लिया। उसे लगता है कि पर्यटकों की संख्या पूरे साल ऐसी ही रहती है। कान्हा में पैसा निवेश करने वाले काफी लोग ऐसा ही सोचते हैं - वे ऐसे समय में यहां आते हैं जब पर्यटकों की संख्या चरम सीमा पर होती है, सब ठहरने की जगह भरी होती है, विदेशी पर्यटक होते हैं, कमरों के किराए भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लगता है कि यहां खूब पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन यहां पर रिज़ौर्ट बनाने और उसे चलाने का खर्च बहुत ज़्यादा है। (एक पर्यटक प्रतिष्ठान के प्रबंधक द्वारा बताया गया)

चित्र 11 :
प्लौट बिकाऊ है। लौज या रिज़ौर्ट के लिए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क – 17 एकड़ बिरजा हवाई पट्टी के पास 10 एकड़ संपर्क

वभिन्न रिज़ौर्ट मालिकों के बीच संबंध

"बांधवगढ़ में विभिन्न पर्यटन प्रतिष्ठानों के बीच न ही कोई भाईचारा है और न ही कोई द्वेष।"

- बांधवगढ़ का एक रिज़ौर्ट मालिक।

कान्हा और बांधवगढ़, दानों ही जगहों पर पुराने समय से काम कर रहे काफी लोग हैं, जब ये दोनों क्षेत्र पूरी तरह से जंगली क्षेत्र थे। इनमें से काफी लोग राजघरानों से हैं (खासकर बांधवगढ़ में) और इसलिए उनके आपस में भी संबंध हैं। बांधवगढ, जो पहले राजघराने का शिकार क्षेत्र था, में अभी भी उनका, द टाईगरवालो, का.काफी ज़ोर चलता है। लेकिन हाल के कुछ सालों में बांधवगढ़ में कई नए लोगों ने भी काम शुरु किया है। वन विभाग के साथ मुलाकातों के अतिरिक्त, ऐसी कोई औपचारिक जगह नहीं है जहां रिज़ौर्ट मालिक मिलकर चर्चाएं कर सकें।

कान्हा के किसली द्वार पर एक रिज़ौर्ट मालिकों और प्रबंधकों की संस्था है, जो नियमित रूप से मिलती है और इस उद्योग में आने वाली परेशानियों पर चर्चा करती है। लेकिन मुक्की द्वार पर ऐसी कोई संस्था नहीं है।

3. प्रश्नपत्र के परिणामों का सारांश

सामान्य जानकारी

कुल क्षेत्रफल

रिज़ौर्टो के कुल क्षेत्रफल काफी बड़े हैं - 5 एकड़ से लेकर 58 एकड़ तक।

कब निर्माण हुआ

1979 में पहला रिज़ौर्ट बना और अभी भी कुछ बन रहे हैं।

वास्तुशिल्पकार

- बहुत कम प्रतिष्ठानों ने वास्तुशिल्पकारों से काम करवाया है।
- वास्तुशिल्पकार की भूमिका केवल लागत निर्धारण में बताई गई।
- वास्तुशिल्पकार कुछ काम नहीं आते, वे केवल सपाट ज़मीन पर ही काम करना जानते हैं।

सुविधाएं

जिन प्रतिष्ठानों में हम गए, वहां पर्यटकों का घनत्व काफी कम था। उच्च स्तर पर ऐसे भी प्रतिष्ठान थे जहां 20 दो पलंग वाले कमरों के लिए 8 एकड़ जगह और 34 कमरों के लिए 54 एकड़ जगह उपयोग की गई है। निचले स्तर पर ऐसे प्रतिष्ठान थे जहां 12 कमरे 58 एकड़ भूमि पर बनाए गए हैं। लेकिन बांधवगढ़ और कान्हा में बन रहे सस्ते प्रतिष्ठानों के विषय में यह नहीं कहा जा सकता।

चत्र 12:
बांधवगढ़ में एक स्थानीय ठेकेदार 60 कमरों वाला, 2 मंजिल़ा रिज़ौर्ट और डीलक्स कुटीर बना रहा है। इस अकेले प्रतिष्ठान में बाकी लगभग आधे दर्जन प्रतिष्ठानों के बराबर कमरे हैं!

संबंधित मूलभूत सुविधाएं

कुछ प्रतिष्ठानों, ज़्यादातर जो काफी पहले से बने हैं, में तरण ताल, स्पा आदि नहीं हैं और वे इन्हें बनाना भी नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, अनंतवन, स्केज़ कैम्प बांधवगढ़ में और किपलिंग कैम्प, वाईल्ड शैलेट, जंगल लौज कान्हा में।

छोटे तरण ताल, जिन्हें डुबकी लगाने वाले ताल कहा जा सकता है, काफी प्रचलित होते जा रह हैं। स्पा भी धीरे-धीरे नज़र आने लगे हैं। इसके पीछे कारण यह भी है कि रिज़ौर्ट अब छोटे विलासती होटल समूहों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जो यह सब सुविधाएं बनाना चाहतें हैं (स्पा, तरण ताल, इंटरनैट, टी.वी. आदि)।

चित्र 13:
तरण तालों के लिए प्राकृतिक वातावरण पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। एक बार तरण ताल को एक भवन की छत पर इकट्ठे हुए बारिश के पानी से भरा गया। तब से पानी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तरण ताल का पानी साफ करने वाले संयंत्र को प्रतिदिन 4 घंटे चलाना पड़ता है। इसमें काफी बिजली खर्च होती है। हालांकि मालिक चाहते थे कि वे प्राकृतिक स्वच्छता संयंत्र लगाएं लेकिन बाज़ार में ऐसे कोई कारगर विकल्प उपलब्ध नहीं थे। (सिंगिनावा – मुक्की – कान्हा)

प्रत्यक्ष ज्ञान

'हरित' होने का क्या मतलब है

इस सवाल के कई अलग अलग प्रकार के जवाब मिले, लेकिन वे ज़्यादातर इस प्रकार थे :

- स्थानीय लोगों की भागीदारी
- प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करना, खासकर बिजली और पानी
- ज़मीन पर पड़ने वाले प्रभाव, वनस्पतियों को कम करना, खासकर बिजली और पानी करना और निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद वनस्पतियों का पुनर्जनन करना ।
- ज़्यादा फैलाव के मुकाबले सीमित क्षेत्र में काम करने की योजना बनाना
- खूब सारे पेड़ लगाना
- सौर ऊर्जा का प्रयोग - वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन
- प्लास्टिक अपशिष्ट कम करना
- जैविक खेती करना

चित्र 14:
स्थानीय लोगों की भागीदारी – बांधवगढ़ विल्डरनैस (जो पहले मेवाड़ कैम्प के नाम से जाना जाता था) की एक छोटी सी संस्था है, जो स्थानीय लागों को अस्पताल ले जाने की सुविधा प्रदान करती है।

चित्र 15 व 16
एक सफल तरीका है कि ज़मीन को वापस जंगली बनने दिया जाए (सिंगीनावा, वाईल्ड शैलेट, किपलिंग कैम्प, जंगल लौज)। ऊपर दिए गए उदाहरण में (सिंगीनावा) लैनटाना की झाड़ियों को साफ करके, जंगली घासों और छंगाई किए पेड़ों को फिर से बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया। वन्यजीवों के लिए पानी पीने की जगह बनाई गई।

चित्र 17:
अन्य स्थलों में, अधिग्रहण से पहले जिस ज़मीन पर कृषि होती थी, उसपर जैविक कृषि की जा रही है (चितवन, अनंतवन)। अनंतवन में (जिसका चित्र ऊपर है) जैविक खेती के कारण स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिला है। इससे तकनीकी हस्तांतरण करने का भी मौका मिलता है, और वे अपने उत्पाद रिज़ौर्टो को बेच सकते हैं।

क्या इस विषय पर स्पष्टता है

सभी का कहना था कि "जागरुकता" है पर "स्पष्टता" नहीं।

- इसे फैशन के रूप में लागू किया जाता है, और इस आधार पर कि किस चीज़ का चलन है
- स्पष्टता लाने के लिए ज़रूरी है कि बदलाव भी किए जाएं
- लोग केवल इसका फायदा उठा रहे हैं
- इसका अनुमान भौतिक कारकों से लगाना मुश्किल है
- यात्रा व्यास्थापकों, जिनकी इस व्यापार में मुख्य भूमिका है, को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, वे केवल भौतिक सुविधाओं को ही देखते हैं

क्या इसके व्यवसायिक लाभ हैं?

ज़्यादातर लोगों का मत था कि "लंबे समय में इसके निश्चित लाभ हैं"।

- पर्यटक हरित प्रतिष्ठान के लिए ज़्यादा पैसा देना नहीं चाहते। अगर आप उतने ही दरों में हरित प्रतिष्ठान उपलब्ध करवा सकते हैं तो निश्चित रूप से लोग हरित प्रतिष्ठानों में ठहरना पसंद करेंगे।
- इससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी।
- इसमें दृश्यता भी एक मुद्दा है - कि आप व्यापार के लिए इसका कितना फायदा उठा सकते हैं

क्या यह महंगा है?

ज़्यादातर लोगों का मानना है "हां"

- यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितने हरित बनना चाहते हैं - यह महंगा पड़ेगा अगर आप 100 प्रतिशत हरित प्रतिष्ठान बनना चाहते हैं
- छोटे प्रतिष्ठनों के लिए यह निश्चित ही महंगा पड़ता है, जबकि बड़े प्रतिष्ठनों के लिए ऐसा नहीं , क्योंकि वे अन्य चीज़ों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते है।
- खर्च लगभग बराबर ही होता है लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा होती है
- समय और ऊर्जा ज़्यादा लगती है
- यह एक ऐसा निवेश है जिसके लाभ लंबे समय में मिलते हैं
- सभी हरित प्रयासों में पहले 2 सालों में ज़्यादा पैसा लगता है
- क्या महंगा है और क्या नहीं यह व्यक्तिगत विचारों और उनके प्रति आवेग पर निर्भर करता है।
- हां, लेकिन काफी सस्ती हरित तकनीकें भी उपलब्ध हैं

क्या इसमें ज़्यादा समय लगता है?

ज़्यादातर लोगों का कहना था कि इसमें ज़्यादा समय लगता है और निजि रूप से ध्यान भी देना पड़ता है

- हरित बनने से हरित बने रहना ज़्यादा मुश्किल है
- कैम्प बनाने के मुकाबले, पौधे और उनकी पौधशाला बनाने में निश्चित रूप से ज़्यादा समय लेता है।
- इसमें समय भी लगता है और व्यक्तिगत रूप से ध्यान भी देना पड़ता है
- शुरूआत में ज़्यादा समय लगता है

क्या इसके लिए आवश्यक जानकारियां तथा व्यवसायिक कौशल उपलब्ध है

अधिकांश लोगों का मत यही था कि व्यवसायिक कौशल उपलब्ध नहीं है

- कुछ मुट्ठी भर पेशेवर लोग मिलते हैं जिनके पास कौशल है
- कोई व्यवसायिक कौशल उपलब्ध नहीं है
- व्यवसायिक कौशळ है, पर उसे ढूंढ़ना पड़ता है
- इंटरनैट एक अच्छा माध्यम है
- व्यवसायिक कौशल छोटे छोठे अंशों में मिलता है - अलग अलग एजेंसियों के पास जाना पड़ता है। एकत्रिकृत तकनीकी ज्ञान उपलब्ध नहीं है।

बिना प्रमाणीकरण के हरित प्रतिष्ठान बनाने में कोई व्यवसायिक फायदा है?

हालांकि यह प्रश्न हरित प्रमाणीकरण पर था, अधिकांश लोगों के पास टूर औपरेटर फौर टाईगर्स (www.toftigers.org) के साथ किसी प्रकार का संबंध है। अतः यह कहना ठीक होगा कि यह जवाब टूर औपरेटर फौर टाईगर्स के संदर्भ में हैं।

लोगों का मानना है कि आमतौर पर इससे फायदा तो होता है, पर यह काफी मुश्किल भी है। एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया यह थी कि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में काफी कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन इससे उतना व्यापारिक फायदा नहीं मिलता, जितना कि विपणन से या प्रमाणीकरण का फायदा उठाने से मिलता है। कुछ ने तो यह भी कहा कि कुछ प्रतिष्ठान केवल प्रमाणीकरण का फायदा उठाना जानते हैं और इससे केवल विपणन में फायदा मिलता है। एक सुझाव यह भी आया कि बड़े और छोटे प्रतिष्ठानों के लिए अलग अलग दिशानिर्देश होने चाहिएं, क्योंकि उनके बजट और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों में काफी अंतर होता है।

- बिना विपणन के प्रमाणीकरण किसी काम का नहीं है
- इससे केवल बड़े प्रतिष्ठानों को फायदा होता है, जो इसे विपणन में उपयोग कर सकते हैं। छोटे और बड़े प्रतिष्ठानों के लिए प्रमाणीकरण के समान मापदण्ड लागू नहीं किए जा सकते।
- इस छाप की ज़रूरत है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। प्रमाणीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया में काफी कुछ सीखने को मिलता है कि क्या क्या करना चाहिए।
- चूंकि यह अनिवार्य नहीं है, तो लोगों की रुचि पर निर्भर करता है
- इससे ग्राहक मिलने में आसानी तो होती है
- यह एक नया और सच्चा प्रयास है, इसको समय देना चाहिए
- प्रश्नावली पर कुछ ज़्यादा ही ज़ोर दिया गया है। टूर औपरेटर फौर टाईगर्स के प्रतिनिधि को खुद आकर देखना चाहिए कि स्थापित प्रतिष्ठान कैसे काम कर रहे हैं, जिससे कि प्रश्नावली में दिए गए जवाबों का सत्यापन भी हो जाए।
- आपत्ति भी उठाई गई कि टूर औपरेटर फौर टाईगर्स ऐसे रिज़ौर्टो को भी मान्यता दे देता है जो अभी आवश्यक कदम लेने वाले हैं या केवल कदम लेने का आश्वासन दे रहे हों
- टूर औपरेटर फौर टाईगर्स के सामने एक चुनौती है कि उनकी प्रमाणीकरण प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी तथा प्रतिष्ठानों की विस्तृत जांच पर आधारित रहे। एक बार यदि उनकी विश्वसनीयता में कमी आ गई तो उसे वापस प्राप्त करना मुश्किल होगा।

क्या आज के ग्राहक इस पहलू में कोई रुचि रखते हैं?

- विदेशी पर्यटक एवं भारतीय कारपोरेट समूह इस विषय को काफी गंभीरता से लेते हैं
- देशी पर्यटक इस विषय में ज़्यादा सजग नहीं हैं, लेकिन समय के साथ उनके बीच भी जानकारी फैल रही है
- काफी लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है

स्थल

इस स्थल की योजना किस प्रकार बनाई गई?

स्थल आधारित

- नए प्रवेश द्वार के आधार पर निर्धारित स्थल
- द्वार के नज़दीक जंगल क्षेत्र
- नदी के किनारे का स्थल - मनोरम दृश्य, नदी उन्मुख पर्यटन
- ऐसे गांव में पहुंचे जो उद्यान के पास था और वहां कोई नहीं रहता था
- मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर ज़ोन) के बाहर, जिससे कि नगर के बढ़ते विकास से दूरी रख सकें
- गांव के पास
- दो जंगल क्षेत्रों के बीच की ज़मीन लगातार खरीदी जा रही है जिससे कि इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ा जा सके

चित्र 18 :

मुक्की द्वार के पास ताज रिज़ौर्ट ने बंजार टोला में नदी के किनारे तम्बूनुमा ढांचे बनाए हैं। नदी के पार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का मध्यस्थ क्षेत्र (कोर ज़ोन) दिखाई देता है। एक स्थानीय गांव के निवासी का कहना है कि उनकी रोज़मर्रा की गतिविधियों, जैसे नदी में नहाना, कपड़े धोना, भैंसे नहलाना आदि से विदेशी पर्यटकों को परेशानी होगी, तो अब वे नदी का उपयोग नहीं कर सकते।

चित्र 19:

मेपल (बैद्यनाथ समूह का होटल) कान्हा किसली के पास, बंजार नदी के किनारे की कृषि भूमि पर बनाया गया है। वे नदी से पानी उठाकर अपने होटल में बने तालाब में पानी भरते हैं। पिछले दो सालों में बारिश न होने से नदी का स्तर गिर गया है, स्थानीय लोग बंजार नदी पर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए निर्भर करते हैं। उनके द्वारा पंप से पानी निकालने के कारण न केवल पानी कम हो रहा है, बल्कि नदी में प्रदूषण भी हो रहा है, जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया है।

चित्र 20:
जंगल मंत्र, गांव रांचा, बांधवगढ़ लगातार ज़मीन खरीद रहा है जिससे कि वह जंगल से भरी पहाड़ियों को आपस में जंगल भरे रास्ते से जोड़ सके।

चित्र 21:
अनंतवन ने वन विभाग द्वारा खोले गए नए द्वार पर अपना होटल बनाया है, जिससे कि वह अपने आप को नए क्षेत्र में स्थापित कर सके। इसके पीछे एक और मुख्य कारण था स्थानीय लोगों को शामिल करना।

चित्र 22:
स्केज़ कैम्प, जो बाकी प्रतिष्ठानों के मुकाबले काफी छोटा है,
ताला गांव में स्थित है और इसे बनने में काफी समय लगा है।

विकास आधारित

- जो समय के साथ धीरे धीरे बने हों
- जो शुरुआत में केवल परिवार और दोस्तों के लिए थे और धीरे धीरे व्यापारिक प्रतिष्ठान बन गए

उपलब्धता पर आधारित

- बंजर ज़मीन, अन्य रिज़ौर्टो में क्या बना है उसके आधार पर नियोजन
- मुख्य पर्यटन विकास के केन्द्र से दूर सस्ती ज़मीनें

संरचना नियोजन

- फैले हुए, हर एक के पास अपने निजि जंगल, एकांत, अलग से बना हुआ
- सुसंबद्ध नियोजन, स्थल का कुल क्षेत्रफल 11 एकड़ और निर्माण केवल 1 एकड़ पर

चित्र 23:
बांधवगढ़ विल्डरनैस (जो पहले मेवाड़ कैम्प के नाम से जाना जाता था) काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत हर कुटीर के पास अपना जंगल क्षेत्र है, और दूसरे कुटीर से दूर बना है। यह संरचना महंगी पड़ती है क्योंकि प्रत्येक सुविधा पहुंचाने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है जैसे, पाईप, बिजली, सड़क आदि।

चित्र 24:
जंगल लौज, कान्हा मुक्की ने अपना सारा निर्माण 1 एकड़ में किया है जबकि उसके पास कुल 11 एकड़ ज़मीन है।

निर्माण के दौरान स्थलीय प्रबंधन

- स्थल पर मजदूरों का प्रबंधन करना काफी मुश्किल है।
- स्थानीय मजदूरों को काम पर लगाने से उनके वहां रहने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, जिससे स्थलीय प्रबंधन आसान हो जाता है।
- पहले से बने रिज़ौर्ट के आधार पर उसी के पुनः निर्माण का नियोजन
- निर्माण कार्य से निकले पत्थरों का भू-क्षरणित नालियों को भरने के लिए उपयोग

स्थल का पारिस्थितिकीय नियोजन

- विस्तृत स्थल सर्वेक्षण, जिसमें सभी पेड़ों, तालाबों, रेत के टीलों को चिह्नित किया गया
- स्थल पर कुदरती पानी के बहाव का अध्ययन
- जहां तक हो सके, पहले से मौजूद निर्माण का उपयोग
- ज़मीन और वनस्पतियों को न्यूनतम नुक्सान
- कुटीर और रास्ते पेड़ों के इर्द गिर्द बनाना
- स्थल पर वन्यजीवों के आने-जाने के रास्तों का अध्ययन
- स्थल के केवल एक क्षेत्र का उपयोग करना और बाकी जगह को जंगली छोड़ देना
- पहले से बहते पानी को रोककर छोटी सी झील बनाना
- जमीन के कृषि उपयोग को बनाए रखना और जैविक खेती करना
- संपत्ति की चारदीवारी न बनाना
- संपत्ति के चारों ओर कंटीले तारों की घेराबंदी, जिससे वन्यजीव आराम से आ जा सकें और मवेशी अंदर न घुसें

चित्र 25: किपलिंग कैम्प में कुटीर और रास्ते पेड़ों के इर्द गिर्द बनाए गए हैं, उनके लिए पेड़ काटे नहीं गए

चित्र 26 व 27:

वाईल्ड शैलेट की कोई चारदीवारी नहीं है। उसके चारों ओर एक खाई है और उसके कर्मचारी मवेशियों को बाहर रखते हैं। वाईल्ड शैलेट बंजार नदी के किनारे बना है और जो भी वन्यजीव नदी में पानी पीने आते हैं, वे यहां से होकर गुज़रते हैं।

चित्र 28:
सिंगीनावा में पानी के प्राकृतिक बहाव का उपयोग करके एक बड़ी झील बनाई गई जहां पर न केवल विभिन्न प्रजातियों के घास खाने वाले जानवर आते हैं बल्कि तेंदुए भी आते हैं।

सिंगीनावा के चारों ओर तार की बाड़ बनी है जो उसे मध्यस्थ क्षेत्र से अलग करती है, इसे वन्यजीव तो पार कर सकते हैं पर मवेशी बाहर रहते हैं।

कोई खास पहलू जो आपके और/या वन्यजीवों के लिए लाभकारी हैं

- पहले से मौजूद जलाशय को बड़ा कर दिया गया
- पारंपरिक टैंकों की मरम्मत व उनका बढ़ाया जाना
- दलदल क्षेत्रों का बढ़ाया जाना
- एक जलाशय बनाया, जो हमारे कुओं में पानी भरे रखता है और बागवानी के लिए पानी उपलब्ध कराता है
- ज़मीन के कुछ हिस्से में जैविक खेती करते हैं
- सब्जियों की खेती के साथ साथ फलों के पेड़
- मध्य भारत के जंगली पेड़ों की पौधशाला जिसमें 98 प्रजातियों के 3500 पौधे हैं, जिनमें से कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं
- 3000 बांस और अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए
- फलों के पेड़ लगाए, जिन पर वन्यजीव आकर्षित होते हैं
- पेड़ और पौधे, जो हिरनों और लंगूरों को आकर्षित करें
- मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, जिससे जंगली सूअर और चीतल के लिए बेहतर घासें पैदा हुईं
- चोरियां रोकने के लिए दीवार बनाई पर उसमें वन्यजीवों के लिए सुराख.छोड़ दिए गए
- रात को हल्की रौशनी
- हल्की रौशनी

चित्र 29:
जंगल मंत्र अपने परिसर में मौजूद पानी के टैंक की क्षमता बढ़ा रहा है। जंगल मंत्र का कहना है कि गांव वाले अभी भी टैंक का उपयोग करते हैं। एक खतरा हमेशा बना रहता है कि स्थानीय गांव वालों के महत्वपूर्ण संसाधनों का अधिग्रहण हो जाए और वे इनके उपयोग से वंचित हो जाएं, जिससे उनको परेशानी हो सकती है और इसका वनों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

चित्र 30:

अनंतवन ने अपने परिसर में मध्य भारत के 98 पेड़ प्रजातियों के 3500 पौधों की पौधशाला लगाई है। इनमें से कुछ प्रजातियां तो लुप्त होने के कगार पर थीं। ऐसी परियोजनाएं जंगलों के पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

वनस्पति

हर किसी को वनस्पतियों की गुणवत्ता में भिन्नता की जानकारी नहीं थी। मुख्यतः 3 विचारधाराएं हैं:

1 'उद्यान' कार्यशैली - विदेशी, सुंदर दिखने वाले पौधे, बगीचे, पगडंडियां, अलग अलग स्तर पर निर्माण आदि - जिसमें ज़्यादातर बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है।

2 जैविक कृषि शैली - हरी सब्जियां, फल, खाद बनाना, स्थानीय लोगों को मज़दूरी, ज़मीन की खेती, इसमें भी काफी पानी लग जाता है।

3 जंगली शैली - स्थानीय प्रजातियां, न्यूनतम हस्तक्षेप, पारिस्थितिकीय सुधार, वन्यजीव केन्द्रित, ज़मीन पर न्यूनतम फर्शबंदी ज़्यादातर जगहों पर इनमें से दो प्रकार की शैलियां पाई गईं।

- विदेशी सुंदर दिखने वाले पौधों, बगीचों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है
- स्थानीय वनस्पतियों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाव और उनका पौधारोपण हो
- गिरी हुई पत्तियों को वैसे ही छोड़ दिया जाए, हालांकि मज़दूर उन्हें लगातार साफ करते रहते हैं, शायद नौकरी खोने के डर से
- पौधशाला लगाना, जिससे न केवल उस स्थल पर बल्कि अन्य रिज़ौर्टो को भी हरा भरा बनाया जा सके
- प्रकृति प्रेमी तथा कर्मचारी मवेशियों को बाहर रखते हैं
- जंगल से साल के पौधे लाए और उनका पौधारोपण किया - अब वे बड़े पेड़ बन गए हैं
- पौधारोपण करने के बजाए प्राकृतिक पेड़ों के पुनर्जनन में सहयोग करें। ज़मीन पर पेड़ होने से भविष्य में हर जगह निर्माण करने पर भी रोक लगेगी।
- रिज़ौर्ट मालिक आंध्रा प्रदेश से ट्रक भर के पौधे लाए और पूरे परिवार ने उनका पौधारोपण किया
- प्राकृतिक वनस्पति, ऊंची घासें, जंगली पौधे
- लैमन ग्रास का पौधारोपण
- 40 लोगों द्वारा 3 महीने में 58 एकड़ क्षेत्र से लैन्टाना उखाड़ा गया
- किसी भी प्रकार के उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया गया
- जिन पेड़ों की छंगाई हुई थी उन्हें पतला करके उनमें केवल एक तना छोड़ा गया और आज वे पेड़ बन गए हैं।
- औषधीय उद्यान

चित्र 31:
कुछ प्रतिष्ठान रिज़ौर्ट उद्यान शैली का प्रयोग करते हैं जिसमें बगीचे, विदेशी और सुंदर दिखने वाले पौधे होते हैं। इसमें कहुत सारा पानी लगता है और यह वन्यजीवों के लिए भी अनुकूल नहीं होते – हरे दिखते हैं पर हरित नहीं होते।

चित्र 32:
सिंगीनावा में 40 लोगों द्वारा 3 महीने में 58 एकड़ क्षेत्र से लैन्टाना उखाड़ा गया। सिंगीनावा के चारों ओर तार की बाड़ बनी है जो उसे मध्यस्थ क्षेत्र से अलग करती है, इसे वन्यजीव तो पार कर सकते हैं पर मवेशी बाहर रहते हैं।

चित्र 33:
बांधवगढ़ विल्डरनैस में, जबसे इसे कैम्प मेवाड़ से अधिगृहीत किया गया है, नए प्रबंधक चाहते हैं कि गिरी हुई पत्तियों को वैसे ही छोड़ दिया जाए। लेकिन मज़दूर उन्हें लगा–तार साफ करते रहते हैं, शायद नौकरी खोने के डर से और आदत के कारण

जल

क्या पानी की कोई समस्या है?

पानी की समस्या हुआ करती थी, लेकिन रिज़ौर्टों को नहीं, क्योंकि उनके पास अपने विश्वस्त स्रोत थे - कुएं, बोर वैल। पानी का स्तर गिरने के विषय में चर्चाएं हुईं, लेकिन यह स्थापित करना मुश्किल था कि इसका कारण रिज़ौर्टों द्वारा खोदे गए कुएं या बोर वैल हो सकता है। इसके विपरीत, सुझाया गया कि गांव वालों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए रिज़ौर्टों द्वारा कुएं व बोर वैल खोदे जाने को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाए। इससे पहले कृषि पूरी तरह से बारिश पर निर्भर थी और जंगली जानवरों से इसमें काफी नुकसान होता था। सतही पानी का स्तर काफी ऊंचा है (बांधवगढ़ में तो उसकी भौगोलिक संरचना के कारण) और खुले कुओं और बोर वैल से कृषि की सततता, फसलों की बहुलता और अधिक मुनाफा देने वाली फसलें उगाने में मदद मिलेगी।

- पर्याप्त होना चाहिए
- समस्या नहीं है
- लागों को मालूम नहीं है कि उनके नल तक पानी पहुंचाने में कितनी मेहनत और ऊर्जा लगती है
- पानी प्रमुख मुद्दा है।
- बहुत ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है, पानी का स्तर गिरता जा रहा है
- पानी में फ्लोराईड और लौह तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा है - और पानी का परीक्षण भी नहीं किया जाता (बांधवगढ़)
- कान्हा में लगातार दो बार बारिश का मौसम सूखा गया, नदी में कभी भी इतना कम पानी नहीं था
- मार्च से मई के महीने काफी मुश्किल होते हैं
- रिज़ौर्टों द्वारा अत्यधिक दोहन के कारण पानी का स्तर गिर रहा है, गर्मियों में कुएं सूख जाते हैं

फिर पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं?

- बोरवैल
- कुएं
- बोरवैल और कुएं दोनों
- पम्प और ऊपरीं टंकियां
- पम्म द्वारा चढ़ाया गया पानी

क्या आपने जल संरक्षण/पानी का उपयुक्त प्रयोग करने का प्रयास किया है?

मुख्य कदम जो उठाए गए वे थे गंदे पानी को बागवानी के लिए उपयोग करना और बाथरूम में कपड़े न धोने के नोटिस लगाना।

- नहाने के लिए केवल शौवर लगाए हैं, टब नहीं
- सभी शौवर में पानी बचाने के उपकरण लगे हैं, जिसमें हवा से दबाव बनता है
- ग्राहकों के लिए चादरें आदि दोबारा उपयोग करने के नोट लगाए गए हैं
- पानी बचाने के भी नोट लगाए गए हैं
- गंदा पानी सीधा पौधों में जाता है
- रेत, कंकड़ और चारकोल का भूगर्भीय फिल्टर लगाना चाहते हैं
- एक लीटर की बोतलें मांगने पर दी जाती हैं
- स्थल का पानी काफी अच्छा है, भोजन कक्ष में वही पानी दिया जाता है
- अतिथियों के पीने के लिए उबला और फिल्टर किया हुआ पानी दिया जाता है
- बगीचों में कालीननुमा घास नहीं लगाई जा रही, जिससे कि पानी की बचत हो सके
- शौचालयों में ज़्यादातर टिशू पेपर का ही उपयोग कर रहे हैं
- पहले कैम्प के स्थल पर धान के खेत हुआ करते थे। उसकी दीवारें हमने कायम रखी हैं क्योंकि उनसे पानी सोखने और रोके रखने में मदद मिलती है
- गड्ढे खोद कर छोड़ दिए हैं, जिससे कि पानी ज़मीन के अंदर जाए
- छतों पर इकट्ठे होने वाले बारिश के पानी से 4 बोरवैल भर जाते हैं
- पहले सीज़न में छत पर इकट्ठे हुए बारिश के पानी से तरण ताल भरा गया

- शौचालयों में 2 तरह के फ्लश हैं - आधी टंकी और पूरी टंकी पानी उपयोग करने वाले।
- स्थलों पर जो पानी उपलब्ध है, उसका परीक्षण करवाया गया है और वह और अतिथियों द्वारा पीया जाता है

चित्र 34:
आनंतवन में अतिथियों को नलकूप उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे उन्हें भी ज्ञात होता है कि पानी उपलब्ध कराने में कितने संसाधन लगते हैं।

चित्र 35:
जंगल लौज ने एक छोटा टैंक बनाया है, जिसमें ऊपरी टंकी का अतिरिक्त पानी भरता है। इस पानी को पौधों के लिए उपयोग किया जाता है।

चित्र 36:
सिंगीनावा के पानी बचाने वाले शौवर

चित्र 37:
किपलिंग कैम्प में अतिथियों को भोजन कक्ष में लगे एक्वागार्ड पानी फिल्टर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि बोतल के पानी पर निर्भरता कम की जा सके।

चित्र 38:
किपलिंग कैम्प में लगे इस नोट से पता चलता है कि हम आम तौर पर कितनी बरबादी करते हैं

इसके अतिरिक्त पानी बचाने वाले उपकरण लगाने से और भी पानी बचाया जा सकता है। चूंकि खूब सारी ज़मीन उपलब्ध है, तो गंदे पानी और मल के पुनः उपयोग के कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। जिन स्थलों पर बड़े बड़े उद्यान व बगीचे हैं, उन्हें रिसाव सिंचाई तकनीक उपयोग करनी चाहिए, जिससे काफी पानी बचता है।

आप चादरों आदि को कैसे धोते हैं?

लगभग सभी लोग जानते हैं कि डिटरजैंट पानी के लिए हानिकारक होते हैं। लेकन समस्या यह है कि बाज़ार में प्रकृति अनुकूल डिटरजैंट के कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।

- एक प्रतिष्ठान अपने प्रांगण में ही धोने की कोशिश करता है
- चादरें आदि आमतौर पर स्थानीय नदी में धोई जाती हैं
- जानते हैं कि यह एक समस्या है पर इससे रोज़गार भी बढ़ता है
- यदि बाज़ार में प्रकृति अनुकूल/कम नुकसान करने वाले डिटरजैंट उपलब्ध होते तो निश्चित ही उनका उपयोग करते
- एक नोट लगाया गया है कि अतिथि अति आवश्यक होने पर ही चादरें धुलने के लिए दें

चित्र 39:
"किपलिंग कैम्प ताज़ा तौलिये... हम केवल एक बार उपयोग किए गए तौलिये को धोने के लिए बड़ी मात्रा में डिटरजैंट व कई गैलन पानी इस्तेमाल करते हैं। कृपया खुद ही निर्णय लीजिए। शायद आप उसे एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें"

चित्र 40 व 41
लगभग सभी चादरें आदि कान्हा और बांधवगढ़ की नदियों में डिटरजैंट से धोई जाती हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलता है। यहां धोबी कान्हा किसली में बंजार नदी में कपड़े धोते और मोचा गांव के बाहर उन्हें सुखाते हुए देखे जा सकते हैं।

चित्र 42:
आम तौर पर कहा जाता है : "अगर आप का बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो उसे केवल उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ही पीने के लिए दें।"

ऊर्जा

दिलचस्प बात है कि बंजार टोला गांव, जो मुक्की द्वार के पास बसा है, में बिजली नहीं है। जबकि उसके चारों ओर, सड़क पर, मोबोईल टौवर पर, रिज़ौर्टो में सब जगह बिजली है।

आप के प्रतिष्ठान में बिजली का मुख्य स्रोत क्या है?

मुक्की द्वार को छोड़कर, जो बालाघाट जिले में आता है, बांधवगढ़ और कान्हा, दोनों जगहों पर बिजली पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। सबके लिए (दो प्रतिष्ठानों को छोड़कर) बिजली राज्य विद्युत विभाग के ट्रांस्फौर्मर से आती है (16 किलो वौट एम्पीयर से लेकर 150 के.वी.ए. तक) और ज़रूरत पड़ने पर जैनरेटर भी है। प्रतिष्ठान एक निर्धारित मासिक दर से ट्रांस्फौरमर की क्षमता के अनुसार बिजली उपयोग के लिए व्यापारिक दरों पर भुगतान करते हैं, जिसके कारण राज्य विभाग की बिजली उन्हें काफी महंगी पड़ती है। इसके बावजूद रिज़ौर्ट वाले चाहते हैं कि राज्य सरकार और ज़्यादा बिजली उपलब्ध कराए और वे इसके लिए और भी अधिक किराए देने के लिए तैयार हैं। इसका कारण है कि जैनरेटर से पैदा की गई बिजली की कीमत व्यापारिक दरों से दुगुनी ज़्यादा महंगी पड़ती है और बिजली की मांग तो लगातार बढ़ ही रही है।

चित्र 43:
कान्हा–मुक्की में बने चितवन के लिए, और रिज़ौर्टो की तरह ही राज्य विभाग के ट्रांस्फौरमर से ही बिजली आती है, जिसकी क्षमता 16 के.वी.ए. से लेकर 150 के.वी.ए. तक है, जिसके लिए हाई टैन्शन तारें लगानी पड़ती हैं। जैनरेटर होना ज़रूरी है, खासकर एयरकंडीशनर चलाने के लिए।

क्या राज्य द्वारा दी जा रही बिजली लगातार उपलब्ध रहती है?

बांधवगढ और कान्हा किसली में बिजली की उपलब्धता अच्छी है। बिजली जाने का समय सुबह के कुछ घंटों के लिए निर्धारित है, और इसी समय पर्यटक सफारी के लिए गए होते हैं, तो परेशानी नहीं होती। कान्हा किसली को पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत घोषित कर दिया गया है, जिससे बिजली की स्थिति में सुधार आया है। लेकिन कान्हा मुक्की में, जो बालाघाट जिले में है, बिजली की उपलब्धता काफी अस्पष्ट है, दिन में कई घंटों तक बिजली नहीं रहती।

आप के जैनरेटर कितने घंटे तक चल सकते हैं?

एयरकंडीशनर व तरण ताल के पानी को साफ करने वाले यंत्र को चलाने के लिए ज़्यादा क्षमता वाले जैनरेटर हैं। चूंकि ज़्यादातर प्रतिष्ठान लकड़ी/जैविक ईंधन से पानी गर्म करते हैं, उसके लिए बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो पूरी तरह से राज्य विभाग की बिजली पर निर्भर हैं और कुछ ऐसे, जिनके पास खुद की इतनी बिजली है कि वे एक छोटे से नगर को रौशनी दे सकते हैं।

- केवल ए.सी. चलाने के लिए एक 100 के.वी.ए. का जैनरेटर लेना पड़ेगा
- इनवर्टर
- इनवर्टर और बैटरी
- अभी 40 के.वी.ए. का है, दूसरा आने वाला है
- 100 के.वी.ए. का शांत जैनरेटर
- 7.5 के.वी.ए. का जैनरेटर - रात में उपयोग नहीं करते। लालटेन व मोमबत्ती दे देते हैं
- 3 मुखी जैनरेटर है जो न कोई आवाज़ करता है, न ही धुआं छोड़ता है
- डीज़ल जैनरेटर
- कोई जैनरेटर नहीं
- 225 के.वी.ए. शांत जैनरेटर
- 63 के.वी.ए. शांत जैनरेटर

चित्र 44 :
सभी नए प्रतिष्ठानों के पास बड़ी क्षमता वाले शांत जैनरेटर हैं। चितवन, कान्हा मुक्की में जैनरेटर लगता हुआ।

चित्र 45:
स्केज़ कैम्प पूरी तरह से राज्य विभाग की बिजली और बैटरी पर निर्भर है। जब तक बैटरी में चार्ज रहता है उसी से काम चलता है, फिर चाहें बिजली आए या न आए।

आपका ऊर्जा पर कितना खर्च आ जाता है?

- ऊर्जा कीमतें बहुत ज़्यादा हैं
- बहुत कम
- यहां पर गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम काफी कठोर रहते हैं। इसलिए गर्मी में ठंडक देने और सर्दियों में गर्मायी की व्यवस्था करने के कारण काफी खर्चा आ जाता है

- गर्मी में ए.सी. चलाने के लिए ज़्यादा बिजली उपयोग होती है
- मुख्यत: बिजली का उपयोग ए.सी. चलाने, तरण ताल का पानी साफ करने वाले यंत्र, सर्दी में गर्माहट और रौशनी के लिए होता है।
- बिजली काफी महंगी है। बिजली बचाकर कीमतें कम की जा सकती हैं
- व्यापारिक दरें देनी पड़ती हैं

क्या आपने ऊर्जा उपयोग कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

ज़्यादातर लोग बिजली की उपलब्धता बढ़ाने की बात करते हैं, बचाने की नहीं।

मुख्यत: बिजली का उपयोग ए.सी. चलाने, तरण ताल का पानी साफ करने वाले यंत्र, सर्दी में गर्माहट (ज़्यादातर पानी गर्म करने पर सर्दी में कमरों को गर्म करने के लिए), फिर पानी का पम्प, रौशनी और अन्य ठंडक के उपकरण जैसे कि पंखे और कूलरों के लिए होता है।

ज़्यादातर प्रतिष्ठानों में रौशनी में कम बिजली उपयोग करने के तो साधन लगाए गए हैं पर ए.सी., जिसमें सबसे ज़्यादा बिजली खर्च होती है, उन पर कोई रोक नहीं है।

रौशनी

- हर जगह पर बिजली बचाने वाले बल्ब, कुछ जगहों पर ट्यूब लाईट। लंबे समय में यह काफी सस्ता पड़ता है।
- जब अतिथि कमरों से बाहर जाते हैं तो हम बत्तियां बंद कर देते हैं
- रसोई और कार्यालय में 40 वौट के बल्ब - जिन्हें अब सी.एफ.एल. बल्बों से बदला जा रहा है। अतिथि सी.एफ.एल. की सफेद रौशनी पसंद नहीं करते, बल्ब की पीली रौशनी पसंद करते हैं
- छोटे बल्ब का उपयोग - 25 वौट। विदेशी पर्यटक सी.एफ.एल. की सफेद रौशनी पसंद नहीं करते (जिससे बात हुई उसे जानकारी नहीं थी कि बाज़ार में अब पीली रौशनी वाले सी.एफ.एल. बल्ब मिलने लगे हैं और उसने इस विषय में रुचि दिखाई)
- परीक्षण के तौर पर सी.एफ.एल. बल्ब लगाए हैं। बिजली अस्थिर रहने से बल्ब फूट जाते हैं और सी.एफ.एल. बल्ब इसके लिए काफी महंगे हैं। हम मुख्य तार में बिजली की अस्थिरता ठीक करने के लिए अडैप्टर लगा रहे हैं।
- 100 प्रतिशत ऊर्जा बचाने वाले सी.एफ.एल., बडी.खिड़कियां। बाहर रौशनी के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग।
- जहां तक संभव हो सी.एफ.एल. का उपयोग। जब अतिथि बाहर चले जाते हैं तो कमरों की बिजली बंद कर देते हैं
- बाहर रौशनी करने की बड़ी समस्या है - उससे वन्यजीवों को परेशानी होती है।
- जब पर्यटक नहीं होते तो हम न्यूनतम बिजली से काम चलाते हैं। रास्तों की लाईटें बंद कर देते हैं
- सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इनवर्टर पर बिजली चलाते हैं जिससे कि बैटरी की पूरी ऊर्जा उपयोग हो जाए। उसके बाद विभाग की बिजली का उपयोग।

चित्र 46:
जंगल लौज ने बरामदे और शौचालयों में कुदरती रौशनी का प्रयोग किया है, जिससे दिन में इन जगहों पर बिजली उपयोग नहीं होती।

चित्र 47:
सी.एफ.एल. बल्बों का विस्तृत उपयोग

चित्र 48:
किप्लिंग कैम्प तथा कुछ अन्य प्रतिष्ठान अभी भी पीले बल्ब उपयोग कर रहे हैं क्योंकि विदेशी पर्यटक सी.एफ.एल. की सफेद रौशनी पसंद नहीं करते। जब उन्हें पीली रौशनी वाले सी.एफ.एल. बल्बों के विषय में बताया गया तो उन्होंने उनके उपयोग में रुचि दिखाई।

पानी व कमरे गर्म करना

- गोबर के उपलों से पानी गर्म करने के लिए आग जलाना
- वर्तमान समय में पूरी तरह से सौर ऊर्जा के उपयोग से पानी गर्म कर रहे हैं। अब सौर ऊर्जा और बिजली, दोनों से चलने वाला हायब्रिड यंत्र लगाने पर विचार कर रहे हैं।
- परीक्षण के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्र लगा रहे हैं, लेकिन वे सर्दी में ज़्यादा उपयोगी नहीं हैं, खासकर जब अतिथियों को सुबह जल्दी स्नान करके जंगल के सफारी के लिए जाना होता है।
- पहले हर जगह बिजली वाले गीज़र थे, पर अब हमने जैविक संसाधनों से चलने वाले ब्वाईलर लगा दिए हैं। इससे बिजली की खपत में काफी कमी आई है। जलाऊ लकड़ी व बाकी सभी कचरा उसमें जलाया जाता है।
- सर्दियों में सोने के लिए गर्म पानी की बोतलें, क्योंकि यहां काफी ठंड पड़ती है।
- पानी गर्म करने के लिए ब्वाईलर।
- 6 हीटर हैं, अगर अतिथि मांगते हैं तभी देते हैं
- हीटरों की कोई ज़रूरत नहीं है - निर्माण में पत्थर का उपयोग किया गया है जो कामरों को अंदर से गर्म रखता है।
- जैविक संसाधनों से चलने वाले ब्वाईलर - जिन्हें मुख्यतः सर्दियों में ही उपयोग किया जाता है। लकड़ी वन विभाग से लेते हैं, आदिवासी भी बेचते हैं।
- 20 साल पहले औस्ट्रेलिया से सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने वाले यंत्र, जैविक संसाधनों से चलने वाले ब्वाईलर लाए। उन्होंने यहां काम नहीं किया - छांव, नमीं, धुंध के कारण। 10 साल पहले उन्हें बांधवगढ ले गए। वहां वे अच्छा काम कर रहे हैं।
- जैविक संसाधनों या गैस से चलने वाले ब्वाईलर से ही पानी गर्म करते हैं।

चित्र 49:
किप्लिंग ने जैविक संसाधनों से चलने वाले ब्वाईलर (जिन्हें गुजरात ब्वाईलर भी कहा जाता है) उपयोग करने शुरु कर दिए, जिससे उनकी बिजली की खपत में काफी कमी आई। वे गिरी हुई लकड़ी के साथ कचरा जलाते हैं। चूंकि यहां प्रचुर मात्रा में जैविक ईंधन उपलब्ध है, यह बिजली का अच्छा विकल्प है।

चित्र 50:
बांधवगढ विल्डरनैस में सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी गर्म करने के यंत्र हैं; लेकिन अन्य प्रतिष्ठान उनके परिणामों से ज़्यादा खुश नहीं हैं।

चित्र 51:
मेपल के बिजली से चलने वाले गीज़र – बहुत ज़्यादा बिजली खाते हैं।

चित्र 52:
सर्दी की ठंडी रात में आराम के लिए पुरातन गर्म पानी की बोतलों का उपयोग बिजली की खपत कम रखता है।

ठंडक के यंत्र

- खास प्रकार की छतें, ऊंची छते प्राकृतिक रूप से कमरे को ठंडा रखती हैं
- बाहरी दीवारों में 11 इंच तक पत्थर लगे हैं, 3 इंच जगह छोड़ी गई है और फिर अंदर से ईंटें लगाई गई हैं। इससे गर्मी और आवाज़ बाहर नहीं जाते। 382 वर्ग फिट का कुटीर आराम से 1.5 टन ए.सी. से ठंडा किया जा सकता है।
- कोई ए.सी. तरण ताल या जैनरेटर नहीं है।
- ज़्यादातर कमरों में कूलर लगे हैं। गर्मियों में वे ए.सी. से बेहतर काम करते हैं, क्योंकि यहां का मौसम खुश्क है।
- कम बिजली से चलने वाले ए.सी. जिनमें 1 के.वी.ए. से कम बिजली लगती है
- भोजन कक्ष व अन्य आम जगहें, जैसे कि स्वागत कक्ष प्राकृतिक हवा पर ही निर्भर हैं
- केवल 2 ए.सी हैं लेकिन उनकी प्रभाव क्षमता पर शक है। गर्मी के मौसम में कूलर ज़्यादा प्रभावकारी रहते हैं। पहले कूलर कमरों के अंदर थे, पर अब हमने उन्हें खिड़कियों पर लगा दिया है - जो बहुत असरदार है। बहुत कम विदेशी यात्रा व्यवस्थापकों को इससे समस्या होती है। सच तो यह है कि ए.सी. से ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है, पर्यटकों से उसके लिए अतिरिक्त किराया लिया जा सकता है, और वे देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं।
- 1 ए.सी. और बाकी सब कूलर या पंखे
- भोजन कक्ष में एक बड़ा कूलर है
- पंखे ही उपयोग करते हैं - यह काफी हैं। हम साल के जंगल में है जो प्राकृतिक रूप से ही ठंडा रहता है।
- 50 प्रतिशत कमरों में ए.सी. और 50 प्रतिशति में कूलर। ए.सी. कमरों की ज़्यादा मांग है।

- ए.सी. कमरों की बहुत ज़्यादा मांग है। अभी हम 16 के.वी.ए. से काम चला रहे हैं। अगर हम ए.सी. लगा लें तो हमें 64 के. वी.ए. की ज़रूरत पड़ेगी। हमें सारे साल 64 के.वी.ए. की दर से पैसे देने पड़ेंगे जबकि इसका उपयोग केवल 2 महीने का है। इसके अतिरिक्त हमें 64 के.वी.ए. का ही जैनरेटर भी रखना पड़ेगा। यह बहुत महंगा पड़ेगा।
- नवंबर में ए.सी. बंद कर देते हैं
- गर्मी की ज़रूरतें बहुत मुश्किल हैं। 24 घंटे बिजली की ज़रूरत रहती है, जैनरेटर चाहिए, ए.सी. कूलर-बहुत महंगा पड़ता है।
- भोजन कक्ष तथा रसोई में एक आस्ट्रेलिया की कंपनी, ब्रीज़ एयर, द्वारा निर्मित हवा के वाष्पीकरण पर आधारित कूलर का उपयोग किया।

चित्र 53 व 54 :
मेपल में तंबुओं पर पूरे दिन सूरज की धूप पड़ती है। बाहर के मुकाबले अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। उन्हें ठंडा रखने के लिए बड़ी क्षमता वाले ए.सी. लगाए गए हैं, जिससे बहुत बिजली बरबाद होती है।

चित्र 55 :
दीवार पर लगे कूलर, जो सबसे ज़्यादा सफल यंत्र हैं, उनका उपयोग बंद कर दिया गया है क्योंकि बाज़ार में ए.सी. कामरों की मांग ज़्यादा है। वाईल्ड शैलेट में कूलरों को कमरों के अंदर से हटा कर खिड़कियों पर लगा दिया गया जो बेहद प्रभावकारी है।

चित्र 56:
सिंगीनावा में एक मोटी दीवार के बीच में हवा के लिए जगह रखी गई है, जिससे बाहर की गर्मा से बचाव हो जाता है और छोटे ए.सी से ही काम चल जाता है।

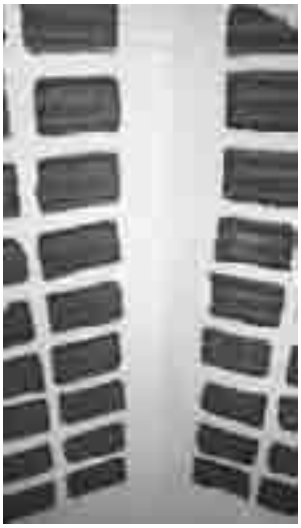

चित्र 57 व 58:
जंगल लौज के विशेष निर्माण और पेड़ों की छाया से कमरे ठंडे रहते हैं जिनमें कूलर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जो प्रतिष्ठान अभी भी ए.सी. का उपयोग कर रहे हैं यदि वे भी ऐसे कमरे बनाएं तो वे काफी बिजली बचा सकते हैं।

अन्य उपाय

- जब संभव हो नलकूप का उपयोग करें
- नए उपकरण खरीदते समय ऊर्जा संरक्षण तत्व देख कर खरीदें
- कमरे की चाबी के साथ ही बिजली चालू व बंद हो
- खाना गैस पर पकाना और अलाव व तंदूर के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग
- कुटीरों में सभी बिजली उपकरणों के लिए एक केंद्रीय स्विच
- कुछ जगहों पर सौर कुकर भी उपयोग किए जा रहे हैं

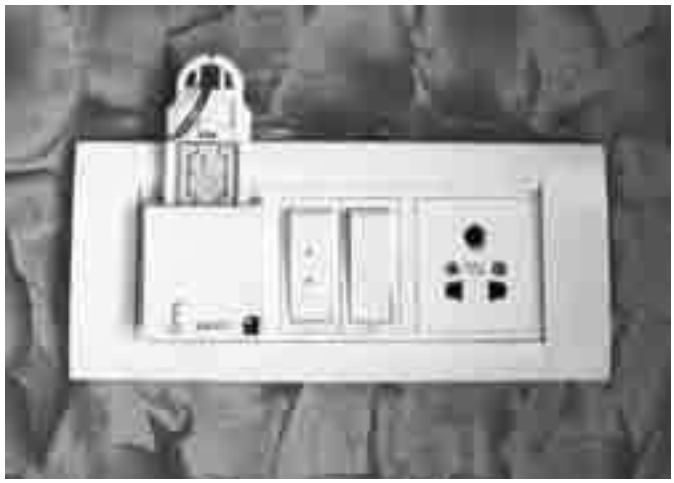

चित्र 59 व 60:
मेपल में अत्यधिक बिजली खपत वाले यंत्र – ए.सी., फ्रिज, गीज़र आदि सभी एक ही स्विच से चलते हैं और अतिथि जब चाबी लेकर चला जाता है तो सब उपकरण बंद हो जाते हैं।

अक्षय ऊर्जा के कोई विकल्प – क्या ये कारगर हो सकते हैं?

हालांकि सभी ने कहा कि हरित होने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग अति आवश्यक है, केवल 4 प्रतिष्ठानों ने इस दिशा में कोई कदम लिए हैं। इसकी कीमतें भी इतनी ज़्यादा हैं कि इसका उपयोग करना बेमानी हो जाता है।

- आप कितनी सौर ऊर्जा उपयोग कर सकते हैं - यह केवल ऊपरी दिखावा है। इसे कारगर होने के लिए सस्ता होना होगा। सौर ऊर्जा लगाने के लिए शुरुआत में काफी खर्चा करना पड़ता है।
- बाहरी रौशनी सौर ऊर्जा है। इनपर लंगूर आकर्षित होते हैं। पेड़ों से भी अंधेरा रहता है।
- 15-16 सौर ऊर्जा से चलने वाली बत्तियां हैं। इनकी देखरेख में समस्या है - कर्मचारी ध्यान नहीं देते, महंगे उपकरण खराब हो जाते हैं
- दिल्ली के सौर ऊर्जा मेले में गया था। प्रतिष्ठान को पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलाने में रु.15-20 लाख का खर्च आएगा। अगर 5 लाख तक हो तो ठीक है। 15-18 फीट ऊंची रास्ते की एक लाईट की कीमत रु.3600 है और 50-60 फीट की रु.16000-18000।
- सौर और एल.ई.डी. का मिश्रण लगाना चाहते हैं, पर उपलब्ध नहीं है।
- बाहरी रौशनी के लिए सौर ऊर्जा
- सौर ऊर्जा से चलने वाली लालटेन
- बायोगैस लगाने की कोशिश की पर नहीं चली। यहां के वातावरण में नमीं है। ऐसे में वह कामयाब नहीं रहता, ज़मीन में धंस गया।

चित्र 61 व 62:
अनंतवन में सौर कुकर और सौर ऊर्जा से चलने वाली लालटेन का अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है।

चित्र 63 व 64:
स्केज़ कैम्प में बक्से वाले सौर कुकर उपयोग हो रहे हैं। रास्ते पर लगे सौर बल्बों में एल.ई.डी. होने के कारण उन्हें बहुत कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है।

अपशिष्ट

'सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग इससे जूझना नहीं चाहते'

- ध्रुव सिंह।

चित्र 65 व 66:
अनंतवन में अच्छी तरह से सूखे कचरे को अलग किया जाता है, जिसमें से कुछ जलाने के काम आता है और कुछ पुनर्चक्रण के लिए भेज दिया जाता है।

किस प्रकार का अपशिष्ट होता है?

- अपशिष्ट का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले शीत पेय प्लास्टिक की बोतलों और टिन में नहीं आते थे।
- मुख्य अपशिष्ट प्लास्टिक की बोतलें और टैटरा पैक हैं
- मिनरल युक्त पानी की बोतलें - सबसे बड़ी समस्या, प्लास्टिक में पैक हुए सामान - चीज़, मक्खन, जैम, सौस आदि, दूध के टैटरा पैक, पौलीथीन, खाने के अवशेष, रसोई का कचरा।
- आप हर जगह हज़ारों गुटके के पैकेट देखेंगे।

अपशिष्ट संबंधी मुख्य समस्या क्या है?

- रसोई के कचरे की काफी समस्या है। हमने दक्षिण अफ्रीका की एक प्रणाली अपनाई। अलग अलग रंग के कूड़ेदान। शीशे और टिन के कूड़े के लिए कोई पुनर्चक्रण व्यवस्था नहीं है। मानपुर से एक आदमी आकर यह कचरा ले जाता है।
- प्लास्टिक की बोतलें और टैटरा पैक बहुत बड़ी समस्याएं हैं
- सभी बोललें, पैक करने वाला प्लास्टिक तो सरदर्द है
- प्लास्टिक ही कूड़े की सबसे बड़ी समस्या है
- इतनी ज़्यादा प्लास्टिक बोतलें इकट्ठी हो जाती हैं कि उनके लिए जितनी भी जगह हो कम पड़ती है।

आप अपने कूड़े का प्रबंधन कैसे करते हैं?

"प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है"

कार्ल वूस्टर।

लगभग सभी लोग कूड़ा अलग करने, खाद बनाने और पुनर्चक्रण की बात करते हैं। इसके लिए बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं, जिनमें से कुछ में कूड़ा भर कर उन्हें बंद कर दिया जाता है और फिर नए गड्ढे बनाए जाते हैं। सभी लोग खाद नहीं बना रहे, और न ही सब ठीक से कूड़ा अलग कर रहे हैं, पुनर्चक्रण भी बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो रहा। स्पष्ट है कि यह काम करने के लिए मालिक/प्रबंधक की रुचि होना आवश्यक है। पुनर्चक्रण को बढ़ाया जा सकता है।

खासकर कान्हा किसली में, रसोई के कचरे में आसानी से खाना मिल जाने के कारण भटकते हुए कुत्तों की भीड़ लग गई है। कई बार इन कुत्तों ने हिरनों पर हमला भी किया है।

- जैविक कचरा बाग में डालते हैं
- जैविक कचरे की खाद बनाते हैं
- कचरे को ठीक से अलग किया जाता है, कुछ जलाया जाता है और ज़्यादातर पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाता है। कोई आकर कचरा ले जाला है।
- अलग प्रकार के कूड़े के लिए अलग कूड़ेदान हैं। उमरिया से एक कबाड़ीवाला आता है।
- जैविक कचरे को गड्ढों में डालते हैं। प्लास्टिक बोतलों और टैटरा पैकेटों को बोरे में भर देते हैं। मानपुर का कबाड़ीवाला टिन और तेल के कैन इकट्ठे करता है। कचरे को थोड़े समय के बाद जला दिया जाता है। हम ध्यान रखते हैं कि कचरे को ठीक से अलग किया जा रहा है कि नहीं। सब नियंत्रण में है।
- खाने के अवशेष जानवर खा जाते हैं। आटा, ब्रैड के टुकड़े, चावल टैंक की मछली को खिला देते हैं। अलग अलग कूड़ेदान की प्रक्रिया का सख्ती से पालन होता है। प्लास्टिक, टिन और कागज़ के लिए ढेर बनाते हैं। सभी कचरा एक ही गड्ढे में डाला जाता है, जिसमें रसोई का जैविक कचरा भी शामिल है। प्लास्टिक बोतलों आदि को जला दिया जाता है। एक बड़ा गड्ढा बनाते हैं और जब वह भर जाता है तो उसे बंद करके दूसरा गड्ढा बना लेते हैं। कोई पुनर्चक्रण नहीं होता। किसली के स्तर पर शायद पुनर्चक्रण कर सकते हैं, हम इनसिनरेटर लगाना चाहते थे पर उसके लिए काफी अनुमतियां लेनी पड़ती हैं।
- टिन और बोतलें मंडला भेजते हैं। महीने में एक बार कोई आकर ले जाता है। इससे जो पैसा मिलता है उसे कर्मचारियों के कोष में डाल देते हैं।
- रसोई का कचरा खाद बनने के लिए गड्ढे में डाला जाता है, जहां रात को जंगली सूअर आते हैं।
- प्लास्टिक और शीशे की बोतलें लेने के लिए लोग आते हैं
- कचरे को अलग करने के लिए अलग अलग टैंक बनाए हैं
- जैविक कचरे पर जानवर आते हैं इसलिए हम उसे जला कर दबा देते हैं
- कबाड़ी वाला आकर बोतलें, प्लास्टिक, शीशा, टिन और अन्य कचरा, जो भी पुनर्चक्रण के लिए जा सकता है, ले जाता है।
- पानी गर्म करने वाले ब्वाईलर में कचरा भी जला देते हैं
- प्लास्टिक को ब्वाईलर में जला देते हैं
- मोचा से एक आदमी टिन, शीशा, प्लास्टिक ले जाता है
- रसोई का कचरा लंगूर, मवेशी और रात को जंगली सूअर खा जाते हैं
- बाज़ार से सामान खरीदने के लिए कपड़े के झोले काम में लेते हैं
- हम सामान लेने वालों से भी कम से कम पैकेट लाते हैं
- खाने को डब्बों में डालकर देते हैं जो हमें वापस कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार हम केवल एक बार उपयोग से पैदा होने वाले कचरे को न्यूनतम रखते हैं।
- कचरे को अलग करते हैं - बालाघाट से एक आदमी आकर ले जाता है।

चित्र 67:
मेपल, व अन्य कुछ प्रतिष्ठानों में सारे कचरे के लिए एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया गया है जिसमें हर समय कुत्ते देखे जा सकते हैं

चित्र 68 व 69:
बांधवगढ़ विल्डरनैस और जंगल लौज ने अपने गड्ढे बंद कर दिए हैं, जिससे भटकते हुए कुत्तों की समस्या कम हो गई है।

चित्र 70 व 71:
अनंतवन और चितवन में जैविक कूड़े की खाद।
यह खाद कृषि कामों में उपयोग की जाती है।

आप बेकार पानी का प्रबंधन कैसे करते हैं?

सैप्टिक टैंक और गंदे पानी का बागवानी में उपयोग, यह दो तरीके ही अपनाए गए हैं। एक जगह पर अपशिष्ट उपचार यंत्र लगा हुआ था।

- अपशिष्ट को सैप्टिक टैंक में इकट्ठा किया जाता है। गंदे पानी को 2 जगहों पर भूमिगत रेत के फिल्टर से निकालकर, चारकोल फिल्टर से छान कर, फिर ज़मीन में छोड़ा जाता है।
- हर लौज के पास 5-10 एकड़ ज़मीन है। दलदल क्षेत्र स्वतः ही पानी का उपचार कर देते हैं।
- रसोई का पानी टैंक में जाता है - जैसे कि सैप्टिक टैंक। दूसरे टैंक में कीड़े होते हैं और तीसरे टैंक में रेत से पानी छानता है। इससे बदबू की समस्या भी खत्म हो गई है। इस टैंक को हर साल साफ किया जाता है, बारिश से धुल जाता है।
- अपशिष्ट उपचार यंत्र है, पानी बागवानी के लिए जाता है
- अपशिष्ट पानी और गंदा पानी दोनों सैप्टिक टैंक में जाते हैं - कोई पुनर्चक्रण नहीं
- अपशिष्ट पानी सैप्टिक टैंक में और साबुन वाला पानी 2 गुणा 2 फिट के गड्ढ़ में डाला जाता है। रसोई का पानी 10 गुणा 10 फिट के गड्ढे में डालकर फिर नाले में छोड़ा जाता है।
- गंदा पानी सीधे पौधों में जाता है। अपशिष्ट सीधा सैप्टिक दैंक में जाता है।
- अपशिष्ट उपचार के बाद हम उसे खाद की तरह उपयोग करते हैं

चित्र 72:
मेपल ने अपशिष्ट उपचार यंत्र लगाया है जो बिजली से चलता है।

चित्र 73:
कैम्प मेवाड़ में कई टैंक हैं जिनमें रेत के फिल्टर हैं। पानी को जलाशय में छोड़ने से पहले वह इनमें से होकर जाता है।

चित्र 74 व 75:
चितवन में बाथरूम से आने वाला साबुन वाला पानी सीधा पौधों में जाता है। स्केज़ कैम्प में फलों के पेड़ों को इसी प्रकार सींचा जाता है।

क्या आप समाधान लागू करना चाहेंगे?

- पानी के उपचार के लिए फिल्टर बदलेंगे
- हां, हम निश्चित रूप से समाधान लागू करना चाहते हैं। इसके लिए ध्यान रखना होगा कि हम जो भी करें वह अतिथि अनुकूल होना चाहिए।
- हम वर्षा के पानी के संभरण की संभवनाएं देखना चाहते हैं

ग्राहकों के साथ वार्तालाप

इस व्यापार का स्वरूप ऐसा है कि ग्राहकों के साथ वार्तालाप के कई मौके मिलते हैं। रिज़ौर्ट में आए प्रकृति प्रेमियों के साथ समय बिताना तो इस व्यापार का हिस्सा है। विभिन्न रिज़ौर्ट अतिथियों के लिए जंगल में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। लेकिन इस सवाल का तात्पर्य कैम्प आधारित गतिविधियों से है, पर्चे, पुस्तकालय, पोस्टर तथा ऐसे अन्य शैक्षिक प्रायोजन। जो प्रतिष्ठान ग्राहकों के साथ अधिक संपर्क बनाए रखते हैं वे अकसर ज़्यादा पर्यावरण अनुकूल भी हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ज़्यादातर प्रतिष्ठानों ने अपने व्यापार में ग्राहकों के साथ वार्तालाप के न्यूनतम अवसर ही रखे हुए हैं।

- कैम्प के विषय में जानकारी की पुस्तिका : हमारा क्या उद्देश्य है
- पानी, अपशिष्ट उपचार, कमरों मे गर्माहट/ठंडक आदि की जानकारी
- लोगों को शौक तो है, पर उन्हें हरित प्रयासों के विषय में जानकारी नहीं है। शिक्षा की आवश्यकता है।
- अतिथियों के लिए अपने साथ 'घर ले जाने' लायक कोई सामग्री तैयार नहीं की गई है
- प्रतिष्ठान के प्रांगण के अंदर कोई प्रकृति पगडंडी तैयार नहीं की गई है
- गतिविधियां, जैसे कि गृह आवास। ग्राहक को रोज़मर्रा के कामों जैसे, रसोई, जैविक खेती, पौधशाला आदि में हाथ बंटाने के लिए आमंत्रित करना।
- जब फर्श और दीवारों की मरम्मत की जाती है तो अतिथियों को भारतीय ग्रामीण जीवन की एक झलक मिलती है।
- अतिथियों के आने पर उन्हें संक्षेप में जानकारी दी जाती है
- अतिथियों को पूरी अवधारण की जानकारी देना, उनका सहयोग प्राप्त करना
- उन्हें बताना कि हमें उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सब जीवित रखना है। कचरे के विषय में उन्हें शिक्षा देना - कि उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं
- जंगलों में गाईडों के साथ घूमने जाना, आदिवासी गांवों में जाना, पेड़ पौधों और पक्षियों की पहचान करना।
- अतिथियों से पूछना कि वे स्थानीय भोजन खाना पसंद करेंगे
- अतिथियों को नज़दीक के आदिवासी गांव में हाथी की पीठ पर बैठाकर ले जाया जाता है
- प्रतिष्ठान के प्रांगण और नज़दीक की नही के आसपास प्रकृति पगडंडियां
- कान्हा, वन्यजीवों, वन्यजीव दर्शन पर प्रदर्शनी
- स्मारिका पुस्तिकाओं के लिए एक छोटी सी दुकान
- कैम्पफायर के समय बताना कि हम अपनी लकड़ी खुद पैदा करते हैं
- अतिथियों के लिए साईकिलें
- गांव जाने के लिए बैलगाड़ी की सवारी - घरों मे जा कर उनका रहन सहन देखना, मवेशी देखना
- अतिथियों के लिए पारंपरिक बैगा नृत्य का आयोजन
- भोजन कक्ष में वन्यजीवों पर आधारित फिल्में दिखाना - हमारे पास 40 से अधिक नैशनल जौग्रैफिक की फिल्में हैं।
- एक छोटे से कक्ष में प्रक्षेपण सुविधा का आयोजन, जहां फिल्में दिखाई जा सकें, प्रकृति प्रेमियों के साथ चर्चाएं आयोजित की जा सकें।

चित्र 76 व 77:
अनंतवन और वाईल्ड शैलेट में दीवारों पर वन्यजीवों से संबंधित काफी जानकारी का प्रदर्शन किया गया है

चित्र 78 व 79:
जंगल लौज में ऐसे कई प्रदर्शन हैं जो देखे गए जानवरों की पहचान करने में मदद करते हैं। विभिन्न पौधों की पहचान करने के लिए भी जानकारी दी गई है।

स्थानीय मुद्दे

स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराने से ही संरक्षण को मदद मिल सकती है। 'स्थानीय' को प्राथमिकता मतलब 'हरित प्रणालियों' को प्राथमिकता। हालांकि इस अध्ययन में इस पहलू को शामिल नहीं किया गया था, फिर भी हर जगह चर्चाओं में यह मुद्दा उभर ही आया। सभी लोग दावा करते हैं कि वे पूरी तरह से स्थानीय रूप से काम करते हैं - लेकिन न्यूनतम वेतन, काम करने के घंटे, कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, रहने की जगह की गुणवत्ता समझने के लिए एक अलग अध्ययन करना पड़ेगा।

बंजार टोला की कहानी : बंजार टोला गांव मुक्की द्वार के पास और बंजार नदी के किनारे स्थित है, जिससे उनकी ज़मीन पर्यटन के लिए एक मुख्य आकर्षण बन गई है। गांव के लोगों ने अपनी ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े बेच दिए हैं, और चूंकि बाहर के लोगों ने नदी के पास की भी ज़मीनें खरीद ली, गांव वालों का नदी तक जाना मुश्किल हो गया है।

चित्र 80:
बंजार टोला गांव के लोग अब नदी पर केवल एक स्थान पर जा सकेंगे, पुल के पास।

चित्र 81:
मोचा की पीछे की गलियों में प्लास्टिक का गंद भरा हुआ है।

मोचा की कहानी : अचानक ज़मीन के लिए मांग बढ़ रही है। कीमतें आसमान छू रही हैं। पैसे से विलासती वस्तुएं तो मिल गई हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, शौचालय सुविधाओं में को ई सुधार नहीं आया है। अब सब के पास टी.वी. है, वीडियो है, डिश टी.वी. है, लोग अब अश्लील फिल्में भी देखने लगै हैं। इस सबसे यहां की सामाजिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। शराब की दुकान पर सुबह 11 बजे से ही स्थानीय लोग दिखने लगते हैं। ज़मीनें बेच कर या पर्यटन व्यापार से पैसे कमाकर लोगों ने जिप्सी गाड़ियां खरीद ली हैं। अब उद्यान में घुसने की अनुमति से कहीं ज़्यादा गाड़िया हो गई हैं। जिप्सी पैट्रोल से चलने वाली गाड़ी है अतः इसे अन्य यातायात के कामों में उपायोग करना महंगा पड़ता है। अतः काफी सारी जिप्सी गाड़ियां बेकार खड़ी हैं।

- नवंबर 2008 में यहां एक गैर सरकारी संस्था का पंजीकरण हुआ। इस संस्था ने गांव के स्कूल को अपना लिया। इसमें मुख्यतः इंग्लैंड से स्वयंसेवी आते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी कराते हैं।
- जनवरी 2009 के दूसरे पक्ष में न्यू यौर्क और मानपुर के डौक्टरों ने जबलपुर के मैडिकल छात्रों के साथ मिलकर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया।
- 60 प्रतिशत से ज़्यादा कर्मचारी स्थानीय हैं
- जिन स्थानीय लोगों ने निर्माण के समय मज़दूरों की तरह काम किया था उन्हें ही कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। वे एक अपनेपन की भावना से काम करते हैं।
- सड़क के दूसरी ओर ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं और उसे स्थानीय लोगों को सब्ज़ियां उगाने व छोटे से ताल में मछलियां पालने के लिए दे देंगे।
- वर्तमान समय में सभी सब्ज़ियां, साग, दूध आदि स्थानीय लोगों से ही खरीदते हैं
- स्थानीय स्कूल को अपना लिया है
- कोहका गाठ के 8 एकड़ जलक्षेत्र को, जहां हम पक्षी देखने जाते है, हमने अपना लिया है और उसका पुनर्वसन किया है। गांव वाले इस संसाधन का अभी भी उपयोग कर सकते हैं
- स्थानीय महिलाओं को काम के लिए रखा है - वे काम के प्रति बेहद जिम्मेदार हैं
- सभी को काम में प्रशिक्षित किया गया है
- अंग्रेज़ी बोलना सिखाया
- मालिकों से ऋण की सुविधा
- शुरुआत में काफी लोग नियमित रूप से काम पर नहीं आते थे
- शुरुआत में कुछ बाहर के कर्मचारी होने से अच्छा रहता है।
- स्थानीय लोगों की विचारधारा बदलने में थोड़ा समय लगता है
- वे ज़मीन पर कुछ भी कर सकते हैं
- सभी कर्मचारियों के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं - अगर आप लोगों का खयाल रखेंगे तो वो भी वैसा ही करेंगे

- कपड़ों पर नाम की पट्टियां, हर माह सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी की प्रतियोगिता की जाती है
- 1 मई से 15 सितंबर तक कर्मचारियों को छुट्टी दे दी जाती है, वे अपने खेतों पर काम करते हैं
- केवल योगयता के आधार पर पदोन्नती व चुनाव किया जाता है
- पटेल और चौधरी ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जो 60 साल पहले जंगलों को छोड़कर बाहर बस गए (जिससे बात हुई उसके कथन पर आधारित, इसकी पुष्टि नहीं की गई है)। बैगा और गोन्ड आदिवासी समुदाय जंगलों में ही रहे। बैगाओं को उनके बांस से बने उत्पाद बेचने में मदद करते हैं
- जो लोग जंगलों पर निर्भर थे उन्हें वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध कराया है - प्रतिष्ठानों में काम, चितवन तक सामान पहुंचाने, या आजीविका प्रशिक्षणों में शामिल करके
- छत्तीसगड़ के कारीगर बुलाकर हथकरघे की बिनाई करने का प्रशिक्षण दिलवाया
- यहां पर रेशम पैदा होता है। गांव की औरतों को एक दंपत्ति सिखा रहा है। हम उनके उत्पाद खरीदते हैं
- निर्माण के लिए ईंटों की आवश्यकता थी, तो स्थानीय लोगों से कहकर स्थल पर ही ईंट की भट्टी लगवा ली
- पर्यटन का मौसमी स्वरूप यहां के मज़दूरों के लिए लाभकारी है। उन्हें जब अपने खेतों पर काम करने की ज़रूरत होती है, खासकर गर्मी और बारिश के महीनों में, तब उन्हें पर्यटन का काम नहीं होता। इसके अतिरिक्त उन्हें अगले मौसम में वापस जाकर नौकरी का भी सहारा रहता है।

प्रबंधन, प्रशिक्षण तथा कार्य तंत्र

'हरित बनने से हरित बने रहना ज़्यादा मुश्किल है।'

'कार्य तंत्र और प्रशिक्षण बहुत आवश्यक हैं। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं।'
'ईको और कैम्प को सफल होने के लिए दानों के लिए प्रशिक्षण होना अत्यंत आवश्यक है। यहां के स्थानीय लोगों ने कभी शौचालय नहीं देखा। नए वातावरण को समझने में 2 साल तक लग जाते हैं।'
- ध्रुव सिंह

"प्रबंधन, कार्य तंत्र और प्रशिक्षण'', यह हो सकता है कि प्रबंधन से जुड़े बड़े बड़े शब्द लगते हों, लेकिन इनकी उपयोगिता का सही अनुमान नहीं लगाया गया है। इन्हें गलत समझा गया। हरित हाने के महत्व को भी ठीक से नहीं समझा गया। इनके बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता।

- निरंतर देखरेख की व्यवस्था और आदेश
- कर्मचारियों को इनवरटर के विषय में बताना कि कैसे बैटरी में लगातार पानी भरना ज़रूरी है
- लोगों का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। सभी कर्मचारी स्थानीय हैं। उन्हें जब ज़रूरत हो उनके लिए दरवाज़े हमेशा खुले हैं
- देवेन्द्र, यहां का सर्वश्रेष्ठ बढ़ई - हमारे साथ 7 साल से काम कर रहा है। वह हर साल 4 स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देता है।
- प्रबंधन और प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण हैं। इससे इस काम को वापस स्थानीय लोगों तक ले जाने का भी मौका मिलता है
- समय समय पर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण। 1987 से कर्मचारी यहां काम कर रहे हैं, अतः वे सब जानते हैं
- काम कौन चला रहा है यह बहुत ज़रूरी है
- कान्हा में होटल मालिकों ने एक संस्था बनाई है - उद्यान के निर्देशक से मिलते हैं
- एक प्रतिष्ठान के प्रांगण में पिकनिक करने की इजाज़त है
- भोजन कक्ष में वन्यजीवों और कान्हा पर प्रदर्शनी है
- अतिथियों के लिए किताबें उपलब्ध हैं
- अच्छे प्रतिष्ठान भी अच्छे प्रबंधन के बिना सफल नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, किप्लिंग एक अच्छा प्रतिष्ठान है, पर उसे अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता है। (जिस व्यक्ति ने हमें यह बताया वह अपना नाम बताना नहीं चाहता)

कानून व्यवस्था

भली मंशा, आवेग, स्वयंसेवी प्रमाणीकरण, शिक्षा, जागृति - यह सब कुछ हद तक ही आपका साथ दे सकते हैं। आखिरकार यदि रिज़ौर्टो को चलाने के तरीकों में कोई बदलाव देखना है तो कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता तो पड़ती ही है।

"कानून के अनुसार वन विभाग को ईको लौज के मामले में कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं।
हर काम के लिए केवल पंचायत को अधिकार दिए गए हैं।"
- ध्रुव सिंह।

सरकारी नियम कानूनों की सख़्त ज़रूरत है। वर्तमान समय में प्रतिष्ठान विलासती कर तथा बिक्री कर देते हैं।

बोट्स्वाना का उदाहरण : बोट्स्वाना में ज़मीन लीज़ पर दी गई है। सारा निर्माण लकड़ी से और खम्भों पर हुआ है। इसके पारिस्थितिकीय पदचिह्न न्यूनतम हैं। हर 2 साल में जांच की जाती है। लीज़ समाप्त होने पर निर्माण हटा दिए जाते हैं और वन्यजीवन वापस शुरु हो जातै है।

- किसी प्रकार का कोई नियंत्रण या जांच नहीं होती। लोग बड़े बड़े वाहन लेकर उद्यान के अंदर जाते हैं। पिछले साल भूमि उपयोग में हस्तांतरण पर रोक लगाई गई। भार क्षमता का कोई अध्ययन नहीं किया गया। दक्षिण अफ्रीका में यह किया जाता है और पर्यटन सुविधाओं के निर्माण पर एक सीमा लगाई गई है। हमारे पास भी कोई नियंत्रण होना चाहिए, जो यह कह सके कि और लौज नहीं बनाए जा सकते। हां आप कह सकते हैं कि मैंने तो अपना प्रतिष्ठान बना लिया और अब मैं यह कह रहा हूं। लेकिन कानून की आवश्यकता तो है। प्रतिष्ठानों की श्रेणियां भी बनाई जानी चाहिएं - तम्बू वाले शिविर और विशाल स्तर पर निर्माण करने वाले रिज़ौर्टो के लिए एक जैसे नियम नहीं हो सकते।
- कानूनों से मदद मिलेगी। जहां भी उद्यान के अधिकारियों को लगता है कि उद्यान को नुकसान हो रहा है, उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए।
- मेपल में मस्तूल पर बत्ती लगाई गई है। इसका प्रतिबिंब नदी में देखा जा सकता है। इससे रौशनी प्रदूषण होता है और निशाचर प्राणियों को परेशानी होती है।
- एक रिज़ौर्ट ने नव वर्ष के कार्यक्रम के लिए संगीत व्यवस्थापक (डी.जे.) बुलाया था (सेलिब्रेशन-कानहा)। उद्यान के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और उस प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाया गया।
- उद्यान में अंदर जाने पर नियंत्रण लागू किए गए हैं। 150 गाड़ियां, और 3 प्रवेश द्वार हैं। इस साल लोगों को कान्हा में अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली और उन्हें बाहर से ही वापस जाना पड़ा। (कानहा)
- कोई नियंत्रण प्राधिकरण नहीं है, वास्तुशिल्प का कोई निर्धारित ढांचा नहीं है
- पर्यावरण अनुकूल और ईको-विकास अवधारणाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- वन विभाग को ऐसे प्रतिष्ठानों को अनुमति नहीं देनी चाहिए जो दिए गए दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते। (जेसे रंथ मबेर-प्रमाणित करना बाकी)

अन्य मुद्दे

- रसायसनिक कीटनाशकों या प्रांगण में चूहे मारने की दवा का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इससे वन्यजीवों को हानि पहुंच सकती है।
- स्थानीय लोगों के बीच शिकार न करने और संसाधनों के सतत उपयोग के विषय में जागृति लानी होगी।
- जंगल में घूमने का एकमात्र उद्देश्य बाघ देखना नहीं हो सकता
- संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्र, जहां संरक्षण की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है, वे खत्म हो जाएंगे
- पहले धुंध के कारण मार्च के अंत तक जंगलों में पानी टपकता रहता था, अब यह फरवरी में ही खत्म हो जाता है
- ए.सी. गर्मी नहीं मानसिकता की समस्या है

4. निष्कर्ष

कान्हा और बांधवगढ़ में पर्यटन कार्यक्षेत्र के हरित बनने से जुड़े निम्नलिखित मुद्दे हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर नीचे दिया जा रहा है।

1. स्थानीय समुदाय

चित्र 82:

बंजार टोले की मुक्की द्वार, कान्हा की बलिकाएं

चित्र 83:

अपने लिए घर बनाता हुआ एक परिवार – सरखायी टोला, मुक्की द्वार, कान्हा के पास

आज तक स्थानीय समुदायों ने संरक्षण क्षेत्रों के घोषित किए जाने के परिणामों का सामना किया। अक्सर गरीब लोग, जिनके पास छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं, और जो खेती के लिए मुख्यतः बारिश पर ही निर्भर करते हैं, उन्हें वन्यजीवों के हाथों फसल का काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यह नुकसान और भी बढ़ गया है क्योंकि संरक्षण क्षेत्रों के कारण वन्यजीवों की संख्या भी बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त गांव वाले जंगली जानवरों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते क्योंकि फिर उन्हें वन विभाग के हाथों प्रताड़ित होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, उनके जंगल में जाने पर भी रोक लगा दी जाती है, वन विभाग उन्हें प्रताड़ित करता है, वे अकेले पड़ जाते हैं, रोज़गार के विकल्प कम होते हैं और वनों के अतिरिक्त कोई और रोज़गार के साधन नहीं होते। साथ ही, जैसे कि मोचा और बंजार के उदाहरण से स्पष्ट है, पर्यटन उद्योग को ज़मीन बेचकर कमाए गए लाभ भी जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। पर्यटन उद्योग से स्थानीय लोगों को मिलने वाले रोज़गार के विकल्प ही शायद उनका संरक्षण में सबसे बड़ा योगदान है। स्थानीय लोगों के पास जंगल से जुड़े काफी हुनर होते हैं और उनके लिए जंगलों और उसकी प्रजातियों का संरक्षण काफी महत्वपूर्ण है। पर्यटन उद्योग में उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदारी से यह महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यही संरक्षित क्षेत्र उनके रोज़गार का प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन न्यूनतम वेतन, काम करने के घंटे, कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, रहने की जगह की गुणवत्ता आदि भी मिलना चाहिए। अक्सर स्थानीय मज़दूरों को सस्ता तथा आसानी से मिल जाने वाला माना जाता है। पर्यटन उद्योग को चाहिए कि वह स्थानीय लोगों को केवल रोज़गार देने की नज़र से न देखे, बल्कि उन्हें शिक्षा, पानी, कृषि उत्पाद, प्रशिक्षण आदि गतिविधियों में भी शामिल करे।

2. पर्यटन प्रतिष्ठानों की घेराबंदी

मालिकों द्वारा पर्यटन स्थलों की घेराबंदी का वन्यजीवों और उनके आने जाने के रास्तों पर सीधा असर पड़ता है। घेरा कितना भेदनीय है (चेन के मुकाबले तार से बने घेरे को वन्यजीव आराम से पार कर सकते हैं, जबकि पत्थर या ईंट की दीवारें वे बिल्कुल भी पार नहीं कर सकते) और उसकी ऊंचाई से वन्यजीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

कान्हा और बांधवगढ़ में संरक्षित क्षेत्रों के एकदम नज़दीक पर्यटक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। इन सब क्षेत्रों में अभी भी वन्यजीव घूमते हैं और घेरेबंदी के कारण वे अपनी पानी, खाने व आराम की जगहों पर नहीं जा पाते। दिन में जिन स्थलों पर काफी मानवीय गतिविधियां होती हैं, वहां भी रात को काफी जंगली जानवर आते हैं। धीरे विचरण करने वाले जानवर, स्तनधारी जानवरों के बच्चे, शर्मीले जानवर, जो प्रजातियां ज़मीन पर रेंग कर चलती हैं, उन सब पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।

इनमें से सबसे बुरे प्रभाव हैं उन प्रतिष्ठानों के जिन्होंने 6 फिट ऊंची चारदीवरी बनाई है और उसके ऊपर भी टूटे शीशे लगाए हैं, जैसे कि कान्हा किसली में कृष्णा वाईल्डलाईफ रिज़ौर्ट। उसके पीछे केवल एक ही मान्य कारण दिया जा सकता है, वह है भटकते हुए कुत्तों को बाहर रखना। इस प्रकार की घेराबंदी वन्यजीवों के विचरण के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। इन घेरों के ऊपर से केवल वृक्ष वासी प्रजातियां रास्ता पार कर सकती हैं।

चित्र 84 :
यह ईंट की दीवार जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा हानिकारक है। इससे वन्यजीवों के विचरण, वन्यजीव दर्शन और छोटे जानवरों व स्तनधारी जानवरों के बच्चों को पार करने में बहुत परेशानी होती है।

इसके बाद सबसे खतरनाक घेरेबंदी है जिसमें 2 फिट ऊंचाई तक पत्थर या ईंटों की दीवार होती है। उसके ऊपर से 6 फिट ऊंचाई तक कसी हुई चेन लगी होती है। ऐसी घेरेबंदी मुक्की द्वार के पास बने चितवन में है। उनका कहना है, जो कि ठीक भी लगता है, कि वे जैविक खेती करते हैं और उन्होंने घास खाने वाले जानवरों को बाहर रखने के लिए ऐसी घेराबंदी की है। यहां तो ठीक है, लेकिन अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा ऐसी घेराबंदी किया जाना मान्य नहीं है। ऐसी घेरेबंदी को केवल वही जानवर पार कर सकते हैं जो 6 फिट से ऊंची छलांग लगा सकते हैं, या जो चेन के बीच से रेंग कर निकल सकते हैं। दीवार बनी होने के कारण इसे बिल खोदने वाले जानवर पार नहीं कर सकते, कोई छोटा जानवर नहीं, बच्चे नहीं।

चित्र 85:
नीचे बनी ईंट की दीवार सभी बिल बनाने वाले जानवरों को बाहर रखती है और चेन लगभग बाकी सभी वन्यजीवों को।

इसके बाद सबसे ज़्यादा हानिकारक घेराबंदी है चेन लिंक घेराबंदी, जो ज़मीन में धंसाए गए किसी धातु या कंक्रीट के खंभों से जुड़ी हो। इस घेरेबंदी को बिल बनाने वाले जानवर, रेंग कर चलने वाले जानवर तथा कूदने वाले जानवर पार कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादातर वन्यजीव बाहर ही छूट जाते हैं। उदाहरण के लिए, मादा बाघ तो आ सकती है पर उसके शावक नहीं आ पाएंगे। यहां कहना ज़रूरी है कि चेनलिंक भी कई आकारों में आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खुली जगह हो वही लगाने चाहिएं।

तार से बने घेरे, जिसमें कंटीले तार एक दूसरे के पास लगे होते हैं, ऐसे घेरेबंदी से ज़्यादा वन्यजीव आ सकते हैं पर फिर भी इससे उनके विचरण में बाधा आती है। सबसे अच्छा होगा कि 4/5 फिट ऊंचाई की, 1.5 फिट की दूरी पर कंटीले तारों वाली घेरेबंदी की जाए। ऐसे घेरे से सभी वन्यजीव आ जा सकेंगे और मवेशी बाहर रहेंगे।

चित्र 86:
बहुत नज़दीक लगे कंटीले तारों से बनी घेराबंदी भी वन्यजीव अनुकूल नहीं होती।

चित्र 87:
यह कंटीले तारों की बाड़ वन्यजीव विचरण में बाधा नहीं डालती, और मवेशियों को बाहर रखती है। शायद कंटीले तार को चमकीले रंगों में रंग देना चाहिए जिससे कि जानवर उसमें फंस न जाएं।

आदर्श स्थिति में, कोई घेराबंदी नहीं होनी चाहिए। चारों ओर केवल खाई बना दी जाए जिससे मवेशी बाहर रहें। किपलिंग कैम्प और वाईल्ड शैलेट में ऐसा ही किया गया है। उन्हें मवेशी बाहर रखने में तो उतनी सफलता नहीं मिली पर वन्यजीव विचरण से उन्हें काफी फायदा हुआ है, क्योंकि अतिथि अपने कमरों से ही वन्यजीवों को देख सकते हैं।

चित्र 88:
मवेशियों को बाहर रखने के लिए खाई बनाना सबसे ज़्यादा वन्यजीव अनुकूल है, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को ज़्यादा देखरेख करनी पड़ती है।

हालांकि इन प्रतिष्ठानों को संरक्षित क्षेत्रों के इतना नज़दीक होना ही नहीं चाहिए।

3. बाहरी रौशनी

ऊंचे स्तंभों पर लाइट लगाना, तेज़ रौशनी वाले बल्ब यह सब किसी न किसी पर्यटन प्रतिष्ठान में दिख ही जाते हैं। लेकिन शायद इसका कारण है जागरुकता की कमी। इससे निश्चित रूप से निशाचर जानवरों की गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ऐसी जगह की शुद्धता और अन्य अतिथियों के आनंद पर भी असर पड़ता है। निशाचर जानवर प्राकृतिक रूप से तेज़ रौशनी वाले क्षेत्रों में विचरण करना पसंद नहीं करते और कुछ शर्मीले जानवरों, जैसे उड़ने वाली गिलहरी, जो बहुत छोटी उड़ान भरते हैं, के

रास्ते में अगर ज़्यादा रौशनी वाले रिज़ौर्ट आ जाएं तो उन्हें काफी परेशानी हो सकती है। मुक्की द्वार पर बने जंगल लौज और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रांगण के उदाहरण से देखा जा सकता है कि यदि उन्हें परेशान न किया जाए तो उड़ने वाली गिलहरियां आराम से पर्यटन प्रतिष्ठानों में रह सकती हैं। समाधान सरल हैं, रौशनी न्यूनतम रखें और बल्बों को नीचा लगाएं। रौशनी की दिशा जंगल की ओर या रिज़ौर्ट के उन क्षेत्रों की ओर न रखें जहां निर्माण नहीं हुआ है।

चित्र 89:
ऊंचे स्तंभों पर लगी लाईटें और पास के जलाशयों में उनकी रौशनी के प्रतिबिंब से निशाचर जानवरों को निश्चित रूप से परेशानी होती है।

4. अपशिष्ट/कचरा

कूड़े का प्रबंधन न होने व आसानी से कूड़े में खाना मिलने के कारण कान्हा किसली में भटकते हुए कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समस्या के कारण प्रतिष्ठानों को अपने प्रांगणों की घेराबंदी करनी पड़ती है जिससे वन्यजीवों के विचरण में बाधा आती है। इसके अतिरिक्त यह भटकते हुए कुत्तों के झुंड हिरनों पर भी आक्रमण करने लगे हैं।

ज़रूरी है कि प्रतिष्ठान खाने का कचरा जहां फेंक रहे हैं उन्हें अच्छी तरह सुरक्षित कर लें, जिससे कि वहां कुत्ते न आ पाएं।

इन सभी क्षेत्रों में भटकते हुए कुत्तों की जनसंख्या रोकने के कार्यक्रम चलाना ज़रूरी है।

अपशिष्ट प्रबंधन, जैसे कूड़ा अलग करना, खाद बनाना, पुनर्चक्रण करना तथा ठीक से कूड़ा फेंकना ज़्यादातर प्रतिष्ठानों में कमज़ोर है, जबकि कुछ प्रतिष्ठानों में ज़्यादा क्षमता रहती है। काम के इस पहलू पर ध्यान देना ज़रूरी है और हर प्रतिष्ठान की अपनी प्रणाली होनी चाहिए।

5. सूक्ष्म वन्यजीव आवासों के रूप में रिज़ौर्ट

सभी प्रतिष्ठान प्रमुख वन्यजीव आवास के बीचों बीच बने हुए हैं और उनके पास काफी बड़े क्षेत्र भी हैं - ऐसे में वे स्वयं ही सूक्ष्म वन्यजीव आवास बन सकते हैं। इसका उदाहरण कई प्रतिष्ठान जैसे, सिंगीनावा, किप्लिंग, जंगल लौज, जंगल मंत्र दे चुके हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर ज़ोन) में मवेशियों के चरने और लैन्टाना झाड़ी के बढ़ जाने से अकसर काफी विनाश हो जाता है। यह प्रतिष्ठान मवेशियों को बाहर रखकर, स्थानीय पेड़ों और वनस्पतियों को उगने देने, स्थानीय घासों, पेड़ों और झाड़ियों के पौधारोपण और जलाशय बनाने से वन्यजीव संरक्षण में मदद कर रहे हैं। इन प्रांगणों में अच्छी प्रकृति पगडंडियां और अतिथियों के लिए पर्यावरण शिक्षा भी हो जाती है। हालांकि यह प्रांगण संरक्षित क्षेत्रों से काफी छोटे हैं, तब भी यह प्रतिष्ठान वन्यजीव आवास पुनर्जनन में, वन्यजीवों के आने जाने के रास्ते बनाए रखने और वनों के संरक्षण के उदाहरण बन सकते हैं।

6. रिज़ौर्टों में जैविक खेती तथा वन प्रजातियों की पौधशालाएं

जैसा कि अनंतवन ने उद्धृत किया है, और कुछ हद तक चितवन मे भी, रिज़ौर्ट अपनी खाने की ज़रूरतें काफी हद तक अपने ही जैविक खेतों से कर लेते हैं। चूंकि यह ज़मीनें पहले कृषि की ज़मीनें थीं, और गांवों के नज़दीक हैं, यह तरीका ही सबसे ठीक लगता है। इससे स्थानीय लोगों को भी रोज़गार मिलता है और अतिथियों को शिक्षा भी मिलती है। इन प्रांगणों में अपनाई जा रही तकनीकें आसपास के गांवों में भी फैलेंगी।

अनंतवन में ध्रुव सिंह ने मध्य भारत के पेड़ प्रजातियों की पौधशाला लगाई है। यह इस क्षेत्र में संरक्षण और लुप्तप्राय आवासों और प्रजातियों के पुनर्जनन के लिए उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है।

7. कानून व नीतियां

कानूनों का सवाल सर्वव्यापी है और इसका हल निकालना अतयंत आवश्यक है।

8. बाज़ारी तत्व

कान्हा और बांधवगढ़ के किनारे बढ़ रहा पर्यटन उद्योग पूरी तरह से भूमण्डलीय बाज़ारी तत्वों तथा उसकी मांगों के आधार पर चल रहा है। जहां भूमण्डलीय स्तर पर अब अधिक से अधिक हरित जवाबदारी की बात की जा रही है, यहां पर पर्यटन उद्योग अभी भी उसी विलासत व आराम के पुराने तरीकों पर ही चल रहा है, जिसमें एयरकंडीशनर, तरण ताल, स्पा, इंटरनैट, अलग एकांत जगहों में निर्माण आदि शामिल है। देशी पर्यटक भी इन्हीं उम्मीदों के साथ आते हैं और हरित प्रयासों की कोई मांग नहीं करते - यह पर्यटन प्रारूप भी उपयुक्त नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से विदेशी पर्यटकों के आगमन पर निर्भर करके पर्यटन उद्योग ने अचानक संख्या गिर जाने की ओर खुद को काफी संवेदनशील बना लिया है - जैसे अशांति, आतंकवादी हमले, आर्थिक मंदी, संक्रमण आदि से विदेशी पर्यटकों की संख्या में अचानक काफी गिरावट आ जाती है।

हम मानें या न मानें, यह केवल बाघ पर्यटन है, वन्यजीव पर्यटन नहीं। बाघ निश्चित रूप से सर्वोच्च परभक्षी है और कान्हा और बांधवगढ़ में हुए संरक्षण प्रयासों के कारण यह क्षेत्र इसके लिए उतकृष्ट आवास बन गए हैं। बाघ के भले में पूरे जंगल का भला है और बाघ को नुकसान से सभी नष्ट हो जाएगा। बाघ के भले में स्थानीय लोगों, पर्यटन उद्योग तथा अन्य संबंधित लोगों का भी भला है जिनकी आजीविकाएं वनों पर निर्भर हैं।

इस पत्र के लिए इक्वेशन्स की ओर से पियूश सेखसरिया ने अध्ययन किया। इस लेख में, यदि अलग से न लिखा हो तो, दिए गए सभी चित्र लेखक के हैं। पियूश एक वास्तुकार हैं जिन्हें सतत कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है और उन्हें पर्यावरण सहयोगी प्रणालियों में रुचि है। (+91 9341221409, peeyush.sekhsaria@gmail.com)

ईकोपर्यटन संदर्भ

परिणाम तथा प्रभावों के विश्लेषण के लिए एक ढांचा

वैचारिक ढांचा

1 ईकोपर्यटन की शुरुआत करने के निर्णय के पीछे क्या कारण थे? उसके पीछे नायक कौन हैं?
2 समुदायों के बीच ईकोपर्यटन की शुरुआती चर्चाओं तथा परिभाषाएं निर्धारित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? उसके अंश क्या हैं?
3 ईकोपर्यटन का प्रचार कौन कर रहा है? छाप कौन बना रहा है? उत्पाद कौन तैयार कर रहा है? इसके पीछे क्या उद्देश्य तथा मूल्य हैं? ईकोपर्यटन के नाम पर किन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है?
4 इसके बड़े खिलाड़ी कौन हैं? उनके क्या उद्देष्य हैं?
5 छोटे खिलाड़ी कौन हैं? आर्थिक सहयोग के क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
6 क्या-क्या उत्पाद हैं और ईकोपर्यटन कहां स्थित है?
7 ईकोपर्यटन विकास और नियंत्रण के लिए क्या कानून और नीतियां हैं?
8 क्या ईकोपर्यटन संबंधित घोषणापत्र, दिशानिर्देश या समुदायों और उद्योगपतियों के स्व-शासन नियम हैं?
9 उद्योग प्रारूपों के रूप में क्या विकल्प उपलब्ध हैं - उद्योग, भागीदारी, सहकारिता, अन्य?
10 क्या कोई प्रमाणिकरण प्रणाली है या आने वाली है? उसपर किसका नियंत्रण होगा?
11 ईकोपर्यटन की शिक्षा कैसे दी जा रही है?
12 ईकोपर्यटन अध्ययन में कौन-कौन शामिल है?

ईकोपर्यटन के अध्ययन के लिए ढांचा

1 पर्यटन संबंधी
1.1 क्षेत्र में ईकोपर्यटन का विकास कैसे हुआ इसका दस्तावेज़ीकरण
1.2 स्थापित सुविधाओं की संख्या, बढ़ोतरी का इतिहास
1.3 निजि, सरकारी इकाईयों की संख्या; स्थानीय समुदायों के स्वामित्व की इकाईयों की संख्या; यदि कोई भागीदारी है, तो उसका ब्यौरा
1.4 पर्यटन इकाईयों की रूपरेखा - निवेश, क्षेत्रफल, स्वामित्व
1.5 पर्यटकों की रूपरेखा
1.6 यात्रा व्यवस्थापक तथा एजेंट; स्थानीय व गैर स्थानीय
1.7 पर्यटन गतिविधियां - उत्पाद - विशेष आकर्षण
1.8 पर्यटकों की आवश्यकताएं
1.9 संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन
1.9.1 पर्यटकों की संख्या, रूपरेखा

1.9.2 गतिविधियां (किंग, सफारी आदि) व उनके तरीके

1.9.3 वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई आवास सुविधाएं

1.9.4 स्थानीय लोगों के लिए अवसर

1.9.5 साल में या दिन में कब बंद रहता है?

1.9.6 दुर्घटनाओं के किस्से, उदाहरण के लिए, जंगली जानवरों द्वारा पर्यटकों पर आक्रमण

1.10 उद्योग प्रारूप

1.11 उत्पादनों का विकास तथा उनका विपणन (क्या बेचना है और क्या नहीं)

1.11.1 पर्यटन उत्पादनों की सूचि; विशेष आकर्षण

1.11.2 प्रचार सामग्री; किसने बनाई है

1.11.3 क्या बेचा जा रहा है?

1.11.4 बेचने के प्रमुख तरीके

1.12 छाप

1.12.1 प्रमाणिकता का उपयोग, पर्यटक इकाईयों द्वारा उपयोग की जा रही प्रमाणिकता की प्रक्रिया

1.13 भागीदारी - वर्तमान समय में चल रही विभिन्न प्रकार की भागीदारियां, जैसे, आर्थिक सहयोग देने वाली संस्थाओं के साथ भागीदारी, विदेशी निवेशक

1.14 पर्यटन किस मौसम में ज़्यादा होता है?

2. पर्यावर्णीय प्रभाव

2.1 स्थल के पर्यावरण की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट

2.1.1 वन, जैवविविधिता, संरक्षित क्षेत्र?

2.1.2 भूमि उपयोग

2.1.3 आस-पास हो रही अन्य विकास गतिविधियां

2.1.4 मानव-जानवर मुठभेड़ का स्वरूप

2.1.5 प्राकृतिक संसाधन

2.2 गैर काष्ठीय वन संसाधनों का स्थानीय समुदायों द्वारा उपयोग

2.2.1 ईकोपर्यटन से पहले और उसके बाद

2.2.2 क्या इस संसाधनों तक उनकी पहुंच में कमी आई है?

2.3 संरक्षित क्षेत्र

2.3.1 स्थानीय उपयोग बनाम पर्यटन उपयोग

2.3.2 सामुदाय आधारित संरक्षण प्रयास - सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र तथा संरक्षण क्षेत्र - इनके बीच के अंतर स्पष्ट करें तथा इनकी व्याख्या; समुदायों की भागीदारी

2.3.3 पारंपरिक संरक्षण गतिविधियां, प्रयास

2.3.4 संरक्षण गतिविधियों में स्थानीय लोगों की भागीदारी

2.3.5 महिलाओं तथा अन्य कमज़ोर वर्गो पर विशिष्ट प्रभाव

2.4 प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, जैसे, जल, स्थानीय निर्माण सामग्री आदि - ईकोपर्यटन से पहले और उसके बाद

2.5 प्रदूषण मापदंड

2.6 अपशिष्ट प्रबंधन

2.6.1 पर्यटन इकाईयों द्वारा अपनाए गए तरीके

2.6.2 जिम्मेदार प्रधिकरण द्वारा अपनाए गए तरीके

2.7 ऊर्जा का उपयोग जैसे, सौर ऊर्जा

3. आर्थिक प्रभाव

3.1 पारंपरिक तथा वर्तमान व्यवसाय; क्या उनमें कोई बदलाव आया है?

3.2 औसत वार्षिक आय, पर्यटन से क्या बदलाव आए हैं?

3.3 भूमि उपयोग - पारंपरिक, पर्यटन

3.4 भूमि स्वामित्व - अवधि

3.5 स्थानीय लोगों को पर्यटन क्षेत्र में रोज़गार (महिलाओं और पुरूषों के लिए अलग-अलग)

- 3.5.1 पर्यटन प्रतिष्ठानों में रोज़गार के अवसर - रूपरेखा
- 3.5.2 सेवाएं - गाईड, यात्रा व्यवस्थापन
- 3.5.3 स्व रोज़गार के अवसर

3.6 प्रभाव

- 3.6.1 वस्तुओं व ज़मीन की कीमतों में बढ़ोतरी
- 3.6.2 पर्यटन प्रतिष्ठानों में कच्चे माल की ज़रूरत की आपूर्ति
- 3.6.3 युवाओं का पलायन
- 3.6.4 आमदनी स्तर में बढ़ोतरी
- 3.6.5 परंपरिक व्यवसायों में बदलाव
- 3.6.6 जुड़ाव व रिसाव
- 3.6.7 कौन लोग हैं जो इससे जुड़ नहीं रहे

3.7 ईकोपर्यटन से हर साझेदार को कितना हिस्सा मिल रहा है - निजि प्रतिष्ठान, सरकार, स्थानीय सरकारें?

4. सामाजिक प्रभाव

4.1 जनसांख्यिकीय आंकड़े

4.2 विस्थापन

4.3 पर्यटन से जुड़े अपराध

- 4.3.1 नशा
- 4.3.2 देह व्यापार/वैश्यावृत्ती
- 4.3.3 जैविक चोरी

4.4 लैंगिक मुद्दे

- 4.4.1 लैंगिक भूमिकाएं - महिलाओं का कार्यभार
- 4.4.2 महिलाओं को पर्यटन क्षेत्र में रोज़गार; किन विभागों में, काम का स्तर (कुशल मज़दूरी, अकुशल मज़दूरी), औरतों और मर्दो के लिए अलग वेतन - आर्थिक
- 4.4.3 पर्यटन के संदर्भ में निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी

4.5 जाति

4.6 अन्य हाशिये के समुदाय और उनकी पर्यटन में भागीदारी

4.7 आम सामुदायिक लाभ; अतिरिक्त लाभ कहां खर्च किया जा रहा है - व्यक्तिगत, सामुदायिक

4.8 पर्यटन से स्थानीय लोगों की अपेक्षाएं और क्या वे पूरी हो रही हैं?

4.9 गृह आवासें के अनुभव (प्रभाव, आपसी मेलजोल, जाति संबंध, वर्ग)

4.10 ईकोपर्यटन में जुड़ने के लिए स्थानीय लोगों को क्या प्रशिक्षण दिए गए?

5. सांस्कृतिक प्रभाव

5.1 स्थानीय लोगों का पर्यटकों के साथ संस्कृति, त्यौहारों तथा स्थानीय कला के मुद्दों पर मेलजोल

5.2 पारंपरिक रूप में बदलाव, उस पर वापस आने के रास्ते

5.3 प्रदर्शन प्रभाव

6 शिक्षा एवं व्याख्या

6.1 व्याख्या केन्द्र

6.2 जागृति फैलाने के लिए कार्यक्रम

6.3 सूचना केन्द्र, कौन चला रहा है

7. संस्थागत व्यवस्थाएं

7.1 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की पर्यटन विकास में भूमिका। उनकी जानकारी का स्तर

7.2 ग्राम सभा बैठकों में पर्यटन

7.3 ईकोपर्यटन विकास और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के अधिकार

7.4 निर्णय प्रणाली; चर्चाएं

7.5 नई संस्थागत व्यवस्थाएं जिसमें विभिन्न साझेदारों और अधिकार धारकों का प्रतिनिधित्व हो

7.6 पर्यटन के लिए बनाई गई नई संस्थाएं

7.7 अन्य सरकारी विभागों की भागीदारी किस स्तर पर है - पर्यटन, वन?

8. नीतियां व योजनाएं

8.1 क्या राज्य व स्थानीय स्तर पर ईकोपर्यटन नीतियां, नियंत्रण नियम और दिशानिर्देश हैं?

8.2 ईकोपर्यटन की शुरुआत कब हुई?

8.3 ईकोपर्यटन कार्यक्रम लागू करने के पीछे क्या प्रेरणा थी?

8.4 क्या ईकोपर्यटन से पहले पर्यटन था?

8.5 भविष्य के लिए क्या योजना है? - क्षेत्रफल, मूलभूत सुविधाएं, निजि निवेशकों को ज़मीन किराये पर देना

8.6 क्या समुदाय आधारित प्रयासों के लिए कोई सहयोग है?

8.7 पर्यटन गतिविधियों व पर्यटकों के लिए दिशानिर्देश, अगर हैं तो

8.8 वन विभाग की भूमिक में बदलाव - संरक्षण से पर्यटन के प्रचारक के रूप में

9. घोषणापत्र व दिशानिर्देश

9.1 किसने बनाए

9.2 क्रियान्वयन किस हद तक हुआ है

9.3 तैयार करने की प्रक्रिया

9.4 अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे युनैस्को (जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र) और अन्य बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते

विवरण पत्रों का यह संकलन ग्लोबल फॉरेस्ट कोआलिश्न के साथ साझीदारी में लाइफ एज कॉमर्स प्रोजेक्ट के भाग के रूप में तैयार किया गया हैं। इस परियोजना का लक्ष्य बाजार-आधारित (पर्यावरण) संरक्षण योजनाओं के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों पर विचार करना हैं। प्राथमिक उद्देश्य ऐसी योजनाओं के प्रभावों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा और उन प्रभावों का सामाना करने के लिए स्थानीय समुदायों, सामाजिक आंदोलनों और महिला समूरों की क्षमता को बढ़ाना है। इक्वेशन्स ने छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूरों के चार भारतीय राज्यों में पारिस्थितिकीय पर्यटन की मौजूदगी और उसके प्रभावों का विष्लेषण किया।

ग्लोबल फॉरेस्ट कोआलिशन आदिवासी जन संगठनों और एनजीओ संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका लक्ष्य वन नीति के एक आधार के रूप में आदिवासी जनों और वनों पर निर्भर अन्य जनों के अधिकारों के लिए जन वकालत करके तथा वन विनाश और वन अपकर्श के प्रत्यक्ष और अंतर्निहित कारणों का सामना करके इन समुदायों में गरीबी को कम करना और उनको गरीब होने की प्रक्रिया से बचाना है।

www.globalforestcoalition.org

1985 में इक्वेशंन्स की स्थापना खासकरके उदारीकृत व्यवस्थाओं, आर्थिक सुधारों और अर्थव्यवस्था को खोल देने के संदर्भ में पर्यटन के प्रभावों को समझने के लोगों के आग्रह के उत्तर में की गयी। हम ऐसे एक पर्यटन की कल्पना करते हैं जो शोषणकारी न हो, लैंगिक न्याययुक्त हो और स्थायित्वपूर्ण हो जहां निर्णय-प्रक्रिया जनतांत्रिक हो और पर्यटन के फायदे न्यायसंगत रूप से सबको उपलब्ध और वितरित हों।

www.equitabletourism.org

स्वीडबयो www.swedbio.com की उदारतापूर्ण सहायता से यह शोध संभव हुआ है।